ग्रामीण विकास को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वर्ष 52 अंक : 4 फरवरी 2006 मूल्य : 7 रुपये

वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या

कृषक संरक्षण योजनाएं

शुष्क खेती–एक विकसित कृषि प्रणाली

भारत की प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियां

सूचना प्रौद्योगिकी की दस्तक गांवों द्वार

राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन

प्रकृति का अनुपम उपहार: फूलों की घाटी

कैल्शियम की भूमिका अहम्

आयोडाइज्ड नमक की जरूरत

संदर्भ–ग्रंथ

भारत 2006

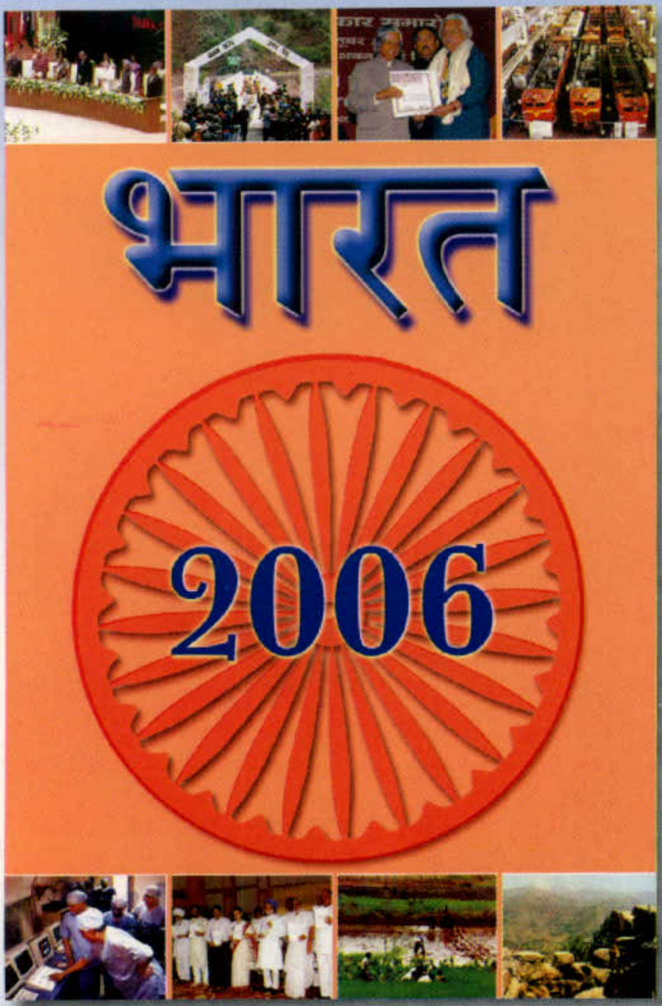

पृष्ठः 1170 मूल्यः 200 रुपये

भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षिक एवं तकनीकी विकास आदि के बारे में प्रामाणिक जानकारी के लिए

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वेबसाइट :
http: //www.publicationsdivision.nic.in
e-mail: dpd@sb.nic.in

आज ही खरीदें

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

*प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 (फोन. 24365610, 24367260) *हॉल न. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054, (फोन. 23890205) *कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालाड पायर, मुंबई–400038 (फोन. 22610081) *8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता–700069 (फोन. 22488030) *राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई–600090 (फोन. 24917673) *प्रेस रोड, निकट गवर्नमेंट प्रेस, तिरूअनंतपुरम–695001 (फोन. 24605383) *ब्लाक न. 4, प्रथम तल, गृहकल्प कॉम्प्लैक्स, एम. जे. रोड, नामपल्ली, हैदराबाद–5401 (फोन. 24605383) *बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, 800004, (फोन. 2301823) हाल न. 1, *दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–8, अलीगंज, लखनउ–226024 (फोन. 2325455) *प्रथम तल, एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बैंगलोर–560034, (फोन. 25537244) * अंबिका कॉम्प्लैक्स, प्रथम तल, पलदी, अहमदाबाद–380007 (फोन. 26588669) * के.के.बी. रोड, न्यू कालोनी, हाउस न. 7 चेनी कुथी, गुवाहाटी–781003 (फोन. 2665090)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 52 ● अंक : 4 ● पृष्ठ : 48

माघ–फाल्गुन 1927

फरवरी 2006

संपादक
स्नेह राय

सहायक संपादक
कमला वर्मा

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन. सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण
संजीव सिंह

सज्जा
रजनी दवे

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या	उमेश चन्द्र अग्रवाल	4
उत्तरांचल की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां	नीता बोरा शर्मा	9
कृषक संरक्षण योजनाएं	शशि कान्त सिंह	13
शुष्क खेती–एक विकसित कृषि प्रणाली	जीवन एस रजक	14
मशरूम उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियां	आर.एस. सेंगर	17
राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम	घनश्याम वर्मा	20
हल्दी रखे हैल्दी	विनोद गुप्ता	21
लघु उद्योग क्षेत्र में लम्बी छलांग	–	22
भारत की प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियां	मनीष कुमार पाण्डेय	24
सूचना क्रान्ति को धार देती प्रौद्योगिकी	चन्द्रशेखर यादव	27
सूचना प्रौद्योगिकी की दस्तक गांवों के द्वार	आरती श्रीवास्तव	29
सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संचालित सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि	–	31
राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन स्वरूप और संभावनाएं	ओ.पी. शर्मा	34
पर्यटकों की संख्या और विदेशी मुद्रा भंडार में रिकार्ड वृद्धि	–	38
प्रकृति का अनुपम उपहार : फूलों की घाटी	एस. एस. सैनी	40
भारतीय संस्कृति की विश्व को अमूल्य देन	अभिनय कुमार शर्मा	42
संवेगात्मक बुद्धि : एक परिचय	विनोद कुमार शनवाल	44
कैल्शियम की भूमिका अहम्	मनीषा एवं नीलम मकोल	46
आयोडाइज्ड नमक की जरूरत	राधेश्याम	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत-सम्मत

'कुरूक्षेत्र' पत्रिका का एक नया पाठक हूं। सर्वप्रथम इसके नाम की प्रासंगिकता पर आत्ममंथन किया, तो विदित हुआ कि आज के युग में गांव रूपी 'पांडव' एवं शहर रूपी 'कौरवों' के मध्य एक महाभारत चल रहा है। एक तरफ शहरों में मल्टीप्लेक्स एवं चमकते हुए शापिंगमालों का बोलबाला है वहीं दूसरी तरफ गांव रूपी 'पांडव' अपनी मूलभूत आवश्यकताओं एवं अधिकारों से भी वंचित हैं। परंतु हम जानबूझ कर धृतराष्ट्र की तरह अंधे बने हुए इस अन्याय को बर्दाश्त कर रहे हैं।

'कुरूक्षेत्र' पत्रिका हमारे लिए 'आधुनिक संजय' की भूमिका का निर्वाह कर हमें इस महाभारत के प्रत्येक पल से अवगत करा रही है।

इस प्रशंसनीय प्रयास हेतु 'कुरूक्षेत्र' पत्रिका के सभी 'वेदव्यासों' को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

हरीश कुमार, नई दिल्ली

मैं पर्यावरण विज्ञान (पी.जी.) की छात्रा हूं और केवल पिछले चार महीनों से ही इसकी नियमित पाठिका बनी हूं। पहली बार जब मैंने इस पत्रिका को देखा तब इसे खरीदे बिना नहीं रह पाई। यकीनन इस प्रगतिशील समय में इतनी सस्ती, ज्ञानवर्द्धक, रोचक पत्रिका भी उपलब्ध है विश्वास करना कठिन है। ग्रामीण विकास को समर्पित यह पत्रिका हर दृष्टिकोण से बेजोड़ व अनूठी है और इसके बारे में थोड़े से शब्दों के जाल में पिरो पाना बेहद मुश्किल है।

क्योंकि यह न केवल रोचक है, अपितु सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण स्थान अदा करती है। इस नये वर्ष 2006 के लिए नई पाठिका की तरफ से विशेष शुभकामनाएं।

अनुज कुमारी, बारागंज, पटना

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'कुरूक्षेत्र' पत्रिका का विगत तीन वर्षों से नियमित पाठक हूं तथा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। समय के अनुसार सभी चीजें बदल जाती हैं। यह बदलाव 'कुरूक्षेत्र' पत्रिका में भी देखने को मिला जो कि प्रशंसनीय है विशेष तौर पर 'भारतीय जनजातियां : समस्यायें एवं समाधान' लेख सर्वाधिक प्रभावशाली रहा। इस पत्रिका का महत्व सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत देश की नवीनतम योजनाओं, कार्यक्रमों एवं अन्य तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी इसमें मिल जाती है जो सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में मददगार होती है। साथ ही यह पत्रिका ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत स्वरूप प्रदान करती है। अतः कामना करता हूं कि पत्रिका में आगे जो भी परिवर्तन किये जायेगें वे सभी देश के नागरिकों के लिये उत्साहवर्धक एवं ज्ञानवर्द्धक होंगे।

भरत चौधरी, खेरली, अलवर

'कुरूक्षेत्र' दिसम्बर अंक पढ़ा उसमें प्रदत्त जानकारी एचआईवी/एड्स के बारे में पढ़कर अधिकतर आशंकाएं स्वयं ही दूर हो गईं। इस कारण मेरा आपसे अनुरोध है कि भविष्य में भी ज्ञानवर्धक व अन्य स्वास्थ्य से संबंधित लेख प्रकाशित करें।

प्रीति, दिल्ली–110081

ग्रामीण विकास मंत्रालय की मासिक पत्रिका 'कुरूक्षेत्र' का नवंबर 2005 माह का अंक पढ़ा। नवंबर माह का यह अंक लगभग दीपों की भांति रोशनी फैलाने वाले ज्ञानवर्धक लेखों के साथ पाठकों तक पहुंचा। पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख काफी महत्वपूर्ण हैं। जिनमें बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गये कानूनी नियमों तथा उन पर हो रहे दिनों दिन शोषण से बचाव के रास्ते को दिखाता हुआ लेख, "किशोर न्याय अधिनियम–2000 बच्चों के संरक्षण हेतु कानूनी प्रयास" काफी मददगार साबित होगा। वहीं एक गंभीर समस्या को उजागर करता हुआ लेख "विश्व समस्या बाल वेश्यावृति" समाज को सोचने पर मजबूर करता है। भारत जो कभी सोने की चिड़िया के संबोधन से विश्व विख्यात था जहां नारियों को देवी के रूप में माना जाता था, उनका मान–सम्मान करने के साथ ही उनकी रक्षा करने की भी पूर्ण जिम्मेदारी होती थी लेकिन आज के इस भौतिक युग में नारी मात्र एक भोग–विलास की विषयवस्तु बनकर रह गई है। ऐसे लेखों के लिए पत्रिका परिवार को धन्यवाद।

अजीत कुमार ओझा, 'आदित्य'

ग्रामीण विकास को समर्पित, 'कुरूक्षेत्र' का विगत 2 वर्षों से नियमित पाठक हूं। कुरूक्षेत्र के दिसंबर 2005 अंक में मुद्रित 'सम्पादकीय एवं विधिक सहायता : ग्राम उत्थान में प्रभावशाली पहल' काफी विचारणीय लगा। वास्तव में अगर व्यक्ति, प्रेरणा, प्रण एवं प्रयास, के तर्ज पर कार्य करे तो प्राप्ति निश्चित है। यह पत्रिका अपने आप में ग्रामीण विकास की ओर कुरूक्षेत्र परिवार की एक अनूठी पहल है जो ग्रामीण अंचल की बुनियादी समस्याओं एवं ग्रामीण विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी नयी योजनाओं को प्रबुद्ध समाज और जनमानस के सामने रखकर, एक नए भारत का निर्माण करने का प्रयास कर रही है। समस्त पाठक बन्धु–बान्धवों लेखकों एवं कुरूक्षेत्र परिवार को नूतन वर्ष 2006 की हार्दिक शुभ कामनाएं।

रणजीत कुमार गुप्ता, प्रेस रिपोर्टर

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'कुरूक्षेत्र' की जितनी प्रशंसा की जाये कम है। इससे हमें भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में रोजगारपरक बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। इसके नवम्बर अंक में 'किशोर न्याय अधिनियम–2000 बच्चों के संरक्षण हेतु कानूनी प्रयास' व 'बालश्रम और शिक्षा पर द्वितीय विश्व कांग्रेस' पर उमेशचन्द्र अग्रवाल व साजिया आफरीन के लेखों ने काफी प्रभावित किया 'गांव के सर्वांगीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका' पर अखिलेश कुमार का लेख एवं राजस्थान तथा हरियाणा के वर्तमान पंचायतों पर लेख बहुत ही जानकारीपरक रहा। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को यदि पंचायतें सही तरह से क्रियान्वित करें तो ग्रामीण भारत की दशा ही सुधर जाये। समाज में फैल रही भ्रूण हत्या तथा बाल वेश्यावृति जैसी बुराइयों से सरकार व समाज दोनों को ही लड़ने की आवश्यकता है। इस पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख ग्रामीण विकास के लिए सूचनाक्रांति के साथ ही ग्रामीणों में जागरूकता भी लाता है। ग्रामीण भारत के विकास को समर्पित ये पत्रिका अद्वितीय है।

अश्विनी 'राज' कौशल, लखनऊ विश्वविद्यालय

भारत निर्माण

भारत निर्माण का अर्थ है गरीबों की दशा में सुधार, उनके जीवन में खुशियों की बहार। भारत निर्माण अमीरों और गरीबों, नगरों और गांवों एवं संभ्रांत लोगों और आम लोगों के बीच की खाई को पाटेगा। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के शब्दों में यह भारत और इंडिया के अंतर को भी दूर करेगा।

आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के बाद नगरों में विशाल भवनों, बाजारों और मल्टी–प्लेक्स का निर्माण हुआ है। हर नगर से नए क्षेत्र आबाद हो रहे हैं, नई बस्तियों का निर्माण हो रहा है। महानगरों की सूरत तो तेजी से बदल रही है। गगनचुंबी इमारतें आकाश को छूने का प्रयास कर रही हैं। बाजार देशी–विदेशी समान से अटे पड़े हैं। सब्जी वाले, स्कूटर वाले, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशयन, धोबी, माली आदि मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। झोंपड़–पट्टियों में रेडियो दूरदर्शन के कार्यक्रम सुने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को तेजी से दो या चार लाइन का बनाया जा रहा है। सड़कों में मोटरगाड़ियों, दुपहियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है,

लेकिन देश की बहुसंख्यक जनता, जो गांवों में रहती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहा है। इस स्थिति को बदलने के लिए वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में भारत निर्माण योजना की घोषणा की थी।

इस योजना के अंतर्गत चार वर्षों के दौरान यानी वित्त वर्ष 2005–06 से लेकर वित्त वर्ष 2008–09 तक 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे। इस कार्य के लिए साधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। आंतरिक साधनों के लिए आवश्यक साधन जुटा लिए जाएंगे। विश्व बैंक के दौरान 9 अरब डालर की सहायता (ऋण) देना स्वीकार किया है।

भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, गांवों को अच्छी पक्की बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है, गांवों में बड़े पैमाने पर मकान बनाए जा रहे हैं, सभी गांवों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है और गांवों में बिजली और दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण जन स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत निर्माण के अभिन्न अंग हैं। संसद में इस कार्यक्रम की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था, "यह ऐसा मंत्र है जिस पर मेरी सरकार ग्रामीण भारत के लिए उसके नये स्वरूप का निर्माण करेगी और ग्रामीण समाज को संपत्ति के सृजन और सम्पत्ति की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाएगा।

भारत निर्माण का मुख्य घटक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान न कर सकने की अवस्था में उसे नकद दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लाभार्थियों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिएं। ग्राम सभाएं कार्य के साथ–साथ जाए। इसकी सिफारिश करने के साथ वे 50 प्रतिशत कार्यों को कार्यान्वित करेंगी। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह आगामी 2 फरवरी को योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ करेंगे उसी के साथ देश के 200 जिलों में यह योजना पांच वर्षों के दौरान देश के सभी जिलों में लागू कर दी जाएगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े इसके अन्य घटक हैं – ग्रामीण सड़क निर्माण, ग्रामीण आवास और ग्रामीण जल आपूर्ति। ग्रामीण सड़क निर्माण के अंतर्गत सभी गांवों को, जिनकी आबादी 1000 है (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 500) दसवीं योजना के अंत, 2009 में बारहमासी पक्की एवं अच्छी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। ग्रामीण आवास के अंतर्गत इसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए 60 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा। नए मकानों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 25,000 रुपये और पहाड़ी / दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रुपये की सहायता दी जाती है। कच्चे मकानों को पक्के / अर्ध पक्के मकानों में बदलने के लिए अधिकतम 12,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी अवधि में 74,000 बस्तियों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

कृषि उत्पादन को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को नियमित सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। एक लाख 25 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी और 2 करोड़ 30 लाख घरों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी के साथ 66,822 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा भारत निर्माण के अंतर्गत दो अन्य योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जन स्वास्थ्य की ओर ध्यान देगा। जन स्वास्थ्य और चिकित्सा दोनों का क्षेत्र अलग–अलग है। जन स्वास्थ्य का लक्ष्य आम बीमारियों मलेरिया, हैजा, पेचिश आदि से बचाव करना है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2–3 प्रतिशत करने का वचन दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में आम बीमारियों की कारगर ढंग से रोकथाम हो सकेगी। पिछले वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन को 630 करोड़ रुपये आबंटित किए थे। इधर देश ने खाद्यान्नों मुख्य रूप से गेहूं–चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। लेकिन तिलहन, दलहन और फलों के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। देश के अधिकांश किसान परंपरागत गेहूं चावल का उत्पादन करते हैं। कभी–कभी किसानों को इन खाद्यानों का समर्थित मूल्य नहीं मिलता अतः इस बात की जरूरत है कि किसान परंपरागत गेहूं–चावल के स्थान पर अन्य लाभप्रद व्यापारिक फसलों का उत्पादन करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी समाप्त करने की सरकार की नीति के तीन अंग हैं। पहला, लोगों को रोजगार प्रदान करना और उन्हें अपना काम–धंधा शुरू करने के लिए प्रोत्साहन–सहायता प्रदान करना। दूसरा, गांवों में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करना और तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सम्पत्ति बनाना। इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भारी धन राशि खर्च की जाएगी। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में निश्चित सुधार होगा, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी।

इस कार्य में भ्रष्टाचार की रोकथाम और पारदर्शिता लाने के लिए राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर निगरानी–सतर्कता समितियां बनाई गई हैं। इन निगरानी–सतर्कता समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

भारत निर्माण योजना से गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, सुख समृद्धि का नया युग शुरू होगा और ग्रामीणों का शहरों को पलायन रुकेगा। भारत निर्माण से नगर और ग्राम दोनों में हमारा भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू लेगा।

(पसूका)

वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या

उमेश चन्द्र अग्रवाल

संसार के अधिकांश भागों में शिक्षा और मीडिया की जनसामान्य तक पहुंच के फलस्वरूप स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जानकारी और चेतना, सभी क्षेत्रों में पोषण की सुधरती स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं में पर्याप्त मात्रा में हुए विस्तार के फलस्वरूप मृत्युदर में निरन्तर हो रही कमी जैसे कई कारणों ने पिछले कुछ वर्षों में वृद्ध नागरिकों की संख्या में पूरे विश्व में ही आनुपातिक तौर पर अत्यधिक वृद्धि हो रही है और वृद्धावस्था विश्व भर में एक समस्या का रूप धारण करती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पूरे संसार में वृद्ध नागरिकों की संख्या लगभग 60 करोड़ के करीब है जो वर्ष 2021 तक 100 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद है। पिछले 50 वर्षों में पूरे संसार में जीवन प्रत्याशा की दर में औसतन 20 वर्ष की वृद्धि हुई है। आज विश्व में प्रत्येक 10 लोगों में से 1 व्यक्ति 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु का है। औसत आयु में इसी गति से हो रही वृद्धि की दर से अगले 50 वर्षों में अर्थात वर्ष 2050 तक प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के होंगे। पश्चिमी देशों में वृद्धों के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं तथा सुरक्षा योजनाओं के फलस्वरूप वहां उनकी वर्तमान औसत आयु 80 वर्ष है और अनुमान है कि सन् 2080 तक यह बढ़कर 100 वर्ष तक पहुंच जाएगी।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यूरोप दुनिया का सबसे बूढ़ा महाद्वीप है जहां वृद्धों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का पांचवां भाग है। वर्ष 2020 तक यूरोप में वृद्धों की संख्या करीब 25 प्रतिशत पहुंचने के अनुमान लगाए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2020 तक उत्तरी अमेरिका में वहां की कुल जनसंख्या में वृद्धों का प्रतिशत करीब 25, पूर्वी एशिया में 17, लेटिन अमेरिका में 12 और दक्षिणी एशिया में 10 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। जहां तक अन्य देशों का प्रश्न है वर्ष 2020 में जापान 31 प्रतिशत वृद्धों के साथ विश्व का सबसे बूढ़ा देश होगा। इसके बाद इटली,, ग्रीस और स्विटजरलैंड का स्थान होगा जहां वृद्धों की संख्या 28 प्रतिशत से भी अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। विश्व के शीर्ष के दस बूढ़े देशों में पांच विकासशील देश भी होंगे। इनमें से चीन में 23 करोड़, भारत में 13 करोड़ 20 लाख, इण्डोनेशिया में 2 करोड़ 90 लाख, ब्राजील में 2 करोड़ 70 लाख और पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख वृद्ध नागरिक होंगे। कोलम्बिया, मलेशिया, केन्या, थाईलैण्ड और घाना जैसे विकासशील देशों में सन् 1990 से 2025 के बीच वृद्धों की संख्या बढ़ने की दर विकसित देशों की अपेक्षा सात–आठ गुनी अधिक होगी। इस कारण कुछ विकासशील देशों में मात्र 35 वर्षों के अन्तराल पर ही वृद्धों की संख्या 200 से 300 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। उल्लेखनीय है कि फ्रांस में वृद्धों की संख्या 7 से 17 प्रतिशत होने में सन् 1865 से 1980 के बीच 115 वर्ष लगे थे। अनुमान है कि चीन में वृद्धों की संख्या 10 से 20 प्रतिशत होने में केवल 27 वर्ष ही लगेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहा है कि वृद्धों में भी 80 वर्ष से अधिक आयु के महावृद्धों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। सन् 2020 में इन महावृद्धों की भागीदारी ग्रीस और इटली में 22 प्रतिशत, जापान, फ्रांस और स्पेन में 21 प्रतिशत तथा जर्मनी में 20 प्रतिशत होगी। अनेक विकासशील देशों में भी महावृद्धों की भागीदारी 15 से 20 प्रतिशत तक हो सकती है जिसका मुख्य कारण यह है कि विकासशील देशों में औसत आयु तेजी से बढ़ रही है। पूरे विश्व में वर्तमान में 20 विकासशील देश ऐसे हैं जहां औसत आयु 72 वर्ष से अधिक है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यूरोप दुनिया का सबसे बूढ़ा महाद्वीप है जहां वृद्धों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का पांचवां भाग है। वर्ष 2020 में जापान 31 प्रतिशत वृद्धों के साथ विश्व का सबसे बूढ़ा देश होगा। विश्व के शीर्ष के दस बूढ़े देशों में पांच विकासशील देश भी होंगे। इनमें से चीन में 23 करोड़, भारत में 13 करोड़ 20 लाख, इण्डोनेशिया में 2 करोड़ 90 लाख, ब्राजील में 2 करोड़ 70 लाख और पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख वृद्ध नागरिक होंगे। कुछ विकासशील देशों में मात्र 35 वर्षों के अन्तराल पर ही वृद्धों की संख्या 200 से 300 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

भारत जैसे विकासशील देश में भी औसत आयु वर्ष 1951 में 32 वर्ष थी जो अब बढ़कर लगभग 62 वर्ष से भी ऊपर पहुंच गई है। अगले बीस वर्षों में इसके 76 वर्ष तक पहुंच जाने की पूरी–पूरी संभावनाएं हैं। देश में इस समय लगभग 7.60 करोड़ बुजुर्ग हैं जो अगले 20 वर्षों में बढ़कर लगभग दुगुने हो जाएंगे। वृद्ध लोगों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में देश में वृद्ध लोगों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 5.41 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में वृद्ध नागरिकों की जनसंख्या लगभग 5.63 प्रतिशत तथा 2001 में 7.08 प्रतिशत हो गई परंतु पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2011 तक देश में वृद्ध लोगों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 8.18 तथा 2021 तक 9.97 तक हो जाएगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में वृद्ध नागरिकों का सबसे अधिक प्रतिशत 9.49 केरल में रहा है जबकि तमिलनाडु में 9.09 प्रतिशत, गोवा में 8.17 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 7.91 प्रतिशत, पाण्डिचेरी में 7.83 प्रतिशत तथा आन्ध्र प्रदेश में 7.69 प्रतिशत

पाया गया है। वृद्ध नागरिकों का सबसे कम प्रतिशत रखने वाला राज्य मेघालय रहा है जहां यह प्रतिशत 4.74 था। वर्ष 2011 तक भारत के कई राज्यों में वृद्ध नागरिकों की जनसंख्या 10 प्रतिशत से ऊपर पहुंच जाने की संभावना व्यक्त की गई है जबकि वर्ष 2021 में केरल, गोवा, तमिलनाडु, चण्डीगढ़, पाण्डिचेरी और अण्डमान निकोबार में यह वृद्धि 12 प्रतिशत से ऊपर पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 2021 तक वृद्ध नागरिकों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में 1.9 करोड़, महाराष्ट्र में 1.4 करोड़ बिहार में 1.3 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी प्रकार संपूर्ण भारत में कुल वृद्ध नागरिकों की कुल जनसंख्या 7.6 करोड़ के करीब है। इस प्रकार यदि कहा जाए कि भविष्य में "भारत बूढ़ों का देश" होगा तो अतिशयोक्ति न होगी। इस संदर्भ में विशेष चिन्ता का विषय यह है कि जिस तीव्र गति से भारत में वृद्ध नागरिकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है उस अनुपात में उनकी समुचित देखभाल हेतु सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो पा रही है जिसके लिए तेजी से कदम चलाऐ जाने की आवश्यकता है।

देश में वृद्ध नागरिकों की जनसंख्या के कुछ विशिष्ट लक्षणों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर यदि नजर डालें तो विदित होता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध नागरिकों की जनसंख्या का अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 7.1 प्रतिशत पाया गया है जबकि शहरी क्षेत्रों में इनका अनुपात मात्र 5.7 प्रतिशत रहा है। वृद्ध महिलाओं और पुरुषों का अनुपात शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगभग समान रहा है जो 6.7 प्रतिशत के लगभग पाया गया है। अगले कुछ वर्षों में वृद्ध महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में अधिक होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। वृद्ध नागरिकों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी पाया गया है कि इन लोगों में सामान्य की तुलना में श्रमिक दर अधिक है यद्यपि ये लोग अधिकांशतया स्वरोजगार में लगे हुए पाए गए हैं। वृद्ध नागरिकों के संबंध में "राष्ट्रीय सेंपल सर्वे संगठन" द्वारा हाल ही में किए गए एक विशेष सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के क्रमशः 30 और 31 प्रतिशत पुरूष पूरी तरह दूसरों के ऊपर आश्रित हैं। वृद्ध महिलाओं के संबंध में यह स्थिति और भी विपरीत पाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की 71 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 76 प्रतिशत वृद्ध महिलाएं दूसरों के ऊपर ही आश्रित पाई गईं अर्थात महिलाओं में स्वावलम्बी होने की दर बहुत ही कम रही है।

वृद्ध लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि होते जाने के कारणों पर यदि दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि वर्ष 1951 के दशक में चेचक जैसी भयंकर बीमारी के अतिरिक्त मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, निमोनिया और यहां तक कि पेचिश भी जानलेवा बीमारी थी। एक हजार में से लगभग 200 बच्चों की किसी न किसी ऐसी बीमारी से मृत्यु हो जाती थी। सन् 1970 के दशक में चलाए गए विश्वव्यापी चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभाव के फलस्वरूप देश में संक्रामक रोगों का प्रकोप कम हो गया तथा इसी प्रकार अनेक कारगर दवाओं के आविष्कार तथा व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमों के चलते बहुत सारी जानलेवा बीमारियों को समूल नष्ट करने में सहयोग मिला। इससे सभी आयु वर्गों में मृत्यु दर तीव्र गति से घट गई और औसत आयु बढ़ गई परंतु मृत्यु दर में होने वाली कमी के अनुपात में जन्मदर में कमी नहीं आई। परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के बाद जनसंख्या के मूल स्वरूप में भी परिवर्तन के खास लक्षण परिलक्षित नहीं हुए। जहां पूर्व के वर्षों में देश की जनसंख्या में बच्चों व किशोरों की संख्या सबसे अधिक रही और वृद्धों की संख्या सबसे कम, वहीं 1980 के दशक में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का प्रभाव परिलक्षित होने के बाद में जन्म दर तीव्र गति से घटने लगी। परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या में बच्चों व किशोरों की संख्या निरन्तर घट रही है जबकि वृद्ध नागरिकों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2010 के बीच भारत में वृद्धों की जनसंख्या बढ़कर इतनी अधिक हो जाएगी कि यदि अभी से उनके लिए विशेष व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु कदम नहीं उठाए गए तो उनकी स्थिति काफी शोचनीय हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि पूरे विश्व में 1 अक्टूबर को "वृद्ध दिवस" मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1982 में ही इस समस्या को पहचान कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सार्वभौमिक नीति बनाने की पहल की थी। उसके बाद से दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत में भी इस दिशा में कुछ जागरूकता बढ़ी और इस दिशा में सरकार द्वारा कुछ छुटपुट योजनाएं और कार्य प्रारंभ किए गए। कुछ प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संगठनों ने भी इस क्षेत्र में कुछ कार्य शुरू किए यद्यपि इनका प्रभाव बहुत कम क्षेत्रों और पहुंच बहुत कम लोगों तक ही हो सकी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1999 को "वरिष्ठ लोगों के देखभाल के वर्ष" के रूप में मनाते हुए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध लोगों के कल्याण और सुरक्षा के लिए दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित करने और इस दिशा में उपयोगी प्रयास करने के उद्देश्य से वृद्धों के लिए समर्पित किया। हमारे देश में भी पहली बार वृद्धों की बढ़ती हुई समस्याओं के प्रति सोचने और उनके निराकरण के लिए समुचित उपाय करने हेतु सभी देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के पुनीत उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 2000 को "राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष" के रूप में मनाया गया। हमारे यहां पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा तथा स्वयं सेवी संगठनों और त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से उन्हें आर्थिक अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए वृद्ध नागरिकों के कल्याणार्थ वृद्ध आश्रम भी संचालित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इनकी उचित प्रकार से देखभाल तथा पोषण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में डे केयर सेन्टर्स, मोबाइल मेडीकेयर सेवाएं तथा गैर–संस्थागत सेवाओं की व्यवस्थाएं भी की गई है। बुजुर्गों को सम्मान और सहायता प्रदान करते के उद्देश्य से सरकार द्वारा उन्हें रेल एवं बस किराए में छूट, वरीयता के आधार पर आरक्षण, विभिन्न मेडिकल कालेजों और प्रमुख अस्पतालों में वृद्धों के लिए अलग चिकित्सीय विभाग व निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, साधन विहीन व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वृद्ध नागरिकों हेतु निःशुल्क आवास व्यवस्था, राष्ट्रीयकृत बैंकों में वृद्ध नागरिकों को बचतखातों में जमा धनराशि पर एक प्रतिशत अधिक ब्याज देने के प्रावधान भी किए गए हैं।

वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 'जीवन अक्षय', 'जीवन सुरक्षा' तथा 'नव प्रभात' जैसी पेंशन पॉलिसियां भी लागू की गई हैं जिससे वृद्धावस्था के कठिन दिनों में उन्हें सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध हो सके और वृद्धावस्था के कठिन दिनों में उन्हें आर्थिक

कठिनाई न हो। इसके अतिरिक्त इस दिशा में एक विशेष प्रयास के रूप में सरकार द्वारा वृद्धों की पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सी.आर.पी.सी.) तथा प्रतिपालन एवं निर्वाह अधिनियम (एडप्शन एण्ड मेंटीनेंस एक्ट) में भी कुछ वर्ष पहले ही आवश्यक संशोधन करते हुए सन्तान को वृद्ध माता–पिता के भरण–पोषण का उत्तरदायित्व उठाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कर दिया है जिससे बुजुर्गों को वृद्धावस्था में भरण–पोषण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसके साथ–साथ वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति (1999) की घोषणा, राष्ट्रीय परिषद का गठन, वृद्धों हेतु समन्वित कार्यक्रम का संचालन जैसी अनेक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इनके अतिरिक्त भी सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट योजनाओं का संचालन भी इन लोगों की विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। ऐसी कुछ विशेष योजनाओं में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (1994), अन्नपूर्णा योजना (2001) तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (2004) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सरकार द्वारा किए गए इन विशिष्ट प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है –

वृद्धों हेतु राष्ट्रीय नीति–1999

बुजुर्ग लोगों के प्रति परिवार समाज और सरकार के योगदान और उत्तरदायित्व को दिशा देने के अहम् उद्देश्य से देश में पहली बार जनवरी, 1999 में वृद्धों हेतु राष्ट्रीय नीति (1999) की घोषणा की गई। इस अहम् उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस राष्ट्रीय नीति में कई विशेष प्रावधान किए गए। राष्ट्रीय नीति के अन्य प्रमुख उद्देश्यों में व्यक्ति को स्वयं अपने व अपने सहयोगी के वृद्ध जीवन के लिए तैयारी करने हेतु प्रोत्साहन देना, परिवारों को अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली देखभाल में स्वयंसेवी तथा गैर–सरकारी संगठनों का पूरक योगदान हासिल करना, गम्भीर हालात वाले वृद्ध लोगों की देखभाल तथा संरक्षण में उनका योगदान प्राप्त करना, वृद्धों के लिए सेवा तथा संरक्षण देनेवाले लोगों को अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करना तथा वृद्ध लोगों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना जिससे वे स्वयं आत्मनिर्भर नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय परिषद का गठन

देश में वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण हेतु नीति तैयार करने तथा कार्यक्रमों पर अमल करने के मामले में सरकार को सलाह देने तथा इससे जुड़ी विभिन्न एजेन्सियों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करने केन्द्र सरकार द्वारा वृद्धों हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन भी किया गया है। यह परिषद वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की तैयारी के साथ–साथ उनके कल्याण हेतु विविध कार्यक्रमों और योजनाओं के निर्माण हेतु भी पहल करती है। वृद्धों के लिए देश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय नीति के संचालन हेतु की जा रही कार्यवाहियों का अनुश्रवण करने का भी दायित्व इस परिषद को दिया गया है ताकि इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदमों के संबंध में समय–समय पर समुचित जानकारी सरकार को उपलब्ध कराया जाना संभव हो सके।

राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष

देश में वृद्ध लोगों की समस्याएं और उनके निराकरण के प्रति परिवार समाज तथा विभिन्न संगठनों का ध्यान आकर्षित करने के अहम् उद्देश्य को लेकर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों और वर्गों में वृद्धों के समस्याओं और उनको दूर करने के लिए समुचित रणनीति निर्धारित करने पर भी बल दिया गया। इसके लिए राष्ट्रीय योजना में वृद्धों हेतु कल्याणकारी कदम उठाने के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को उपलब्ध कराया गया ताकि इस कार्य में धनराशि का अभाव न हो। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों पर वृद्धों की समस्याओं को अभिज्ञानित कर उपयुक्त रणनीति के निर्धारण हेतु अनेकों विचारगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन इस वर्ष की विशेष उपलब्धियां कही जा सकती हैं।

समन्वित कार्यक्रम निर्धारण

वृद्धों के कल्याण के लिए विविध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अन्तर्गत वृद्धों के कल्याण हेतु कार्यरत प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत तक सहायता राशि सरकार से प्राप्त होती है। यह सहायता राशि वृद्धाश्रमों का निर्माण करने, वृद्धों की देखभाल करने, सचल चिकित्सा सुविधा इकाइयां खोलने तथा उसका कार्य संचालन करने तथा वृद्धों को गैर–संस्थागत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में परिवार को सुदृढ़ करना, वृद्धों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में जानकारी, वृद्धावस्था के लिए जीवन पर्यन्त तैयारी की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना, वृद्धावस्था को खुशहाल बनाने जैसे विविध लक्ष्यों को भी दृष्टिगत रखा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 863 वृद्धाश्रम कार्यरत है जिनमें वृद्धों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है।

विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से गरीब वृद्ध लोगों के लिए नियमित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 125 रुपए प्रतिमाह की दर से नकद पेंशन के रूप में दिए जाने की व्यवस्था की गई है। यह योजना शहरी तथा ग्रामीण दोनों प्रकार के क्षेत्रों में संचालित की जा रही है। इस योजना को केन्द्र सरकार के शत–प्रतिशत अनुदान से देश के सभी राज्यों में संचालित किया गया है। इसमें 60 वर्ष एवं उससे ऊपर के निराश्रित वृद्ध एवं वृद्धाओं को जिनकी शहरी क्षेत्र में 225 रुपए प्रतिमाह से अधिक आय नहीं है या ग्रामीण क्षेत्र में उनके पास 2.5 एकड़ भूमि से कम है एवं उनका कोई पुत्र या पौत्र बालिग नहीं है, तो उन्हें नियमित रूप से पेंशन प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्रों में यह योजना स्थानीय नगर निकायों तथा नियमित रूप से पेंशन प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्रों में यह योजना स्थानीय नगर निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित किए जाने की व्यवस्थाएं की गई हैं।

निराश्रित वृद्ध लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के अहम् उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना के नाम से वर्ष 2001 में एक नई योजना शुरू की गई। यह योजना भी केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त शत–प्रतिशत सहायता से देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई

है। योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष की आयु के ऊपर के ऐसे वृद्ध लोग जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत शामिल नहीं पा रहे हैं, उन्हें प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न (गेहूं/चावल) निःशुल्क प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे वृद्धों के लिए एक अलग प्रकार के राशन कार्ड बनाए गए हैं ताकि सरकारी राशन की दुकानों से उन्हें आसानी से खाद्यान्न मिल सके। यह योजना भी शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के क्षेत्रों में चलाई जा रही है। नगरीय क्षेत्रों में पात्र वृद्ध लोगों के चिन्हीकरण तथा राशन कार्ड बनाने की व्यवस्थाएं नगर निकायों द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (2004) के नाम से वृद्ध लोगों को उनकी बचत पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर एक निश्चित रिटर्न देने वाली अनुपम योजना को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया है इससे पूर्व भी इसी प्रकार की एक योजना वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (2003) को भी लागू करने की घोषणा की गई थी जिसमें लगभग इसी प्रकार के लाभ वरिष्ठजनों को दिए जाने का वायदा किया गया था। अब नई योजना के अन्तर्गत कोई भी 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति निकटस्थ पोस्ट ऑफिस में इस विशेष खाते को खोल सकता है। 55 वर्ष या इससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत व्यक्ति भी इस तरह के खाते को खोल सकते हैं। ऐसी दशा में सेवानिवृति लाभ प्राप्त होने के एक माह के अन्तर्गत यह खाता खोला जा सकता है। सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृति लाभ प्राप्त होने के एक माह के अन्तर्गत यह खाता खोला जा सकता है। सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृति व्यक्तियों द्वारा भी अन्य शर्तों के पूरा करने पर यह खाता खोला जा सकता है और उन पर आयु संबंधी शर्तें लागू नहीं होती हैं। इस योजना के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान उन्हें त्रैमासिक रूप में किए जाने का भी प्रावधान रखा गया है ताकि उनके द्वारा रोजमर्रा की अपनी जरूरतों को पूरा किया जाना संभव हो सके। निरंतर घटती बैंक ब्याज दरों के संदर्भ में वृद्धों के लिए यह नई योजना विशेष रूप से हितकर साबित हो रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संचालित की जा रही अवकाश प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मियों के लिए जमा योना 1989 तथा सार्वजनिक उपक्रमों के अवकाश प्राप्त कर्मियों हेतु जमा योजना 1991 को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना–2004 के संचालित किए जाने के बाद से बंद कर दिया गया है।

व्यावहारिक उपाय

देश में वृद्धों की तेजी से बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने अथवा उनकी प्रभावशीलता को कम करने के पुनीत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रयास करने एवं ठोस कदम उठाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। यद्यपि सरकार द्वारा वृद्धों की आवश्यकताओं एवं सुख–सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम, योजनाएं एवं उन्हें कुछ विशिष्ट सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है लेकिन वृद्धों की संख्या और आवश्यकताओं के अनुपात में यह प्रावधान एवं व्यवस्थाएं समुचित प्रतीत नहीं होते। इस दिशा में और अधिक विस्तृत और सार्थक प्रयास और व्यवस्थाएं किए जाने की आवश्यकता है जिनके लिए निम्नांकित सुझावों पर गौर किया जाना उपयोगी हो सकता है–

- भारत में भी पश्चिमी देशों की भांति वृद्धाश्रमों की स्थापना वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में अत्यन्त आवश्यक हो गई है। प्राचीन भारत में चूंकि संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी और परिवार का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति ही परिवार के मुखिया की भूमिका निभाता था और परिवार के मुखिया के रूप में वह सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्ति होता था अतः उसे वर्तमान समय जैसी सामाजिक–पारिवारिक उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ता था लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में वृद्धाश्रमों की स्थापना करके वृद्धों के एकाकीपन को कम करने और वहां उन्हें घर जैसा माहौल प्रदान करने में उनकी सहायता करें। यद्यपि वर्तमान में इस प्रकार के चार वृद्धाश्रम दिल्ली में स्थापित किए गए हैं जिनमें से 'संध्या' नामक एक सरकारी वृद्धाश्रम है। इसके अतिरिक्त आनन्द निकेतन आश्रम, हैल्थ–एज इण्डिया, एज–केयर इण्डिया, सामाजिक सेवा संगठनों द्वारा संचालित किए गए हैं। इसी तरह के आश्रमों को देश के प्रत्येक भाग में विशेष रूप से छोटे–बड़े सभी शहरों में अतिशीघ्र स्थापित किए जाने की नितान्त आवश्यकता है।
- वर्तमान में सरकार द्वारा "राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना" के माध्यम से कुछ वृद्धों को निर्धारित शर्तों के अधीन 125 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है जिसे न तो वर्तमान महंगाई संदर्भों में पर्याप्त ही कहा जा सकता है और न ही इस योजना के अन्तर्गत शामिल लोगों की संख्या की दृष्टि से। अतः आवश्यक है कि इसमें वर्तमान भरण–पोषण के स्तर को देखते हुए पेंशन की राशि मे वृद्धि की जाए और इसमें निरन्तर रूप से महंगाई के अनुरूप वृद्धि करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक वृद्धों को इस योजना के अंतर्गत लाने हेतु इसके लिए निर्धारित पात्रता में संशोधन कर इसके आधार को व्यापक बनाने हेतु व्यवस्था की जाए।
- वृद्ध लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश के कुछ मेडिकल कालेजों तथा अस्पतालों में यद्यपि वृद्ध लोगों के लिए अलग विभाग स्थापित हैं लेकिन आवश्यक हो गया है कि अब सभी मेडिकल कालेजों, मेडिकल संस्थानों एवं जिला चिकित्सालयों में वृद्ध लोगों के लिए अलग विभाग स्थापित किए जाएं जिनमें विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं वरीयता के आधार पर उपलब्ध होनी चाहिएं तथा प्रत्येक स्तर के संस्थानों, चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्हें पूर्णतया निःशुल्क परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
- वर्ष 2001 में अन्नपूर्णा योजना का नाम से निराश्रित वृद्धों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना में भी बहुत कम लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का आधार व्यापक करने तथा सुविधाओं का स्तर बढ़ाए जाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ताकि वास्तविक अर्थों में वृद्ध लोगों को लाभान्वित किया जाना संभव हो सके।
- देश में 73वें संविधान संशोधन के पारित हो जाने के बाद यद्यपि त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से इन लोगों के लिए आवश्यक

व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं लेकिन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में पंचायतों को अपने दायित्वों के भली–भांति निर्वहन के लिए पर्याप्त अनुश्रवण और यथा संभव प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है ताकि आवश्यक व्यवस्थाएं समुचित रूप में करना संभव हो सके।

- देश के विभिन्न भागों में वृद्धों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, गैर–सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाना अति आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में इन संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के लोगों की सेवा–सुरक्षा करने की परंपरा रही है और वर्तमान में इस क्षेत्र में कई संगठन बहुत उत्तम कोटि की सेवाएं प्रदान भी कर रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन संगठनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता आदि देकर प्रोत्साहित किया जाए और नए–नए संगठनों को भी इस दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- साधन विहीन वृद्धों के लिए यद्यपि सरकार द्वारा चुने हुए शहरों में निःशुल्क आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं लेकिन उन्हें वृद्धों की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आवश्यकता महसूस करने वाले सभी वृद्धों के लिए समुचित प्रकार की निःशुल्क आवासीय व्यवस्था की सुविधाएं सभी क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाएं और इन सुविधाओं का यथा संभव विस्तार किया जाए।
- वृद्धों को रेलों तथा सरकारी बसों में यात्रा करने के लिए यद्यपि सरकार ने रेल और बसों के किराए में छूट की व्यवस्था की है लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार की छूट की व्यवस्था सभी प्रकार के यातायात के साधनों यथा बस टैक्सी, वायुयान आदि में भी प्रदत्त किए जाने की आवश्यकता है जिससे ये लोग आवश्यकतानुसार अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों आदि से मिलने अथवा पर्यटन हेतु सुविधाजनक रूप से आ–जा सकें।
- इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार–प्रसार करने की व्यवस्था करके उत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारी संस्कृति रही है कि बुजुर्गों को हम समुचित मान–सम्मान और प्रतिष्ठा देकर तथा उनका समुचित पालन–पोषण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। अपनी इस प्रकार की अद्भुत संस्कृति को विशेषकर अपने नवयुवकों और नवयुवतियों में प्रसारित करने की महती आवश्यकता है। इसके लिए प्रचार माध्यमों का भरपूर उपयोग करना बहुत उपयोगी होगा।
- बुजुर्गों के उचित संरक्षण के लिए सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के साथ–साथ बुजुर्गों को निजी स्तर पर भी प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और यह समय का तकाजा भी है। बदलते हुए सामाजिक–आर्थिक परिवेश में हर व्यक्ति को बुजुर्ग होने की कटु सच्चाई का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर तो तैयार रहना ही चाहिए और साथ ही बुजुर्ग होने की अवस्था में अपना सम्बल स्वयं होने के लिए तत्पर होना चाहिए न कि दूसरों की सहायता पर निर्भर होना।
- देश में वृद्ध लोगों की देखभाल और उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तथा एडॉप्शन एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट में जो सरकार द्वारा हाल ही में प्रावधान किए हैं उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के प्रावधानों को और अधिक विस्तृत किए जाने की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी कोशिश की जानी चाहिए कि इन कानूनों के बारे में लोगों को समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग कर सकें। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता तथा अधिकार पाने के लिए त्वरित न्याय की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
- सामान्यतया वृद्धावस्था में कुछ बीमारियों के लग जाने के कारण वृद्धों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उन्हें सामान्य जिन्दगी जीने में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस अवस्था में सांस से संबंधित बीमारियां शारीरिक कमजोरी, विभिन्न अंगों एवं जोड़ों में दर्द, एवं देखने में कमी आदि बीमारियां सामान्यतया अधिकांश वृद्धों में उत्पन्न हो जाती हैं और इस अवस्था में उनकी आय में कमी हो जाने, परिवारजनों द्वारा उनकी समुचित सहायता न किए जाने आदि के कारण सामान्य सी बीमारियों का भी इलाज संभव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने हेतु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के लिए जुलाई, 2003 से यद्यपि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारी सहयोग से संचालित की गई है लेकिन इसको अधिक व्यापक और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है ताकि सभी जरूरतमंद वृद्ध लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना संभव हो सके।
- सरकारी क्षेत्रों एवं संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था की समस्याओं से जूझने के लिए यद्यपि पेंशन स्कीमें लागू हैं लेकिन तथ्य यह है कि इन स्कीमों में कुल श्रम क्षेत्र के केवल 10 प्रतिशत लोग ही लाभान्वित होते हैं। हालांकि कुल श्रमिकों में से इन 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बुढ़ापे में भरण–पोषण के लिए जनवरी, 2004 में असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से एक विशेष पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई है लेकिन व्यावहारिक तौर पर इससे जरूरतमंद वृद्ध लोगों को अधिक फायदा मिलने की संभावना नहीं लगती। आवश्यकता इस बात की है कि सभी जरूरतमंद लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो इसीलिए विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था में आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा हेतु उनकी जरूरतों के हिसाब से विशेष पेंशन स्कीमें लागू की जाएं ताकि वृद्धावस्था में ये लोग केवल अपने परिवारजनों अथवा सरकार के ऊपर ही निर्भर नहीं रहें।
- वृद्धों के लिए सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा, आय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यदि कुछ विशिष्ट वर्गों पर अतिरिक्त कराधान करना पड़े तो ऐसा किया जाना भी श्रेयस्कर होगा। वृद्धों की देखभाल हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने की दृष्टि से युवाओं पर टैक्स लगाकर सरकार को उनकी सहायता के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने पर भी विचार करना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

उत्तरांचल की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां

नीता बोरा शर्मा

उत्तरांचल राज्य जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है भारत के उत्तर में स्थित है। इस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,484 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरांचल 28° 47" से 31° 20" उत्तरी अंक्षाशों तथा 177° 35" पूर्वी देशान्तर में 80° 55" पूर्वी देशान्तर तक फैला हुआ है। उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवम्बर, 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक करके किया गया था। इसकी अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं तिब्बत (चीन), नेपाल से लगी हुई है। इसलिए इसकी गणना सीमान्त राज्यों में की जाती है। उत्तरांचल को दो मण्डलों तथा 13 जनपदों में विभाजित किया गया है।

उत्तरांचल के कुल क्षेत्रफल में से 34,434 वर्ग किमी. भूमि वन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 18वां राज्य है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी तथा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चम्पावत है। कुल भूमि का 12.75 प्रतिशत कृषि योग्य तथा 63.99 प्रतिशत वन क्षेत्र है। समस्त क्षेत्र का 88 प्रतिशत मैदानी भाग है।

उत्तरांचल के सामाजिक स्वरूप में हमें विभिन्न जातियों, जनजातियों, भाषाओं व रीति–रिवाजों का संगम देखने को मिलता है। उत्तरांचल की मुख्य भाषा हिन्दी है। परंतु यहां कुमाऊं मण्डल में कुमाऊंनी तथा गढ़वाल मण्डल में गढ़वाली बोली जाती है। उत्तरांचल की जनसंख्या को यदि भाषा के आधार पर विभाजित करें तो कुल जनसंख्या का 88.22 प्रतिशत हिन्दी, 5.77 प्रतिशत उर्दू, 2.63 प्रतिशत पंजाबी, 1.45 प्रतिशत बंगाली, 1.93 प्रतिशत अन्य भाषी हैं। जातिगत आधार पर 56.83 लाख, 6.16 लाख, 0.21 लाख, 1.40 लाख हिन्दू, मुसलमान, इसाई, सिक्ख हैं।

शिल्पकार – टम्टा, ओड, कोली, लोहार, हाडी, भूल, रूढ़िया, बारूड़ी, चिमड़िया, पहरी, धूना, हकिया, दर्जी, बागुड़ी, अंगरिया, बादी, तिरूआ, बेडी।

अन्य उपजातियां – बहेलिया, बलेई, बाल्मिकी, बंगाली, बनमानुष, बेलदार, भुटियार, बोरिया, स्वमार, धूसिया, झूसिया, धांगर, बजनिया, धानुक, धोबी, डूम, डोमर, दुसार, हेला, कालाबाज, कंजर, करबल, तालबेगी, खरिक, कोरी, मजवार, मजहबी, मुसहर, नट, पासी, रावत, तेली, टरमानी, जाटव, अटवाल, खोराटे, पवार, अकेला, बरेठा, एंरिज, कनवार, मजबीसिख, अनुसूचित जनजातियों में भोटिया, राजी, जौनसारी, थारू, बोक्सा आदि प्रमुख हैं।

प्राचीन काल में अनुसूचित जाति की स्थिति काफी शोचनीय व दयनीय थी। इस सन्दर्भ में टर्नर लिखते हैं "बाहर से प्रवेश करने वालों ने निम्न वर्ग को भूमि व सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर इन्हें दास बना लिया था।" दास की भांति इनसे निकृष्ट कार्य कराये जाते थे, जिस कारण ये सामाजिक क्रम में नीचे आ गये। ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि ये प्राचीन काल में सवर्ण वर्ग के अधीन थे।

अनुसूचित जाति को प्रारम्भ से ही सवर्ण वर्ग के आवास से दूर रखा जाता था। इनको कुओं से पानी निकालने, मंदिरों में प्रवेश आदि से प्रतिबंधित किया गया था। सवर्ण वर्ग के घरों में कार्य करने वालों को घरों के आन्तरिक भागों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जिस द्वार से ये प्रवेश करते थे उसे गौमूत्र या जल से शुद्ध किया जाता था। यदि ये पानी, अनाज को अनजाने छू लेते थे तो इन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था। सवर्ण वर्ग के सामने यह वर्ग चादर व डोली में नहीं बैठता था व सवर्ण के श्मशान में इनको नहीं जलाया जाता था।

उत्तरांचल के सामाजिक स्वरूप में हमें विभिन्न जातियों, जनजातियों, भाषाओं व रीति–रिवाजों का संगम देखने को मिलता है। "जनजाति या आदिम जाति परिवार समूहों के एक ही भू–भाग में निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं, विवाह व व्यवसाय आदि मामलों में विशिष्ट निषेधों को मानते हैं, पारंपरिक व्यवहार में भी ये विशिष्ट नियमों का पालन करते हैं तथा आधुनिक सभ्यता व संस्कृति से प्रायः अछूते रहते हैं।" इस प्रकार ये लोग प्रकृति के सबसे नजदीक होते हैं तथा इनका जीवन सीधा व सरल होता है।

उत्तरांचल में आज भी कुछ जाति समूह अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संभाले हुए हैं। इस प्रकार की जातियों को जो आज भी अपने प्रारंभिक रूप में ज्यों कि त्यों है जनजाति कहा जाता है। डा. मजूमदार के अनुसार– "जनजाति या आदिम जाति परिवार समूहों के एक ही भू–भाग में निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं, विवाह व व्यवसाय आदि मामलों में विशिष्ट निषेधों को मानते हैं, पारंपरिक व्यवहार में भी ये विशिष्ट नियमों का पालन करते हैं तथा आधुनिक सभ्यता व संस्कृति से प्रायः अछूते रहते हैं।" इस प्रकार ये लोग प्रकृति के सबसे नजदीक होते हैं तथा इनका जीवन सीधा व सरल होता है। उत्तरांचल में निवास करने वाली जनजातियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

भोटिया – भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट शब्द से हुई है। तिब्बत व नेपाल की सीमा क्षेत्र से लगे भू–भाग को भोट कहते हैं। इसमें पिथौरागढ़ का मुनस्यारी, धारचूला व अल्मोड़ा, उत्तरकाशी व चमोली क्षेत्र आता है जो इनका निवास क्षेत्र है। भोटिया में हिन्दू रीति–रिवाज

प्रचलित हैं। घुमक्कड़ कठोर जीवन के बावजूद ये हंसमुख, साहसी,, परिश्रमी, निष्कपट, सहनशील तथा धार्मिक प्रवृति के होते हैं।

बोक्सा – बोक्सा जनजाति नैनीताल की तराई के अलावा पौड़ी गढ़वाल तथा देहरादून के तराई क्षेत्र में भी छोटी–छोटी ग्रामीण बस्तियों के रूप में बसी हुई है। ये हिन्दू देवी–देवता की उपासना के अतिरिक्त काली,, दुर्गा, हुलका, अट्ठारियां व वन देवी हिडम्बा की पूजा भी करते हैं।

राजी – इस जनजाति को स्थानीय भाषा में वनरौत भी कहते हैं। ये पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला तथा डीडीहाट विकासखण्डों में रहती हैं। आग्नेय, किरात, कोल वंश को ही अपना वंशज मानते है इनकी भाषा में कुमाऊंनी का मिश्रण होता है।

थारू – उत्तरांचल में नेपाल की सीमा से संलग्न तराई व भाबर की संकरी पट्टी में मुख्यतः इनका निवास स्थान है। नैनीताल जिले के किच्छा, खटीमा, रामपुर, सितारगंज आदि क्षेत्रों में यह जनजाति पायी जाती है थारू का अर्थ होता है ठहरे हुए, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी ये अपने स्थानों पर सदियों से ठहरे हुए हैं।

थारू समाज मात् प्रधान है। ये स्वयं को राजपूत मानते हैं तथा हिन्दू त्यौहारों को मनाते हैं। स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है।

लोक कला की दृष्टि से उत्तरांचल काफी समृद्ध है। यहां की लोक धुन भी अन्य प्रदेशों से भिन्न है। जिसमें नगाड़ा, हुड़का, ढोल, नणसिंह, मुरली, बीन आदि प्रमुख हैं। यहां का छोलिया नृत्य काफी प्रसिद्ध है और शुभ कार्य के प्रारंभ में किया जाता है इसके अलावा झुमैलो, झोड़ा, चांचरी आदि नृत्य प्रसिद्ध हैं।

उत्तरांचल वासियों के रहन–सहन में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। उत्तरांचल के अधिकांश त्यौहार लोक परंपराओं पर आधारित है। जिसमें मुख्य रूप से उतरैणी, पंचमी त्यार, शिवरात्रि, फूल संक्रांति, बिखोती, रामनवमी, हरेला, रक्षा बंधन, जन्माष्टमी, घृत संक्रांति, पितृ विसृजन आदि मनाये जाते हैं।

आर्थिक स्थिति – पर्वतीय राज्य होने के कारण यहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रकृति पर निर्भर करती है। पहाड़ के लोग काफी मेहनती होते हैं। इनका जीवन काफी संघर्षशील होता है, विशेष रूप से महिलाओं का। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण महिलाओं को घर व खेत दोनों के ही कार्यों को करना पड़ता है।

शिल्पकार वर्ग की आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय है। इनसे कम मजदूरी पर काम कराया जाता था तथा अपने जीवन यापन के लिए ये लोग धोबी, नाई, चमार, राज, बढ़ई आदि कार्यों को करते हैं। शिल्पकारों में भी कार्य के आधार पर अनेक जातियों का उदय हुआ। जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं– आगरी–जो लोहार, कृषि व खानों में काम करते थे। टम्टा–तांबे के बर्तन बनाने का, तिरवा–तीर बनाने का, बेरी–टोकरी बनाने का, धूनिया–कृषि का, हनकिया–कुम्हार, कोली–बुनकर, ओड़–भवन निर्माण, रूरिया–बांस की टोकरी व चटाई बनाने का, पहरी–चौकेदारी, वादी–गाने का तथा बुखेरिया–घोड़ों की देखभाल करता। इन सब कार्यों के लिए इन्हें मुख्यतः अनाज दिया जाता था। इस प्रकार शिल्पकार वर्ग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के सभी निम्न कार्यों को करता था। जिस कारण इसको समाज में निम्न स्थान मिला।

भोटिया जनजाति के लोग ग्रीष्मकाल में 4 माह की कृषि करते हैं। यहां पर झूम कृषि भी की जाती है। इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित है। यह मौसमी प्रवास पर आधारित है। ग्रीष्मकाल में निचली घाटियों में तापमान की अधिकता के कारण ऊंचे ढालों पर पशुचारण किया जाता है। पशुचारण से इन्हें ऊन, खाल आदि पदार्थ बड़ी मात्रा में मिलते हैं। ये इन पर सुंदर डिजाइन बनाकर कालीन, दुशालें, दरियां, कंबल बनाते हैं। गेहूं मंडुऐ के भूसे से टोकरी व चटाई भी बुनते हैं। इसके अतिरिक्त गृह उद्योग में शराब निर्माण, रज्जु निर्माण, तेल निकालना आदि शामिल हैं।

भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे जिसके बदले ये वस्त्र, नमक, खाद्यान्न आदि प्राप्त करते थे। परंतु अब संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण ये लोग मैदानी क्षेत्रों के साथ व्यापार करने लगे हैं।

बोक्सा द्वारा आर्थिक गतिविधियों में कृषि व पशुपालन किया जाता है। कुछ परिवार लकड़ी व लोहे का काम भी करते हैं। ये लोग मकान, जाल, चटाई, पंखे, टोकरियां व बर्तन बनाने का काम भी करते हैं।

थारू जनजाति ने शिकार, मछली पकड़ना को जीविकोपार्जन का साधन बनाया है। ये लोग स्थायी कृषक होते हैं।

राजी समुदाय जंगलों से लकड़ी का कटान करते थे। परंतु वनों के कटान पर रोक कारण ये लोग मजदूरी भी करते हैं। कुछ लोग लकड़ी से बर्तन बनाते हैं।

राजनीतिक स्थिति – 19वीं सदी में भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों को कोई ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिला जिससे वे दासता से मुक्त हो सकें। जे.आर. काम्बेल के अनुसार पिछड़े वर्ग के लोगों की चर्चा कभी नहीं हुई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मानचित्र में भी ये कहीं पर नहीं थे ये बिना चर्चा व सुनवाई के रह गए। 20वीं सदी के प्रभाव में भी इनके राजनीतिक अस्तित्व को मान्यता नहीं दी गई।

अधिनियम 1919 में प्रथम बार भारतीय इतिहास में अनुसूचित जातियों के राजनैतिक अस्तित्व को स्वीकार किया। साईमन कमीशन रिपोर्ट द्वारा भी अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज कान्फ्रेंस, कम्यूनल अवार्ड तथा पूना पेक्ट में भी अनुसूचित जातियों के लिए अन्य बातों के अलावा राजनैतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी। संविधान के अनुच्छेद 330, 331 में राजकीय आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जिससे इन्हें स्थानीय स्वशासन से संसद तक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है।

उत्तरांचल का राजनैतिक इतिहास अपने गौरवपूर्ण अतीत को प्रस्तुत करता है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर पृथक उत्तरांचल राज्य आंदोलन में उत्तरांचलवासियों ने अपने साहस व राजनैतिक जागरूकता का परिचय दिया है।

पृथक उत्तरांचल में यदि हम अनुसूचित जाति की राजनैतिक सहभागिता को देखे तो यह प्रारंभ में तो नगण्य थी, क्योंकि ये समाज में उपेक्षित थे। सामाजिक स्तर पर हीन भावना से ग्रसित होने के कारण ये लोग राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़ गये। परंतु वर्तमान में ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक व राजनैतिक स्तर पर सक्रिय हैं।

जब तक राजनीतिक आरक्षण नहीं था अनुसूचित जाति व जनजाति समूह की प्रारंभ में राजनीतिक क्रियाकलापों में निष्क्रियता बनी रही। परंतु वर्तमान में सक्रियता बढ़ रही है पर आज भी अधिकांशतः ये लोग मुखिया या दलों के एजेन्ट के अनुसार मतदान करते हैं। वर्तमान में इनमें एक वर्ग जो शिक्षित है वह शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, सभी क्रियाकलापों में समाज के अन्य वर्गों के साथ कन्धा मिलाकर एक सुदृढ़ समाज की स्थापना में योगदान दे रहे हैं।

अनुसूचित जाति व जनजाति की शैक्षिक स्थिति भी अधिक अच्छी

नहीं थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये लोग शिक्षित नहीं हो पाते थे, परंतु वर्तमान में सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाई व लागू की गई है जिस आधार पर यह वर्ग भी प्रगति पथ पर अग्रसर है।

स्वाधीनता आन्दोलन में उत्तरांचल की भूमिका – अंग्रेजी शासनकाल में उत्तरांचल दो अलग–अलग ढांचों में था। कुमायूं मण्डल अंग्रेजों के अधीन था जबकि टिहरी स्वतंत्र रियासत थी। 1957 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें उत्तरांचल भी पीछे नहीं था। श्री कालू महरा को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने सैन्य संगठन बनाकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया। विक्टर जोशी, वीर चन्द्र गढ़वाली, इन्द्रसिंह नयाल, गठकेसरी, अनुसूया प्रसाद बहुगुणा, ज्योतिराम काण्डपाल, सरला बहन, मोहन लाल शाह, नरदेव शास्त्री, दादा दौलत राम, मोलू राम, खुशी राम आदि स्वतंत्रता संग्राम के अग्र पंक्ति के नेता थे। महात्मा गांधी सन् 1916 में अफ्रीका से लौटने पर देहरादून, अल्मोड़ा आदि अनेक स्थानों पर अनेक जनसभाएं संबोधित कीं। 5 सितंबर, 1942 में खुमाड़ सल्ट में भारत छोड़ो आंदोलन में इस क्षेत्र की सक्रियता को देखते हुए इसे दूसरी बारडोली की संज्ञा दी।

स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए कांग्रेस ने 1919 से 1925 के बीच कई सम्मेलन किये। इस समयावधि में महिलाओं की भूमिका नहीं के बराबर थी, परंतु 1930 नमक सत्याग्रह के समय महिलाएं संगठित हुई। जिन्होंने जुलूस, विदेशी कपड़ों की होली जलाकर, सरकार से असहयोग कर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। जिसके कारण कुन्ती वर्मा, विशनी शाह, शोकावती मित्तल, पद्मा जोशी, भागीरथी आदि को जेल भेजा गया।

उत्तरांचल पृथक राज्य आंदोलन – आजादी के पूर्व यहां के लोगों तथा शीर्षस्थ नेताओं को यह लगता था कि अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इसे अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। नेहरू ने 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि इस पर्वतीय अंचल की अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं निर्णय लेने तथा अपनी संस्कृति को समृद्ध करने का अवसर व अधिकार मिलना चाहिए।

जिसके लिए समय–समय पर यहां के स्थानीय नेताओं ने जिसमें बद्रीदत्त पाण्डे ने सन् 1946 में हल्द्वानी में, मार्क्सवादी नेता कामरेड पी. सी. जोशी ने 1952 में, विधान परिषद सदस्य इन्द्र सिंह नयाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पन्त से पृथक राज्य की योजना बनाने की मांग की। 1970 के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस राज्य की मांग का समर्थन किया।

24 जुलाई, 1979 को कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा. डी.डी. दत्त की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य की लड़ाई के लिए उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया। 1988 में भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रथम राज्य की मांग को स्वीकार किया। 1994 में श्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य गठन हेतु कौशिक समिति का गठन किया। इस समिति ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्थान–स्थान पर लोगों से सुझाव लिए।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 अगस्त, 2000 को पृथ्क राज्य की स्वीकृति मिलाने के बाद 9 नवंबर, 2000 को उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आ गया।

उत्तरांचल गठन से पूर्व उ.प्र. विधान सभा तथा विधान परिषद में 30 सदस्य थे। इन्हीं को उत्तरांचल की अन्तरिम विधान सभा का सदस्य माना गया। नैनीताल को उच्च न्यायालय तथा देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया।

14 फरवरी, 2002 में प्रथम निर्वाचन कराया गया, 927 लोगों ने चुनावी दंगल में अपना भाग्य आजमाया जिसमें 58 महिलाएं थी। केवल चार महिलाएं ही चुनाव जीत पाई, चुनाव में मात्र 28.6 लाख मत पड़े जो समूचे मतों का 54.34 प्रतिशत था।

उत्तरांचल के विकास में अनुसूचित जाति व जनजाति का योगदान – अनुसूचित वर्ग को समाज में इतना निम्न स्थान प्राप्त होने के बावजूद उत्तरांचल में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपों में हम इनके योगदान को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सामाजिक रूप में यदि समाज के निम्न कार्यों का सम्पादन नहीं करता है तो समाज की कल्पना करना अत्यधिक कठिन होगा। अधिकांश निम्न कार्यों को इसके द्वारा किया जाता था। वर्तमान में यदि हम उदाहरण के रूप में बाल्मिकी वर्ग को लें यदि ये अपना सफाई का काम करना एक दिन भी बन्द कर दें तो नागरिक जीवन अस्त–व्यस्त और उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

जनजातियां आज भी अपनी परंपरा, रीति–रिवाजों को संरक्षण दिये हुए है। विषम भौगोलिक, आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद ये लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को ज्यों का त्यों बनाये हुए है। इन वर्गों द्वारा बनाये गये हस्तशिल्प जो आज के वैज्ञानिक युग में लुप्त होने की कगार पर हैं। इनके द्वारा जीवित रखे गये हैं। इन वस्तुओं को शहरी व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर काफी पसंद किया जाता है।

आर्थिक आधार पर यदि देखे तो प्राचीन काल में कृषि संबंधी कार्यों को इनके द्वारा किया जाता था। ये कार्य अत्यधिक श्रम प्रधान होते थे। वर्तमान में भी हल चलाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जिसमें अनाज पर स्वामित्व भूमिपति या सवर्ण वर्ग का होता था। इन्हें परिश्रम के बदले अनाज या बहुत कम मजदूरी दी जाती थी।

जनजाति समाज में हमें सांस्कृतिक धरोहर के अपूर्व भण्डार मिलने के साथ ही राजनीतिक जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। जिस कारण समुदाय के मुखिया का स्थान और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इसका निर्णय सामूहिक रूप से अभिमान्य होता है।

वर्तमान में इनका सांस्कृतिक योगदान काफी सराहनीय है। शिल्पकार वर्ग ने आज भी लोक गीतों व लोक नृत्यों को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हुडकिया. बोल, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रम, की थकान को दूर करने व उत्साह करने के लिए यह गीत गाया जाता है। यह फसल की बुआई के समय गाया जाता है। ऋतुरैण गीत जिसे भिटोली के दिन गाया जाता है। अपने इष्ट देवता आदि को प्रसन्न करने के लिए व भूत–प्रेत को भगाने के लिए आज भी जागर लगाई जाती है। वर्तमान में जागर, छोलिया नृत्य, आदि परंपराओं को ये लोग जीवित रखे हुए हैं।

वर्तमान में इनकी स्थिति में काफी सुधार आया है। आज ये बड़े–बड़े पदों पर आसीन होने के साथ–साथ अपने अधिकारों से भली–भांति परिचित है तथा इनके सामाजिक स्तर में भी पहले की अपेक्षा काफी सुधार आया है। धीरे–धीरे ये सभी सामाजिक सम्मेलनों, समारोहों आदि में खुलकर भाग ले रहे हैं।

इस प्रकार जहां एक ओर ये अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं वहीं यह समाज की मुख्यधारा से भी जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा इनके लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। जिनसे इन उपेक्षित वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ✡

(लेखिका राजनीति शास्त्र की उपाचार्या हैं)

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)

बी–2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, भाग–2, (सावित्री क्रासिंग) नई दिल्ली – 110048

दूरभाषः 011– 29221331, 29216330, फैक्सः 29222708

संगठन

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 24 जनवरी, 1997 को निगमित किया गया। निगम की कुल प्राधिकृत अंश पूँजी रू0 200 करोड़ है।

लक्ष्य

रासकविनि का लक्ष्य सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार व उनके आश्रितों को उनके पारम्परिक पेशे को छुड़ाकर, उनकी दबी हुई सामाजिक दशा को सुधारना और उन्हें गरीबी से उपर उठाना है ताकि वह इस समाज में सामाजिक व आर्थिक सीढ़ी चढ़कर सम्मान और गर्व से जीवन यापन कर सके।

उद्देश्य

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आय अर्जित करने वाली परियोजनाओं हेतु रियायती दर पर ऋण प्रदान करना और लक्षित समूह के विद्यार्थियों को व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना।

व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी सुधार तथा स्वच्छता के कार्य हेतु विभिन्न सुविधा केन्द्र स्थापित करना।

पात्रता

लाभ लेने वाला स्वच्छकार/सफाई कर्मचारी और उन पर आश्रित राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना/सर्वेक्षण/सफाई कर्मचारी सभा/कानूनी/रजिस्टर्ड सहकारी सभा वैधानिक संगठित संघ, के अन्तर्गत चिन्हित होना चाहिए लाभार्थी व्यक्ति सफाई कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी संस्था या लक्षित समूह द्वारा कानूनी रूप से गठित संस्था का सदस्य होना चाहिए। यदि लक्षित समूह का कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में किए गये सर्वेक्षण के अन्तर्गत नहीं आ पाया है तो उसे स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगर निकाय अधिकारी/छावनी कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी जिनका पद राजपत्रित अधिकारी से नीचे न हो से प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना हेागा।

1993 एक्ट की धारा 3 के अधीन, स्वच्छकार का अर्थ है वह सफाई कर्मचारी जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हाथ से मानव मल उठाने का कार्य करता है जिसमें उनके आश्रित भी शामिल है। सफाई कर्मचारी का अर्थ है वह व्यक्ति जो स्वच्छता (सेनीटेशन) से सम्बन्धित कोई भी कार्य करता हो इसमें उनके आश्रित भी सम्मिलित है।

ऋण के प्रकार

मियादी ऋण

90 प्रतिशत मियादी ऋण उन योजनाओं में दिया जाता है जिनकी कुल लागत 5 लाख रू0 है। स्वच्छता (सेनिटेशन) पर आधारित यंत्रो पर कुल 10 लाख रू0 तक ऋण दिया जाता है। बकाया 10 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा सीमान्त धन अनुदान सहित व लाभार्थी के भाग सहित प्रदान किया जाता है।

2 लाख तक की लागत वाली योजना में लाभार्थी का भाग आवश्यक नहीं है। 2 लाख से ऊपर वाली योजना में लाभार्थी का 5 प्रतिशत भाग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आय सीमा निर्धारित नही की गई है।

ब्याज दर	
रासकविनि से राज्य माध्यम अभिकरण	3 प्रतिशत
राज्य माध्यम अभिकरण से लाभार्थी	6 प्रतिशत से अधिक नहीं

ऋण भुगतान की अवधिः– ऋण का भुगतान पाँच वर्ष में होना चाहिए मोरेटोशियम छः माह दे कर और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

लघु ऋण योजना

लघु ऋण योजना छोटे व्यवसाय/छुटकरकार्यो में आय अर्जित करने वाली योजना के लिए कुल रू0 5.00 लाख प्रदान करता है इस योजना के अन्तर्गत 20 व्यक्तियों के समूह को रू0 25000/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से रियायती दर पर लाभान्वित किया जाता है। इस योजना में परियोजना लागत का 90 प्रतिशत रासकविनि द्वारा ऋण दिया जाता है। बकाया राशि राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा प्रदान की जाती है।

ब्याज दर	
रासकविनि से राज्य माध्यम अभिकरण	2 प्रतिशत
राज्य माध्यम अभिकरण से लाभार्थी	5 प्रतिशत

ऋण भुगतान की अवधिः– ऋण का भुगतान तीन वर्ष में होना चाहिए मोरेटोशियम छः माह दे कर और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

महिला समृद्धि योजना

महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार एवं उन पर आश्रित बेटियों को कुल रू0 25000/– तक प्रति लाभार्थी 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। जो कि रासकविनि राज्य माध्यम अभिकरण को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान करता है।

शिक्षा ऋण

शिक्षा ऋण सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार व उनके आश्रितों को व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जाता है और इंजिनियर, चिकित्सा, प्रबन्धन, कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी दिया जाता है। ऋण कुल खर्च का 90 प्रतिशत व प्रति वर्ष 75000/– रू0 कुल 3,00,000 रू0 से अधिक नहीं दिया जाता बकाया 10 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत ऋण घटक

परियोजना का कुल 65 प्रतिशत राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत जो कि पहले बैंक द्वारा दिया जाता था अब रासकविनि द्वारा दिया जाता है ताकि योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलम्ब न हो। बकाया 35 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा सीमान्त धन व अनुदान के रूप में दिया जाता है। अब तक रासकविनि ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, और छत्तीसगढ़ को इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया है।

- ऋण भुगतान की अवधि
- ऋण का भुगतान पाँच वर्ष में होगा और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

रू. 1.00 लाख तक की योजनाएँ/परियोजनाएँ

रासकविनि राज्य माध्यम अभिकरणों को रू. 1.00 लाख तक की योजनाएँ/परियोजनाएँ जो कि रासकविनि के मॉडल स्कीमों में सम्मिलित हैं या राज्य माध्यम अभिकरणों को पिछले वर्षो में रासकविनि द्वारा स्वीकृत की गई हों, में ऋण प्रदान करता है।

प्रशिक्षण

स्वच्छकारों सहित सफाई कर्मचारियों और उनके 18 या उससे अधिक वर्ष के आश्रितों को उद्योग–सेवा–व्यवसाय क्षेत्रों में आय–जनन कार्यकलाप चलाने हेतु किसी व्यवसाय या कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह राज्य माध्यम अभिकरण को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। जिस की कुल राशि 1 लाख रू. से अधिक न हो।

KH-2/6/03

कृषक संरक्षण योजनाएं

शशि कान्त सिंह

कृषि एवं किसान देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मगर इस क्षेत्र में सबसे कम सरकारी पूंजी का निवेश किया गया। किसानों के लाभ एवं कृषि उत्पादों की रक्षा के लिए जिन योजनाओं को प्रारम्भ भी किया गया, उसकी सही जानकारी के अभाव में वे समुचित लाभ लेने से वंचित रह गये। उनकी सुरक्षा एवं लाभ के लिए चलाई गई योजनाएं निम्न प्रकार हैं–

किसान काल सेन्टरः केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी शुरूआत 21 जनवरी, 2004 को हुई। इसका मूल उद्देश्य कृषि सम्बन्धी किसी भी समस्या का निदान किसानों को उपलब्ध करना एवं बताना है। देश का कोई भी किसान 1551 नंबर डायल करके अपनी समस्या का हल पा सकता है। उसके लिए उन्हें कोई बिल भुगतान नहीं करना है। समस्या का हल उन्हें क्षेत्रीय भाषा में पाने की भी सुविधा है। ये सुविधाएं उन्हें हर घंटे तथा हर दिन उपलब्ध होगी।

किसान चैनल योजनाः 21 जनवरी, 2004 से यह सेवा प्रारम्भ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान केन्द्रों से किसानों को जोड़ना है। इस चैनल का प्रसारण इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं टेरेस्टरीयल नेटवर्क के सेटेलाइट से किया जाता है। कृषि से संबद्ध विभिन्न कार्यों का प्रसारण प्रतिदिन चार बार प्रसारित किया जाता है, जो एक घंटे का होता है। इस चैनल का लाभ किसान लेकर अपने विकास की राह पर अग्रसर हो सकता है।

क्रेडिट कार्ड योजनाः यह केन्द्र सरकार की योजना है, जिसका संबंध देश के बैंक से है। इसका मूल उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध करना है। कोई भी किसान अपनी जोत भूमि का विवरण तथा अपना कोई भी पहचान पत्र बैंक को उपलब्ध कराकर अपनी फसल हेतु आवश्यक ऋण बैंक से ले सकता है। उनकी जोत के आधार पर ऋण की राशि निर्धारित कर जाती है। वे इस राशि का प्रयोग एक बार में या आवश्यकता के अनुसार थोड़ी–थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। इसका विशेष लाभ यह है कि जितनी पूंजी (रुपये) कृषक खर्च करता है उसी पर उन्हें ब्याज देना पड़ता है। ब्याज की दर 8.5 फीसदी है। क्रेडिट कार्ड का लाभ उन किसानों को भी मिल सकता है, जो अपनी निजी भूमि पर खेती नहीं करते। मगर इसके लिए उन्हें इस आशय का प्रमाणित प्रमाण पत्र देना होगा कि वे दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं।

गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजनाः इस योजना का प्रारम्भ देना बैंक द्वारा किया गया है। देश के अन्दर जहां भी इस बैंक की शाखाएं हैं, वहां से किसान इस योजना का भरपूर लाभ ले सकता है। किसान को उनकी जोत भूमि तथा फसल के आधार पर सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ कृषिगत फसलों के लिए दिया जाता है।

राष्ट्रीय फसल बीमा योजनाः इस योजना का प्रारम्भ केन्द्र सरकार ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य फसल की बर्बादी से आहत किसानों की रक्षा करना तथा उन्हें उस दिशा में पुनः प्रोत्साहित करना है। इसके तहत बीमित फसल के नष्ट हो जाने पर केन्द्र सरकार क्षतिपूर्ति करती है। मगर सही जानकारी के अभाव में इसका लाभ कम लोग ही ले पाये हैं। कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर 'नेशनल–सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन' द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से पता लगा कि देश के मात्र चार फीसदी किसानों की फसलें ही बीमित हो पायी हैं। जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

कृषि आमदनी बीमा योजनाः 21 जनवरी, 2004 को इसका प्रारम्भ भारत सरकार द्वारा किया गया। कृषि से हुए लाभ की आय के आधार पर किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। ऐसी योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाये रख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से नष्ट फसल की स्थिति में लघु एवं सीमान्त किसानों को 75 फीसदी तथा अन्य को 50 फीसदी का प्रीमियम भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है।

कृषि उपज समर्थन मूल्य योजनाः इसकी घोषणाएं प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा की जाती हैं, जिन्हें राज्य सरकार के सहयोग से कार्यान्वित कराया जाता है। कुछ राज्य सरकारें भी इसकी घोषणाएं प्रदेश स्तर पर करती हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। अत्यधिक उत्पादन की दशा में किसानों की फसल का मूल्य अत्यधिक निम्न न होने पाये तथा उनके उत्साह में गिरावट न आने पाये आदि के लिए यह व्यवस्था की गई। इसके लिए सरकार अलग–अलग फसलों के लिए अलग–अलग निम्नतम खरीद मूल्य निर्धारित करती है। इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता।

बी.पी.एल. राशन कार्ड योजनाः इस योजना का लाभ उन लघु–सीमान्त किसानों को मिलता है, जिनकी फसल सिंचाई के अभाव (सूखा) में नष्ट हो गई है। इसके लिए चिन्हित कृषकों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। 6.15 रुपये की दर पर 20 किलो चावल तथा 4.65 रुपये की दर पर 14 किलो गेंहू दिया जाता है। साथ ही साथ 10.5 रुपये (प्रति लीटर) की दर से 2 लीटर मिट्टी का तेल भी प्रदान किया जाता है।

किसान बन्धु योजनाः यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। किसानों एवं उनकी कृषि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए इसका प्रारम्भ जनपद एवं ब्लाक स्तर पर किया गया है।

बीज बदलाव योजनाः यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके तहत किसानों को उन्नत कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें उचित समय तथा मूल्य पर उच्च उत्पादन क्षमता के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। ✡

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

शुष्क खेती–एक विकसित कृषि प्रणाली

जीवन एस रजक

हमारे देश में अत्यधिक भौगोलिक विविधता पायी जाती है, यहां कहीं अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप होता है तो कहीं वर्षा के अभाव में भूमि बंजर पड़ी रहती है। वातावरण की इस अनियमितता का सीधा प्रभाव खाद्यान उत्पादन पर पड़ता है। यद्यपि वैज्ञानिक तकनीक द्वारा बीजों की ऐसी नवीन किस्मों को विकसित किया जा चुका है जो विभिन्न प्रकार के वातावरण में उगने में सक्षम हैं परन्तु वर्षा के अभाव में कुछ क्षेत्र खेती के लिये उपयुक्त नहीं रह गये हैं तथा बंजर पड़े हुए हैं, परन्तु खाद्यानों की अत्यधिक मांग तथा वातावरणीय उदासीनता को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी नवीन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली कृषि प्रणालियां विकसित की गयी हैं जिन्हें वर्षाहीन तथा बंजर भूमि पर भी लागू करके उपयोगी खाद्यान उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार शुष्क एवं बंजर खेतों में की जाने वाली कृषि प्रणाली को शुष्क खेती की संज्ञा दी जाती है।

शुष्क खेती: कृषि की एक विकसित प्रणाली है जिसके अन्तर्गत कम वर्षा या अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रभावी फसलोत्पादन किया जाता है। यह वास्तव में एक भूमि तथा फसल प्रबंध कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आर्थिक दृष्टि से फसलों की औसत मात्रा में उत्पादन के लिये कम तथा असामयिक वर्षा से भूमि में पर्याप्त नमी का संचय किया जाता है।

साधारण शब्दों में शुष्क खेती, खेती की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबंध कार्यक्रमों के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों एवं बंजर भूमि पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। हमारे देश में वर्तमान समय में जो खाद्यान उत्पन्न किये जा रहे हैं वे इस तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त नहीं हैं। अतः बढ़ती हुई पर्यावरणीय उदासीनता के कारण शुष्क कृषि का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।

> शुष्क खेती: कृषि की एक विकसित प्रणाली है जिसके अन्तर्गत कम वर्षा या अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रभावी फसलोत्पादन किया जाता है। यह वास्तव में एक भूमि तथा फसल प्रबंध कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आर्थिक दृष्टि से फसलों की औसत मात्रा में उत्पादन के लिये कम तथा असामयिक वर्षा से भूमि में पर्याप्त नमी का संचय किया जाता है।

भारत में शुष्क क्षेत्र: हमारे देश में लगभग 141.16 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, जिसमें से केवल 83.55 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं शेष भूमि पर वर्षा के सहारे ही कृषि की जाती है इन क्षेत्रों में वर्षा अलग–अलग मात्रा में होती है। सामान्यतः इन क्षेत्रों में 400 से 1000 मि.मी. वर्षा ही हो पाती है। इन क्षेत्रों को शुष्क क्षेत्र कहते हैं। हमारे देश में लगभग 47 मिलियन हेक्टेयर शुष्क क्षेत्र पाया जाता है जो कुल वर्षायुक्त क्षेत्र का 42.5 प्रतिशत के बराबर है।

भारत वर्ष के प्रमुख शुष्क क्षेत्र

- उत्तर भारत – इसके अन्तर्गत राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र तथा मध्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आते हैं।
- दक्षिण भारत – इसमें चेन्नई, मैसूर तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल हैं।
- दक्षिण–पश्चिमी भारत – इसके अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, मैसूर में ग्रेनाइट पठार वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं।

शुष्क कृषि क्षेत्रों के प्रमुख लक्षण: शुष्क कृषि क्षेत्रों में भूमि नमी का संरक्षण नहीं रहता है। अतः इन क्षेत्रों में फसलों को उगाना बहुत ही कठिन कार्य है और अगर फसलें उगाई भी जाती हैं तो उत्पादन बहुत कम होता है इन क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- वर्षा का प्रतिवर्ष कम होना तथा वर्षा की मात्रा एवं वितरण में अनिश्चितता पाया जाना।
- अत्यधिक वाष्पीकरण।
- बहुत अधिक तापमान
- वायु का बहाव तेज होने के कारण मृदा अपरदन होना।
- मृदा की जल संचय करने की क्षमता कम होने के कारण मृदा में नमी का अभाव।
- भूमि का अनुपजाऊ होना।

शुष्क खेती का प्रबंधन: शुष्क कृषि की सफलता मानसून पर निर्भर करती है शुष्क खेती की प्रमुख समस्या है मिट्टी को आवश्यकतानुसार पानी का ना मिल पाना। शुष्क खेती में भूमि तथा फसल दोनों का उचित प्रबंधन किया जाता है। भूमि में नमी का संरक्षण, खादों एवं उर्वरकों का प्रयोग, जीवांश पदार्थ की व्यवस्था, कीट एवं खरपतवार नियंत्रण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रायः शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में अच्छी फसलों को प्राप्त करने के लिये निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

- मृदाजल सरंक्षण – शुष्क कृषि क्षेत्रों में मृदा में नमी का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक होता है, नमी कम होने पर फसलों की वृद्धि पर कुप्रभाव पड़ता है। प्रायः यह देखा गया है कि वर्षा जल की अधिकतर मात्रा में अपवाह के कारण खेती को जल प्राप्त नहीं हो पाता है, इसके साथ ही जल के अपवाह के कारण मिट्टी की

उपजाऊ सतह तथा आवश्यक पोषक तत्व भी ढह जाते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है।

अतः शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रबंध करने चाहियें कि वर्षा के जल का अपवाह रुक जाये और यह जल भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाये। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

मृदाजल अवशोषण एवं जल धारण क्षमता – मृदा द्वारा जल के अवशोषण एवं जल धारण क्षमता में वृद्धि के लिये निम्न क्रियाओं को किया जाना चाहिये –

- संपूर्ण कृषि क्षेत्र को उपयोग में लाना चाहिये।
- ग्रीष्म ऋतु में खेतों की जुताई गहरी करना चाहिये जिससे मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता बढ़े।
- जैवीय खाद, हरी खाद तथा फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करना चाहिये, जिससे भूमि में लाभदायक जीवाणुओं में वृद्धि हो सके।
- ढालान वाले स्थानों में ढाल के विपरीत जुताई करनी चाहिये, जिससे पानी रुक सके।
- पानी का बहाव रोकने के लिये खेत के चारों तरफ मेड़बंदी करना चाहिये।

मृदा से जल हानि रोकना – पौधों को मृदा में उपस्थित जल पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके इसके लिए आवश्यक है कि मृदा को वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन से बचाना चाहिये। इसके लिये निम्न उपाय आवश्यक हैं –

- खेतों से खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिये।
- फसलों की बुवाई पंक्तियों में करनी चाहिये।
- एक खेत में पौधों की संख्या औसत से कम रखना चाहिये जिससे वाष्पीकरण कम हो।
- मृदा में नमी के संरक्षण तथा वाष्पीकरण को कम करने के लिये भूमि पर पोलीथीन पेपर तथा रसायनिक अवरोध परत बिछाना चाहिये।

मृदा जल का पूर्ण उपयोग – शुष्क कृषि क्षेत्रों में मृदा जल का समुचित उपयोग करने के लिये निम्न उपाय करना चाहिये–

- कम अवधि वाली फसलों को उगाना जाना चाहिये।
- ऐसी फसलों को उगाना चाहिये जो सूखा सहन कर सकें तथा जिनकी जड़े गहराई तक जाने वाली हों।
- उचित फसल चक्र को अपनाना चाहिये।

मेड़ व नालियों में फसल बोना – शुष्क क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है अतः ऐसे क्षेत्रों में वर्षा के पानी को नालियों में एकत्रित करके खरीफ की फसलों को नालियों में बोना चाहिये।

खरपतवार नष्ट करना – खेतों में उगने वाले खरपतवार मृदा जल व खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इनकी वैसे ही कमी होती है अतः खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिये जिससे ये जल और खनिज लवण पौधों को प्राप्त हो सके।

शीघ्र पकने वाली फसलों का चयन – शुष्क क्षेत्रों में शीघ्र पकने वाली फसलों का चयन करना चाहिये।

फसल चक्र अपनाना – ऐसे शुष्क क्षेत्र जहां पर साल में दो फसलें ली जाती हैं, वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाना चाहिये। ऐसे क्षेत्रों में शीघ्र पकने वाली खरीफ की खाद्यान की फसल के बाद रबी की दलहनी फसलों को बोना चाहिये।

शुष्क कृषि क्षेत्रों में जुताई या भूपरिष्करण क्रियाऐं – खेतों की जुताई कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है। शुष्क कृषि क्षेत्रों में इसका अपना अलग महत्व है जुताई तथा अन्य भूपरिष्करण क्रियाओं द्वारा शुष्क क्षेत्रों में न केवल जल का अपवाह रोकने एवं नमी को संचित करने में सहायता मिलती है बल्कि बीजों के अंकुरण एवं जड़ों को ठीक प्रकार से वृद्धि करने के लिये भी अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है।

शुष्क कृषि क्षेत्रों में जुताई खरीफ व रबी के मौसम में अलग–अलग तरीकों से की जाती है।

1. **खरीफ के मौसम में जुताई** – शुष्क क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में की जाने वाली जुताई अथवा भूपरिष्करण क्रियाओं मे निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है –

- रबी की फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से खेतों की जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिये, जिससे धूप में खरपतवार तथा हानिकारक कीट, फंगस आदि नष्ट हो जायेगा तथा भूमि में वायु संचार बढ़ जाये।
- शुष्क क्षेत्रों में नमी कम होने के करण दीमक का प्रकोप होता है अतः जुताई के अंत में खेत में 15–20 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर बी.एच. सी. या एल्ड्रीन पाउडर मिला देना चाहिये।
- खरीफ के मौसम में जुताई के बाद पाटा नहीं लगाना चाहिये।
- खरीफ के मौसम की जुताई हमेशा ढाल की विपरीत दिशा में करनी चाहिये।

2. **रबी के मौसम में जुताई** – रबी के मौसम में शुष्क कृषि क्षेत्रों की जुताई करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिये –

- उन खेतों में जिनमें खरीफ के मौसम में कोई फसल बोई गयी हो। उनमें फसल की नपाई के बाद शीघ्र जुताई कर देना चाहिये।
- रबी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई नहीं करनी चाहिये।
- अंतिम जुताई के समय दीमक के आक्रमण से बचने के लिये कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिये।
- प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर नमी को दबा देना चाहिये।

शुष्क कृषि के लिये फसलों का चयन – शुष्क कृषि प्राकृतिक वर्षा मृदा में उपस्थित नमी पर आधारित होती है अतः शुष्क कृषि में फसलों का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार की खेती के लिये फसलों का चयन करना चाहिये जिनका जीवन चक्र छोटा हो और जिनकी जड़ें गहराई तक जाती हों। साथ ही पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता हो।

हमारे देश में शुष्क खेती के लिये निम्नलिखित फसलों को उगाना लाभकारी होता है।

खरीफ की फसलें

- धान – एन–22, टी.एन.–1, वाला, साकेत–3, रत्ना एस एम एल–32, पी एस – 18, एच एल – 131
- मूँग – एस–8, आर एस–12, पूसा बैसाखी टी–44, एस एम एल–32, पी एल–131
- उर्द – टी–9, एस–1
- ज्वार – सी एच एस–1, सीएचएस–5, सीएचएस–6
- अरहर – यू टी ए–5, 120, ए–571, प्रभात, अगेती पूसा, शारदा
- तिल – टी–4, टी–11, टी–13, प्रताप
- सोयाबीन – पंजाब–1, अंकुट, जे एस–73–44

रबी की फसलें –

- गेहूं – कल्याण सोना, के–5, नर्वदा, सी–106, मुक्ता
- चना – सी–235, उज्जैन 21, उज्जैन–24, आर एस–10, आरजी–62, टी–1, टी–2, टी–6

- सरसों – वरूणा, टी–54, टी–59, बी–54
- कपास – इन्दौर ई एल 156, डी आर–172, एस–72, एच–777, एच–999
- मसूर – पूसा–1–1, पूसा 1–5, पूसा–4, पन्त–209, पंत–406, ट्रा–36

शुष्क खेती में खाद व उर्वरकों का प्रयोग

शुष्क खेती में खाद व उर्वरकों के प्रयोग से फसलोत्पादन में वृद्धि की जा सकती है इनका उपयोग करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिये –

- खादों को संतुलित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिये, अर्थात खाद में आवश्यक सभी खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में होना चाहिये।

विभिन्न फसलों के लिये पोषक तत्वों की मात्रा

फसल	नाइट्रोजन	प्रति हेक्टेयर फासफोरस	पोटाश कि.ग्रा. में
गेहूं	80	30	20
चना	15	30	15
मसूर	15	30	15
सरसों	40	20	20
मक्का	80	40	30
ज्वार	80	40	30
तिल	40	30	20
सूरजमुखी	60	40	30

- उर्वरकों का उपयोग तभी करना चाहिये जब भूमि में नमी हो।
- जीवांश खादों को जमीन में डालकर अच्छी तरह मिला देना चाहिये।

आजकल शुष्क कृषि में खाद एवं उर्वरकों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अन्य रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, जो पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के कुछ रसायनिक पदार्थ इस प्रकार हैं –

वृद्धि अवरोधक पदार्थ – इस प्रकार के रसायनों के प्रयोग से पौधों की वृद्धि कम हो जाती है किन्तु उनमें पुष्प व फल तेजी से उत्पन्न होते हैं।

वाष्पीकरण अवरोधक पदार्थ – शुष्क क्षेत्रों में जल का वाष्पीकरण रोकने के लिये निम्न रसायनिक पदार्थों का छिड़काव पौधों के ऊपर किया जाता है। फिनाइल मरक्यूरिक, कार्बन डाई ऑक्साईड, डाईयूरोन, एट्राजिन, हाइड्रोक्लीसल्फेट आदि ये रसायनिक पदार्थ पौधों के स्पेमेटा बंद कर देते है। जिससे जल का वाष्पीकरण रुक जाता है।

हमारे देश की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है परन्तु कृषि क्षेत्र सीमित है अतः वर्तमान के लिये यह आवश्यक हो गया है कि समस्त कृषि क्षेत्र पर खेती की जाये तथा कृषि की ऐसी विधियां विकसित की जायें, जिनसे अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। शुष्क खेती, कृषि की एक महत्वपूर्ण व विकसित प्रणाली है। जिसके माध्यम से सूखा प्रभावित तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक फसलोत्पादन किया जा सकता है। कृषि की इस प्रणाली के माध्यम से किसान भूमि व फसलों का उचित प्रबंधन करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं तथा देश में काफी हद तक खाद्यान समस्या का समाधान किया जा सकता है। ✡

(लेखक खाद एवं औषधि प्रशासन, टीकमगढ़ (म.प्र.) में खाद निरीक्षक हैं)

विशिष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरस्कार

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज

8, नेलसन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नयी दिल्ली–110070

दूरभाष : 26121902, 26121609 फैक्स : 26137027

ई–मेल : issnd@vsnl.com, issgen@vsnl.net

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज **विशिष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरस्कार 2006** के लिए नामांकन पत्र आमंत्रित करता है। इन पुरस्कारों की स्थापना महिला अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/प्रतिनिधियों (ग्राम, ब्लॉक/ तालुका/मंडल तथा जिला) को सार्वजनिक जीवन की समृद्धि एवं पंचायतों के विकास में उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए की गई थी। पुरस्कार 24 अप्रैल, 2006 को दिल्ली में आयोजित महिला सशक्तीकरण दिवस समारोह में दिए जाएंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया डॉ. विद्युत महांति, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली से संपर्क करें। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 1 मार्च, 2006 है।

KH-2/6/02

मशरूम उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियां

आर.एस. सेंगर

हमारे देश में मशरूम की खेती लगभग तीन दशक पहले शुरू की गई थी और तब से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। सन् 1985 में देश में मशरूम का उत्पादन मात्र 4,000 टन था जो 1995 में 30,000 टन को भी पार कर गया और इस नयी सहस्त्राब्दी के प्रथम वर्ष में 50,000 टन से भी अधिक मशरूम का उत्पादन हुआ और वर्ष 2004 तक यह आंकड़ा 60,000 टन के लगभग पहुंच गया है। प्रारम्भ में खुम्ब की उत्पादकता भी काफी कम थी उदाहरण के लिये 1970 में प्रति क्विंटल खाद से केवल 6 किलो बटन मशरूम पैदा होता था जो 1995 में बढ़कर 22 किलो तक पहुंच गया। मशरूम उत्पादन के क्षेत्रों में भी संतोषजनक विस्तार हुआ। प्रारम्भ में हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों तक ही इसकी खेती सीमित रही परंतु 90 के दशक में बटन मशरूम के गैर–मौसमी फार्म देश के विभिन्न राज्यों में लगाये गए जहां वर्षभर वातानुकूलित कमरों में बटन मशरूम का उत्पादन होने लगा। परंतु देश में उगाई जाने वाली मशरूम की जातियों में जो विविधता अपेक्षित थी वो नहीं आ पाई और पिछली शताब्दी के अंत तक भी बटन मशरूम का ही बोलबाला रहा। आज भी कुल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत भाग बटन मशरूम का है और ढिंगरी, पुआल का मशरूम तथा दुधिया मशरूम तीनों मिलकर भी शेष 15 प्रतिशत की ही भागीदारी कर पाते हैं। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि अन्य तीनों किस्मों के खुम्बों के उगाने की विधि अपेक्षाकृत बहुत सरल है और उन्हें उपोष्ण एवम् उष्ण जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है तथा उन्हें उगाने में लागत भी काफी कम आती है। फिर भी देश के किसानों द्वारा इन खुम्बों को सीमित परिमाण में ही स्वीकार किया गया है जिनके मूलभूत कारणों का पता लगाना और उन्हें दूर करना अति आवश्यक है। दूसरी ओर, हमारे पड़ोसी देश चीन में, जहां मशरूम की खेती भारत के साथ ही शुरू हुई थी, 80 के दशकों में ढिंगरी के उत्पादन में 400 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई और आज भी वह दुनिया में ढिंगरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारे देश में भी इन खुम्बों को उगाने के लिये आवश्यक सामग्री एवं परिस्थितियां जैसे अनुकूल मौसम, कृषि व्युत्पादों की प्रचुरता, सस्ती जनशक्ति तथा एक बहुत बड़ी शाकाहारी आबादी (जिनमें प्रोटीन कुपोषण एक सामान्य समस्या है) विद्यमान है, फिर भी इनकी खेती में हमें अभी काफी प्रगति करनी है। स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश में मशरूम की खेती के संबंध में भी पर्याप्त विकल्प उपलब्ध होने चाहिए ताकि विभिन्न परिस्थितियां, मौसमों एवं सामाजिक स्थितियों के अनुसार अलग–अलग किस्म के मशरूम की खेती की जा सके और गांव–गांव में लोग इसे एक आमदनी के स्रोत के रूप में तथा एक पौष्टिक भोज्य पदार्थ के रूप में अपना सकें।

मशरूम उत्पादन

आज दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में मशरूम की खेती की जाती है और इसके उत्पादन में 7 प्रतिशत से भी अधिक वार्षिक वृद्धि हो रही है। आज विश्व का कुल खुम्ब उत्पादन 50 लाख टन से भी अधिक

हो गया है और अगले 10 वर्षों में 70 लाख टन तक पहुंचने की आशा है। यूरोप तथा अमेरिका के कुछ देशों में मशरूम की खेती एक उच्च तकनीकीयुक्त उद्योग का रूप ले चुकी है जिसमें बड़ी–बड़ी मशीनों तथा कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाता है। मशरूम के उत्पादन में यूरोप के देशों की भूमिका अहम् है जबकि अमेरिका मशरूम की खपत में सबसे आगे है। दूसरी ओर भारत सारी सुविधाएं होने के बावजूद न तो उत्पादन में और न ही खुम्ब की खपत में अग्रणी है।

तकनीकी दृष्टि से हमारे देश में मिश्रित परिस्थितियां मौजूद हैं और आज भी बटन मशरूम की खेती मौसमी तथा वातानुकूलित परिस्थितियों दोनों में की जा रही है। एक ओर मशरूम निर्यातक फार्मों में उच्च/आयातित तकनीकों तथा किस्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारी मशीनों से काम लिया जा रहा है तो दूसरी ओर छोटे–छोटे मौसमी फार्मों में पुरानी एवं घिसी–पिटी तकनीकियों का भी समुचित प्रयोग नहीं किया जाता है। इन दोनों के बीच देश में कुछ छोटे वातानुकूलित फार्म भी विद्यमान हैं जो देश में विकसित तकनीकों/किस्मों का उपयोग करते हैं अपेक्षाकृत कम लागत पर भी उन्हें मध्यम परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सब कारणों से मशरूम की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में काफी अन्तर पाया जाता है जिसके चलते इन फार्मों के मुनाफे में भी अन्तर पाया जाता है। इन सारी परिस्थितियों का देश के मशरूम उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसे आज भी स्थिरता नहीं मिल सकी है। उत्पादन संबंधी इन समस्याओं के कारण देश में खुम्ब की खपत पर भी बुरा असर पड़ा है जिससे खुम्ब के व्यापार में आशातीत सफलता नहीं मिल सकी है और बीच–बीच में बाजार संबंधी समस्याएं खड़ी होती रही हैं। यदि राज्यों की स्थिति पर गौर किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि लगभग सभी राज्यों ने मशरूम की खेती को किसानों तक ले जाने की कोशिश की है, परन्तु मशरूम जो एक शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य सामग्री है उसके विपणन तथा खपत को बढ़ावा देने के लिये कोई भी प्रयास नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार खुम्ब की निर्यातक इकाईयों ने देश में खुम्ब की खपत को बढ़ावा देने के लिये कुछ भी प्रयास नहीं किया है जिसके

फलस्वरूप उन्हें अपना संपूर्ण उत्पादन विदेशी बाजारों में ही बेचना पड़ता है और अपने विदेशी ग्राहकों द्वारा गया मूल्य ही स्वीकार करना पड़ता है। यदि वे घरेलू–बाजार में भी मशरूम के विपणन को बढ़ावा देने के लिये सम्मिलित प्रयास करें, तो उन्हें विदेशी एवं घरेलू दोनों बाजारों से लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

भारत से मशरूम के निर्यात में भी वृद्धि 90 के दशक में ही हुई है जब निर्यात सूची में संसाधित मशरूम को भी जोड़ दिया गया। उसके पूर्व भारत से अधिकांशतः जंगलों से प्राप्त ढिंगरी तथा गुच्छी को सूखाकर दूसरे देशों में भेजा जाता था। सन् 1990–91 और 1995–96 के बीच मशरूम के निर्यात में आशातीत वृद्धि हुई और खुम्ब निर्यात का कुल मूल्य 50 करोड़ रुपये से भी ऊपर चला गया। इसके उपरांत विश्व बाजार में आई मन्दी के कारण 1996–97 और 1997–98 में संसाधित मशरूम के निर्यात में गिरावट आई परंतु ताजे एवं सुखाये गये मशरूम के निर्यात में वृद्धि होने के कारण कुल निर्यात मूल्य में कोई विशेष गिरावट नहीं देखी गई। यहां यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भारत में होने वाले निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत भाग अमेरिका को जाता है अतएव हमें भारतीय खुम्ब एवं खुम्ब उत्पाद के लिये नये विदेशी बाजार खोजने की सख्त जरूरत है ताकि हमारी किसी एक देश पर निर्भरता समाप्त की जा सके। विदेशी बाजार में हमारा मुख्य प्रतियोगी चीन है जो एशियाई देशों में सबसे बड़ा निर्यातक है। हालांकि चीन में उगाये गये मशरूम की गुणवत्ता भारतीय मशरूम की तुलना में काफी कम है। स्पष्ट है कि भारतीय खुम्ब उत्पादकों को आने वाले वर्षों में दोहरी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें अपनी अच्छी गुणवत्ता को बनाये रखना होगा और उत्पादन लागत को कम करके भारतीय मशरूम के मूल्य को भी कम करना होगा।

हमारे देश में मशरूम की खेती लगभग तीन दशक पहले शुरू की गई थी और तब से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। आज दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में मशरूम की खेती की जाती है और इसके उत्पादन में 7 प्रतिशत से भी अधिक वार्षिक वृद्धि हो रही है। आज विश्व का कुल खुम्ब उत्पादन 50 लाख टन से भी अधिक हो गया है और अगले 10 वर्षों में 70 लाख टन तक पहुंचने की आशा है।

मशरूम की खपत

हमारे देश में आज भी मशरूम की खपत बहुत कम है और यूरोप एवं अमेरिका के देशों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दो से तीन किलो मशरूम की खपत की तुलना में भारत में केवल 20–25 ग्राम मशरूम की खपत होती है। इसके मुख्य कारण देश में खुम्ब की बहुत कम उपलब्धता, अधिक मूल्य, लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति, मशरूम के पोषक एवं औषधीय गुणों के बारे में अनभिज्ञता तथा देश के कई भागों में मशरूम संबंधी भ्रांतियां आदि हैं। वर्तमान आंकड़ों से यह पता चलता है कि दुनिया के 6 देशों में – अमेरिका (30 प्रतिशत), जर्मनी (17 प्रतिशत), ब्रिटेन (11 प्रतिशत), फ्रांस (11 प्रतिशत), इटली (10 प्रतिशत) तथा कनाडा (6 प्रतिशत), लगभग 85 प्रतिशत मशरूम की खपत हो जाती है और बाकी बचे हुए देशों में केवल 15 प्रतिशत मशरूम की खपत होती है। स्पष्ट है कि मशरूम की खपत का लोगों की आमदनी के साथ सीधा संबंध है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में भी लोगों के जीवन स्तर में और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता आई है। अतः यदि मशरूम के गुणों के बारे में आवश्यक जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए, मशरूम की उपलब्धत बढ़ाई जाए और उनके मूल्यों में कुछ कटौती की जाए तो हमारे देश में मशरूम की खपत में काफी वृद्धि की जा सकती है। खपत में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है तथा इसके विपणन में भी सुधार लाया जा सकता है।

नई सहस्त्राब्दी में विश्व बाजारीकरण के कारण कृषि के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां सामने आ गई हैं। चूंकि मशरूम एक कैश क्राप है अतः देश में इसके उत्पादन, विपणन एवं निर्यात की समुचित योजना बनाई जानी चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में हम दूसरे देशों से सफल प्रतिस्पर्धा कर सकें और देश के मशरूम उत्पादक समुचित लाभ कमा सकें। इसके लिये हमें अपनी कमजोरियों और ताकत का सही अंदाजा लगाना होगा जिनके आधार पर हम इस महत्वपूर्ण फसल के उत्पादन में वृद्धि और इसके विपणन में सुधार लाने की एक सही कार्य–योजना बना सकें।

कमियां

- उच्च फलनशील एवं अच्छे गुणों वाली किस्मों का अभाव
- उच्च उत्पादन लागत
- घटिया उत्पाद और उनमें मौजूद वर्तमान जीवनाशियों के अवशेष
- देश में बनी बड़ी मशीनों का अभाव
- मशरूम का उत्पादन केवल एक–दो जातियों तक सीमित घेरलू बाजार में मशरूम की सीमित उपलब्धता एवं खपत
- खुम्ब के संसाधन, पैकिंग तथा गुणवत्ता मापक विधियों की कमी
- खुम्ब के उद्यमियों/उत्पादकों की कमजोर आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उच्च ब्याज दर
- खुम्ब तथा खुम्ब के उत्पादों संबंधी विज्ञापनों का अभाव
- खुम्ब के पोषक एवं औषधीय गुणों के बारे में अनभिज्ञता
- अनुसंधान संस्थानों एवं उद्योग संस्थाओं के बीच तालमेल की कमी
- विपणन एवं मूल्य संरक्षण सुविधाओं की कमी
- अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों में विलम्ब तथा मंद प्रगति
- उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी

सहायक

- जलवायु विविधता
- एक विशाल घरेलू बाजार
- सस्ते एवं आसानी से उपलब्ध श्रमिक
- विभिन्न प्रकार के कृषि अवशिष्टों की विशाल मात्रा
- अधिकांशतः शाकाहारी आबादी
- सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों की एक बड़ी संख्या
- अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का एक प्रभावी जाल
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी जनशक्ति का एक व्यापक आधार

उपरोक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि खुम्ब के विकास के लिये हमें कई प्रकार की कमियों को दूर करना होगा ताकि हम मूलभूत सुविधाओं का सही उपयोग कर सकें और देश में खुम्ब उत्पादन एवं खपत को सशक्त बना सकें। चूंकि हमारी कमियां विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, अतः उन सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं को आपस में मिल–जुल कर इन समस्याओं का निदान ढूंढना होगा जो खुम्ब के विकास से जुड़े हैं। परंतु इन समस्याओं का कम से कम समय में निराकरण तभी संभव है जब हमें अपने लक्ष्यों का पूरा ज्ञान हो और

उन्हें प्राप्त करने के लिये हमारी योजनाएं एवं दिशानिर्देश हमें पूरी तरह मालूम हो। ऐसे ही एक कार्य–योजना का प्रारूप नीचे दिया जा रहा है।

कार्य योजना का प्रारूप

- उत्पादन लागत में कटौती विशेषकर वातानुकूलित फार्मों में सीमित एवं देसी मशीनों का इस्तेमाल करना होगा
- खुम्ब की उच्च फलनशील एवं अच्छी गुणवत्ता वाली प्रजातियों का विकास एवं उपयोग बढ़ाना होगा
- अगले 10 वर्षों में उत्पादन इकाइयों की संख्या एवं मशरूम की उत्पादकता बढ़ा कर हमें देश का उत्पादन दो गुणा करना होगा
- विभिन्न प्रकार के खुम्बों की उत्पादन विधियों का विकास एवं उन्नयन करके फसल प्रणाली में विविधता लानी होगी
- मशरूम–उत्पादन तकनीक पर समग्र प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना और एक मजबूत प्रशिक्षित जनाधार तैयार करना है
- मश्रूम की उत्पादकता एवं उत्पादन को कुशल फसल प्रबन्धन द्वारा टिकाऊ बनाना है
- रोगों एवं नाशक–जीवों के समेकित प्रबंधन द्वारा मशरूम एवं उत्पादों में रसायनिक अवशेषों को दूर/कम करना है
- ताजे मशरूम की पैकिंग तथा विपणन संबंधी अनुसंधान एवं विकास में वांछित सुधार लाकर फसल उपरांत गुणवत्ता/मात्रा में होने वाली हानियों को कम करना है
- सरकारी एवं गैर–सरकारी स्तर पर खुम्ब के बीज उत्पादन के लिये अच्छी प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उनके उत्पादों की गुणवत्ता का नियंत्रण
- दूर–दराज के बाजारों के लिये मशरूम की डिब्बाबंदी एवं शीत–शुष्कन की विधियों को सस्ती एवं प्रतियोगी बनाना
- मशरूम के मूल्यवर्धित एवं संसाधित उत्पादों जैसे अचार, सूप पाउडर, मुरब्बा, बिस्कुट तथा अन्य तैयार उत्पादों का विकास कर मशरूम की उपलब्धता एवं खपत को बढ़ाना
- मशरूम की सहकारी खेती एवं विपणन के लिये सामूहिक स्तर पर मशरूम पार्कों की स्थापना करना। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सामूहिक प्रयास करने होंगे ताकि विश्व बाजारीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकें। हमें अपने अनुसंधान एवं विकास से संबंधित संस्थानों को मजबूत करना होगा और अपने वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के उचित अवसर प्रदान करने होंगे। हमें अपने अनुसंधान संस्थानों एवं औद्योगिक घरानों के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करने होंगे जिससे नयी–नयी तकनीकों का तत्काल स्थानान्तरण हो सकें। मशरूम उत्पादकों एवं उद्यमियों को सरकार की तरफ से पर्याप्त आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता के साथ–साथ न्यूनतम मूल्य–संरक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की भी सुविधा प्रदान करनी होगी ताकि खुम्ब के उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। इसी प्रकार गैर–सरकारी संस्थाएं भी और मशरूम के पोषक, औषधीय गुणों एवं आमदनी देने वाली क्षमताओं के बारे में जनता में जागरूकता लाकर अहम् भूमिका अदा कर सकती हैं और मशरूम के उत्पादन एवं खपत दोनों में अपेक्षित बढ़ोत्तरी ला सकते हैं।

उपयोगिता

विश्व एवं देश में आबादी बढ़ने के साथ–साथ खाद्यान्नों की भी कमी होना स्वाभाविक है। हमारा देश एक विकासशील देश है, जिसकी बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ऐसे खाद्य पदार्थों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो कि मूल रूप से भरपूर पौष्टिक है। ऐसी स्थिति में मशरूम की खेती का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि यह एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिससे न केवल क्षुधापूर्ति की जा सकती है वरन् पोषक तत्वों की कमी भी पूरी की जा सकती है। इसकी खेती क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभप्रद है क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी जमीन एवं प्रति फसल कम समय की आवश्यकता होती है।

पौष्टिकता

मशरूम पौष्टिकता की दृष्टि से एक अनूठा खाद्य पदार्थ है जिसका भोजन के रूप में आदिकाल से प्रचलन है। प्राचीन काल में इसका उपयोग भोजन में स्वाद व सुगंध के लिए किया जाता था। वर्तमान में मशरूम का उपयोग इसमें विद्यमान पौष्टिक तत्वों के कारण और भी बढ़ गया है।

प्रोटीन के स्त्रोत के रूप में मशरूम का विशेष महत्व है। इसमें 3.50 प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है जोकि 60–70 प्रतिशत तक पाचनशील है। मशरूम के प्रोटीन में मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसकी प्रोटीन पादप तथा आमिष प्रोटीन के मध्य मानी जाती है। मशरूम में सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, लोहा व तांबा उचित मात्रा में पाए जाते हैं जोकि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है तथा इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के विकार होने की संभावना बढ़ जाती है।

मशरूम में विटामिन बी तथा सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फोलिक अम्ल व विटामिन बी 12 भी पाया जाता है जो सब्जियों में साधारणतया नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त थाइमीन, रीबोफ्लेविन, नाइसिन, पैन्टोथीनिक अम्ल व बायोटिन भी उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 20–40 प्रतिशत व वसा 0.3–0.4 प्रतिशत तक होती है। इसकी वसा में कोलेस्ट्राल, जोकि उच्च रक्तचाप व ह्रदय के रोगियों के लिए घातक है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है तथा मशरूम में कोलेस्ट्राल की मात्रा को कम करने की भी क्षमता पाई जाती है। श्वेत सार तथा शर्करा की मात्रा बहुत कम होने के कारण यह मधुमेह, अति अम्लीयता तथा कब्ज के रोगियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

गुण

पौष्टिकता के साथ–साथ औषधीय गुणों के कारण मशरूम का महत्व और भी बढ़ जाता है। ह्रदय रोग, बेरी–बेरी, चर्म रोग, बच्चों का सूखा रोग तथा मधुमेह के रोगियों के लिए मशरूम का सेवन अत्यधिक लाभकारी है। फाइबर (रेशा) की मात्रा अधिक होने के कारण यह कब्ज व एसिडिटी को कम करता है।

पर्यावरण अनुकूल

पर्यावरण में सुधार लाने की दृष्टि से भी मशरूम की खेती अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी खेती के लिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं। जैसे चना, मक्का, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के मशरूम में सदुपयोग से पर्यावरण दूषित होने से बचाव के साथ–साथ प्रोटीन बाहुल्य भोज्य उपलब्ध होता है।

रोजगार का साधन

मशरूम की खेती बेरोजगार नवयुवकों व भूमिहीन किसानों के लिए रोजगार का अच्छा साधन है। जिनके महत्व को देखते हुए अब इनकी खेती की विधि उपलब्ध है। प्रकृति प्रदत्त कमरे के तापक्रम पर विभिन्न प्रजातियों के समावेश से मशरूम की खेती वर्ष के सभी महीनों में देश के सभी भू–भाग पर करना संभव है। जिससे देश को बहुमूल्य भोज्य एवं विदेशी मुद्रा अर्जित करने का सुअवसर प्राप्त होगा। ✡

(लेखक कृषि विज्ञान केन्द्र, मेरठ में सह–निदेशक (प्रचार) हैं)

राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम

घनश्याम वर्मा

बून्दी जिले की समस्त 1438 राजकीय तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मिड डे मील स्कीम) सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लाभ प्राथमिक विद्यालयों, राजीव गांधी पाठशालाओं, वैकल्पिक विद्यालयों, शिक्षाकर्मी विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों में कक्षा पहली से पांचवी तक अध्ययनरत एक लाख 23 हजार से अधिक छात्र–छात्राओं को प्रदान किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के लिए धनराशि केन्द्र सरकार से ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त होती है। बून्दी जिले में जिला परिषद द्वारा पंचायत समितियों को बजट आवंटित किया जाता है, जिसे पंचायत समितियां, ब्लाक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालय प्रबन्धन समितियों को प्रदान करती हैं। पोषाहार योजना के तहत उठाये जाने वाले गेंहू की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), भारतीय खाद्यय निगम के डिपो मेनेजर, जिला रसद अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा कृषि विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी सम्मिलित है। इस समिति द्वारा गेंहू की गुणवत्ता जांच करने के बाद खाने योग्य पाये जाने पर ही उठाव किया जाता है। भोजन बनाने से पूर्व गेंहू की साफ सफाई तथा वितरण करने सम्बन्धी सार्थक प्रबंध किये गये हैं। बून्दी जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पके हुए भोजन की वितरण व्यवस्था के पर्यवेक्षण का दायित्व पर्यवेक्षण समितियों को दिया गया है। इन समितियों में सरपंच/वार्ड पार्षद को अध्यक्ष तथा वार्ड पंचों, अभिभावकों एवं सम्बन्धित ए.एन.एम. को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जो इस कार्य में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिले में शाला विकास एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से पके हुए पोषाहार की व्यवस्था की जा रही है।

> राजस्थान प्रदेश में वर्ष 2001 से आरंभ हुए इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में राज्य के 75 हजार विद्यालयों में एक करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं, जिनमें केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा आधी–आधी राशि वहन की जाती है।

जिले में मिड डे मील कार्यक्रम के तहत सोमवार से शनिवार को प्रतिदिन मध्यान्तर में विद्यार्थियों को पका हुआ पौष्टिक आहार दिया जाता है। सप्ताह के प्रथम दिन अर्थात सोमवार को बच्चों को परोसा जाता है मीठा दलिया तथा साथ में दाल या कढ़ी भी। मंगलवार को चपाती एवं मौसमी सब्जी, तो बुधवार को नमकीन या मीठे चावल परोसे जाते हैं। प्रत्येक गुरूवार को बच्चे दाल बाटी का आनंद उठाते हैं। शुक्रवार को खिचड़ी या नमकीन दलिया और शनिवार को उन्हें दाल एवं रोटी परोसी जाती है। बच्चे इन विविधतापूर्ण व्यंजनों को अपने घरों से भी अधिक रूचि के साथ विद्यालयों में खाते हैं।

प्रत्येक विद्यालय में खाना पकाने का स्थान साफ सुथरा–रखने तथा पकाने एवं खिलाने के पात्र साफ–सुथरे होने और बच्चों को हाथ धोकर ही खाना खिलाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये है। शहरी एवं ग्राम क्षेत्र के विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), ब्लाक शिक्षा अधिकारियों, अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारियों, ब्लाक संदर्भ अधिकारी तथा संकुल संदर्भ अधिकारियों को मासिक लक्ष्य आवंटित किये गये हैं। जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा उपखण्ड अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विद्यालयों में जाकर मिड डे मील कार्यक्रम का निरीक्षण करने के राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है।

जनसहभागिता की अपील

पंचायती राज विभाग एवं बून्दी जिले के प्रभारी सचिव श्री आर.पी. जैन ने जिले की शिक्षण संस्थाओं में संचालित मिड डे मील (मध्यान्ह भोजन) कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक संस्थाओं, दानदाताओं, स्वयं सहायता समूहों, वाणिज्यिक संगठनों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान प्रदेश में वर्ष 2001 से आरंभ हुए इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में राज्य के 75 हजार विद्यालयों में एक करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं, जिनमें केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा आधी–आधी राशि वहन की जाती है। प्रभारी सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की ओर खास ध्यान दे रही हैं और उन्होंने विदेशों में जाकर भी वहां के प्रवासियों को इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

प्रभारी सचिव श्री जैन ने कहा कि बैंगलोर की सामाजिक संस्था अक्षय फाउन्डेशन जयपुर के आसपास के विद्यालयों के करीब 15 हजार बच्चों को प्रतिदिन पका हुआ गर्म भोजन पहुंचा रही है। इसी प्रकार उदयपुर में भी करीब 14 हजार बच्चों को लाभान्वित करने के लिए एक स्वयं सेवी संस्था आगे आई है। प्रभारी सचिव ने कहा कि बून्दी नगर एवं जिले में किसी भी उपखण्ड अथवा ब्लाक में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करने हेतु भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा व्यापारिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रति बालक दी जाने वाली राशि मुहैया करवा दी जायेगी। साथ ही केन्द्रीकृत किचन शेड बनाकर भी दिया जायेगा। सामाजिक संस्थाओं से समाज सेवियों को भी इस कार्यक्रम में तन–मन–धन से सहयोग करना चाहिए और यह सहयोग बच्चों को फल एवं दूध उपलब्ध करवाकर, स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर तथा अन्य प्रकार की आवश्यक सामग्री मुहैया करवाकर किया जा सकता है। श्री जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत विद्यालयों की रसोई में खाना बनाने के काम आने वाले बर्तन भेंट करने वाले दानदाताओं के नाम उन बर्तनों पर लिखने के निर्देश भी संस्था प्रभारियों को दिये गये हैं। ✡

सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बून्दी (राज.)

हल्दी रखे हैल्दी

विनोद गुप्ता

शुभ तथा मांगलिक अवसरों पर और भोजन तथा घरेलू चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी का विश्व में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन भारत में होता है।

घरेलू चिकित्सा पद्धति में हल्दी हजारों रोगों की एक अचूक औषधि मानी गई है। इसका इस्तेमाल दवा के लिए रूप में विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए लोग करते हैं। आयुर्वेदों में भी इसकी काफी महत्ता बताई गई है।

भारत की विभिन्न मसाला फसलों में हल्दी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। देश में लगभग 1045 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। प्रतिवर्ष लगभग 325 हजार टन इसका उत्पादन होता है। एक एकड़ क्षेत्र में 8 क्विंटल बीज बोने से 200 क्विंटल हल्दी का उत्पादन होता है।

हल्दी तभी आवश्यक पोषक और रासायनिक तत्वों से परिपूर्ण है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा आदि सभी कुछ होता है। खनिजों में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि विटामिनों में ए व बी अधिक मात्रा में होते हैं।

हल्दी की फसल को मध्य अप्रैल से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बोना चाहिए। इसका पौधा दो से तीन फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते केले के नए पत्ते के समान एक से डेढ़ फुट लंबे तथा 6 से 7 इंच चौड़े तथा इतने ही लंबे, कुछ नोकदार एवं आम के पत्तों की तरह गंध वाले होते हैं। हल्दी की खेती के लिए गर्म तथा आर्द्रता वाला मौसम ज्यादा उपयुक्त रहता है।

हल्दी में कैंसर को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। चर्म कैंसर के लिए जिम्मेदार मेनानोमा ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने में हल्दी में सफलता प्राप्त की है। इसके इस्तेमाल से ट्यूमर कोशिकाओं के विकास को पूरी तरह रोका जाना संभव हुआ है। मेनानोमा ट्यूमर कोशिकाओं को बढ़ावा देने वाले मॉलीक्यूल एनएफ काफा बी, को हल्दी पूरी तरह रोक देती है। रेडिएशन थैरेपी में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले 20 वर्षों से अमेरिका में कैंसर दूर करने के एजेंट के रूप में हल्दी का अध्ययन किया जा रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जो लोग अपने भोजन में हल्दी की ज्यादा मात्रा लेते हैं, उनमें कोलोन कैंसर की दर काफी कम पाई जाती है।

हल्दी के बारे में पूर्व में किए गए शोध अध्ययनों से यह बात सामने आई थी कि जो लोग खाने में हल्दी का उपयोग ज्यादा करते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर तथा कोलोन कैंसर की शिकायत कम देखने को मिलती है। अब नये शोध से पता चला है कि हल्दी में कुर्कुमिन नामक केमिकल पिगमेंट होता है तो मुख्यतः स्तन कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को रोकता है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के योक्रापॉटिक्स एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट और कैंसर सेंटर, ह्यूस्टन में गहन अध्ययन किया जा रहा है।

• नेत्र ज्योति बढ़ाने के हल्दी का जवाब नहीं। हल्दी के कोमल पत्तों का रस निकाल कर छान लें तथा उसे दो–दो बूंद प्रतिदिन आंखों में डालें। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। • यदि कान का दर्द सताए तो सफेद फिटकरी और हल्दी की एक एक ग्राम मात्रा लेकर पीस लें तथा छानकर उसकी एक–एक चुटकी कानों में डालें बहते हुए कान की यह रामबाण दवा है। • सर्दी, जुकाम से निजात पाने के लिए एक गिलास गर्म दूध में दो चुटकी हल्दी पाउडर तथा एक चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर सेवन करें। इसका काढ़ा जुकाम की प्रभावी दवा है। काढ़ा बनाने में दूध में हल्दी व गुड़ मिलाएं। • असावधानीवश यदि शरीर का कोई अंग जल जाए या झुलस आए तो हल्दी को पानी में घोलकर लगा देने से आराम मिलता है। • हड्डी टूट जाने, मोच आ जाने या भीतरी चोट आने पर हल्दी का लेप करना चाहिए अथवा गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना चाहिए। • यदि पेट में कीड़े हो गए हों तो गुड़ और हल्दी मिलाकर सेवन करने से मर जाते हैं। • सर्दियों में कच्चे दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर शरीर पर लेप करने से त्वचा में निखार आ जाना है। यदि पैरों में बिवाइयां हो रही हों तो उन पर सरसों का तेल लगाएं तथा ऊपर से थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें। • मुंह में छाले हो जाने पर हल्दी पाउडर को गुनगुना करके छालों पर लगाएं अथवा गुनगुने पानी में हल्दी पाउडर घोलकर उससे कुल्ला करें। • खांसी से छुटकारा पाने के लिए हल्दी की एक छोटी सी गांठ मुंह में रखकर चूसना चाहिए। • यदि गले में दर्द या सूजन हो, तो कच्ची हल्दी अदरक के साथ पीसकर गुड़ मिलाकर गर्म कर लें और इसका सेवन करें। यदि गले में कफ अटकता हो, तो हल्दी को दूध में उबालकर पिएं। • हल्दी में विषनाशक गुण भी है। यदि कोई विषैला कीड़ा–मकोड़ा काट ले तो हल्दी को पीसकर लेप तैयार कर ले तथा उसे गर्म करके लगाएं। • हल्दी की उबटन रूप सौंदर्य को निखार कर उसमें चार चांद लगा देती है। तभी तो दूल्हे–दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। इससे उनकी त्वचा कांति मय हो जाती है। यही नहीं इसके लेप से शरीर की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। • सिरदर्द हो या बदन का दर्द, हल्दी चूर्ण को दूध के साथ लेने पर राहत मिलती है। • यदि जोड़ों का दर्द हो या सूजन हो, तो हल्दी चूर्ण को पानी में घोलकर उस पेस्ट का लेप करना चाहिए। • यकृत के लिए भी हल्दी काफी लाभदायक है। • गर्दन का रूप सौंदर्य निखारने के लिए प्रतिदिन उस पर हल्दी लगाएं। • चेहरे पर व्याप्त अनावश्यक दाग–धब्बे और झाइयों को मिटाने के लिए हल्दी और काले तिल को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें तथा उसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। सूखने पर चेहरा धो डालें। हल्दी और चंदन लगाने से तो चेहरा खिल उठता है। • सनबर्न यानी सूर्य की तपन से यदि त्वचा झुलस जाए या काली पड़ जाए, तो हल्दी पाउडर में बादाम का चूर्ण तथा दही मिलाकर प्रभावित भाग पर लगाएं। • दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए हल्दी में सेंधा नमक मिलाकर मलना चाहिए। यदि इसमें सरसों का तेल मिला दिया जाए तो यह पायरिया नाशक मंजन बन जाता है। • पीलिया रोग में छाछ में हल्दी घोलकर सेवन करने से भी लाभ होता है। • आंखें दर्द करती हों, उनमें सूजन आ गई हो, तो एक भाग हल्दी को बीस भाग पानी में मिलाकर उबाल लें। छान कर दो–दो बूंद आंखों में डालें। वाकई हल्दी रखे हैल्दी। ✡

(स्वतंत्र पत्रकार)

लघु उद्योग क्षेत्र में लम्बी छलांग

लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र रोजगार सृजन, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जीवन्त क्षेत्र है। देश के सकल औद्योगिक उत्पादन का 40 फीसदी से अधिक और निर्यात का 35 फीसदी से अधिक लघु तथा मझौले उद्योगों की देन है। देश में इस क्षेत्र की 32 लाख से अधिक इकाइयां हैं। इस क्षेत्र के तीव्र विकास से भारत वृद्धिगत अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सकेगा।

वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियां

108 वस्तुएं आरक्षित सूची से बाहर की गईं

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि हितधारकों से विचार–विमर्श के बाद और उद्योग (विकास तथा विनयमन) अधिनियम 1951 के तहत गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर 108 वस्तुओं को आरक्षित सूची से हटा लिया जाएगा। तदनुसार लघु उद्योग मंत्रालय ने 28 मार्च, 2005 को एक अधिसूचना जारी कर 108 वस्तुओं (दस उप–उत्पादों सहित) को आरक्षित सूची से हटा लिया। इनमें वस्त्र उत्पादों से लेकर कृषि उपकरण आदि तक शामिल हैं। इन उत्पादों को आरक्षित सूची से हटाने का उद्देश्य इनके उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और सीमित निवेश जैसी बाधाओं को दूर करना था। इन वस्तुओं के आरक्षित सूची से हटा लिए जाने के बाद लघु उद्योग क्षेत्रों में निर्माण के लिए 506 मदें रह गई हैं।

कार्य निष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग स्कीम

सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके विकास के लिए कुछ नीतिगत पहलें की। कार्य–निष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग स्कीम पर 7 अप्रैल, 2005 को एक नई स्कीम शुरू की गई। स्कीम का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र के क्रेडिट रेटिंग की जरूरत के बारे में जागरूक बनाना और लघु उद्योग इकाइयों को अच्छा वित्तीय रिकार्ड बनाए रखने के लिए प्रेरित करना था। इससे उनकी वित्तीय साख बढ़ेगी और अपनी कार्यगत पूंजी तथा संबंधी जरूरतों के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय लघु उद्योग तथा कृषि व ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली में इस स्कीम का शुभारंभ किया था।

लघु तथा मझौले उद्यम विकास विधेयक–2005

लघु तथा मझौले उद्यम विकास विधेयक, 2005, 12 मई, 2005 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में विनिर्माण उद्यमों के मामले में लघु उद्योग उस उद्यम को माना गया है, जिसमें संयंत्र तथा मशीनरी 5 करोड़ रुपए से अधिक का न हो। सेवा क्षेत्र में लघु उद्यम उन उद्योगों को माना गया है जिनमें उपकरणों पर दो करोड़ रुपए से अधिक का निवेश न हुआ हो।

विधेयक में लघु तथा मझौले उद्योगों के संवर्धन और विकास तथा इनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान है। विधेयक को विभाग की संसदीय स्थाई समिति को भेजा गया था। स्थाई समिति ने 4 सितम्बर, 2005 को अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत कर दी थी। इसमें कई सिफारिशें दी गई थी। अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई और तदनुसार लघु तथा मझौले उद्यम विकास विधेयक, 2005 में संशोधन प्रस्तावित किए गए।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

संप्रग सरकार ने अपने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में घोषणा की थी कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की कार्यशैली में सुधार किया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने केवीआईसी को भंग कर दिया। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005, 22 अगस्त, 2005 को लोक सभा में पेश किया गया। विधेयक को विचार के लिए विभाग से संबंधित संसदीय स्थाई समिति को भेज दिया गया। सांसद श्री संतोष बगरोडिया इस समिति के प्रमुख है। समिति ने 13 दिसम्बर, 2005 को सांसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

कुछ और पहलें

संप्रग सरकार ने इस वर्ष उद्योग क्षेत्र में जान फूंकने के लिए कई अन्य कदम भी उठाये। असंगठित क्षेत्र के उद्योगों के लिए डा. अर्जुन दास गुप्ता की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग से सरकार ने असंगठित क्षेत्र श्रमिक विधेयक 2004 के मसौदे पर विचार करने एवं इसका उचित विकल्प पेश करने को कहा है। आयोग ने इस दिशा में कार्य करते हुए दो मसौदा विधेयक, पहला असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक (मसौदा) 2005 और दूसरा, असंगठित क्षेत्र (कार्य के हालात एवं जीविका प्रोत्साहन) विधेयक 2005 पेश किए। इन मसौदा विधेयकों पर सरकार में अब उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है।

हाल ही में, मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए के बजट से पारम्परिक उद्योग संवर्धन कोष स्कीम (स्फूर्टि) शुरू की है जिसका उद्देश्य खादी क्षेत्र में शिल्पियों, नारियल से संबंधित हस्तकरघा उद्योगों ग्रामीण उद्योगों और इनसे संबद्ध अन्य संस्थानों को मदद उपलब्ध कराना है।

प्रदर्शनी और सम्मेलन

लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और उनमें भाग लिया। लघु उद्योग, कृषि व ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने संबद्ध उद्योगों का चार दिवसीय नेशनल एक्सपो का आयोजन किया। इस एक्सपो का उद्देश्य विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से लघु उद्योग क्षेत्रों के नए–नए निर्यातयोग्य उत्पादों को बढ़ावा देना था। इसमें सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से लगभग 140 इकाइयों ने भाग लिया। एक्सपो में निर्यात एवं नव उत्पादों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। लघु उद्योगों एवं एआरआई से संबद्ध विषयों पर सेमिनार और इन क्षेत्रों को लेकर बनाई गयी मल्टीमीडिया इस एक्सपो का विशेष आकर्षण थे।

28 अक्तूबर, 2005 को नई दिल्ली में लघु, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों का वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने इन क्षेत्रों में विशेष कौशल का प्रदर्शन करने के लिए लघु उद्यमियों एवं इन

क्षेत्रों को उल्लेखनीय मदद देने के लिए कई बैंकों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए।

उत्साहवर्धन अभियान

लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के सर्वोच्च निकाय लघु उद्योग विकास संगठन (एसआईडीओ) ने इन उद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए कई स्कीम और कार्यक्रम लागू किए हैं। एसआईडीओ ने वर्ष भर विभिन्न राज्यों में संवर्धन अभियान और उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए।

क्रेता–विक्रेता मेला

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष भर कई मेले आयोजित किए। इन मेलों के आयोजन के फलस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र की बहुत सी इकाइयां, सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों एवं सरकारी विभागों की आपूर्तिकर्ता बन गई। इसके लिए इन इकाइयों को इन मेलों में बस एनआईएससी के एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम में पंजीकरण कराना होता था।

मंत्रालय के अंतर्गत तीन स्वायत्त संस्थान, हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएसआईटी), दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु उद्योग विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और गुवाहाटी स्थित भारतीय उद्यमिता संस्थान (एनआईई) ने लघु उद्योगों में उद्यमिता विकास हेतु कई अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए। ✡

अशक्त बच्चों हेतु रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) के क्षेत्र में अशक्त बच्चों के प्रशिक्षण के लिए रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए 3.90 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

प्रशिक्षण की पाठयचर्या इस प्रकार तैयार की गई है कि अशक्त बच्चों की कम्प्यूटर कुशलताओं में वृद्धि की जा सके तथा उन्हें अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जा सके, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में अशक्त बच्चों के समग्र विकास एवं नियोजन को महत्व दिया जाए।

व्यावसायिक केन्द्र तमिलनाडु तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि देश के इन भागों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की मजबूत स्थिति है। इन स्कूलों के पास आधारभूत मूलसंरचना तथा छात्रावास की सुविधा है तथा अन्य विषयों में ऐसे व्यावसायिक केन्द्र चलाने का अनुभव भी है। निकटवर्ती क्षेत्रों के अशक्त बच्चे भी इन केन्द्रों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक कम्प्यूटर प्रयोगशाला होगी जिसमें अशक्त बच्चों के प्रशिक्षण के लिए 10 कम्प्यूटर, सर्वर, सॉफ्टवेयर साधन तथा इंटरनेट सम्पर्क उपलब्ध होंगे। परियोजना में उपस्कर के अलावा मुख्य प्रशिक्षक घटक होंगे जिसमें कम्प्यूटर साक्षरता, व्यक्तित्व विकास तथा कार्य के माध्यम से प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का प्रशिक्षण शामिल है। बच्चों को सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग में कार्य के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पहला व्यावसायिक केन्द्र "लिटिल फ्लॉवर हायर सेकेण्डरी फॉर ब्लाइंड" चेन्नई में स्थापित किया गया है। ✡

"रूरल बिजनेस हब" 43 उत्पाद चिन्हित

पिछले वर्ष नवंबर से अब तक चालीस उत्पादों को "रूरल बिजनेस हब" के लिए चिन्हित किया गया है, और 50 कंपनियों ने इन योजनाओं से जुड़ने में रुचि दिखाई है। यहां भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित "रूरल बिजनेस हब" की बैठक में यह बात उभर कर आई। यह आयोजन पंचायत राज संस्थानों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में कुशलता और उत्पादों की पहचान करने के लिए किया गया है। "रूरल बिजनेस हब" के माध्यम से उत्पादों और कुशलता के विकास और पहचान के लिए इस आयोजन ने पंचायत राज मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ और उद्यमियों के बीच संवाद स्थापित करने का मंच उपलब्ध कराया है।

उत्तरांचल सरकार के साथ हुए एक समझौते के साथ ही राज्य में "रूरल बिजनेस हब" स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि नैनीताल जिले के रामगढ़ और कुछ अन्य खंडों में मौसमी फलों का प्रसंस्करण किया जा सके। इसके बाद हरियाणा में फरीदाबाद और मेवात जिलों तथा राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जटरोफा पौधारोपण और बायो–डीजल के उत्पादन के लिए "रूरल बिजनेस हब" स्थापित करने के वास्ते समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पंचायती राज मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने उद्यमियों से आग्रह किया कि ये पंचायती राज संस्थानों के साथ मिलकर अधिक से अधिक उत्पादों का प्रसंस्करण करें और उनके ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन का इंतजाम करें। ✡

भारत की प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियां

मनीष कुमार पाण्डेय

देश में कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराधों को रोकने एवं उनकी जांच करने,सार्वजनिक उपक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत लोक सेवकों द्वारा की गयी गड़बड़ियों की जांच करने, अवैध आव्रजन, तस्करी, सीमावर्ती अपराधों पर रोक लगाने, सांप्रदायिक दंगों आदि पर नियंत्रण, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने तथा आपात स्थिति में हवाई हमले, अग्निकांड, चक्रवात, भूकम्प, महामारी, साम्प्रदायिक सौहार्द्र बढ़ाना, कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करना आदि अनेक कार्यों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन प्रवर्तन एजेंसियों का प्रमुख कार्य है। भारत में कार्यरत प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियां इस प्रकार हैं :–

पुलिस

अंग्रेजी शब्द 'POLICE' मूलतः सभ्य समाज या संगठित सरकार के भाव को व्यक्त करता है। प्रत्येक लोकतान्त्रिक समाज में लोगों की शासन पद्धति और उनके हितों की रक्षा के लिए पुलिस मूलतः कानून के एक अभिकरण के रूप में कार्य करती है। सामान्य नागरिकों की भांति पुलिस को भी विधि के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। व्यक्ति के सभी अन्तःक्रियात्मक परिवेश और सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्थापक उपयुक्तता बनाये रखने के लिए पुलिस आधुनिक समाज की एक सामान्य आवश्यकता बन गयी है।

देश में कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराधों को रोकने एवं उनकी जांच करने, अवैध आव्रजन, तस्करी, सीमावर्ती अपराधों पर रोक लगाने, सांप्रदायिक दंगों आदि पर नियंत्रण, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने तथा आपात स्थिति में हवाई हमले, अग्निकांड, चक्रवात, भूकम्प, महामारी, साम्प्रदायिक सौहार्द्र बढ़ाना, कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करना आदि अनेक कार्यों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन प्रवर्तन एजेंसियों का प्रमुख कार्य है।

भारतीय धर्मशास्त्रियों के ऐतिहासिक विवेचन से स्पष्ट होता है कि समुदाय का मुखिया सामाजिक एवं धार्मिक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता था। अपने हितों की रक्षा के लिए ग्रामीणजन मुखिया के माध्यम से कार्य करते थे। आधुनिक पुलिस बल की भांति किसी विधि सम्मत व्यवस्था का सृजन नहीं किया गया था, लेकिन स्वनिर्मित सुरक्षा व्यवस्था अवश्य थी। परिवार के लिए पिता, गांव के लिए मुखिया एवं धर्म गुरू तथा समाज के लिए राजा प्रधान संरक्षक का कार्य संपादित करता था। राजा का प्रमुख कार्य समाज में हिंसा की रोकथाम करना और हिंसा में लिप्त लोगों को सजा देना था।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर व्यवस्था के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि व्यापारियों, उद्योगों, यात्रियों आदि के लिए अलग–अलग गुप्तचर समूह बनाए गए थे। मौर्य साम्राज्य में अवैतनिक पुलिस बल के स्थान पर वैतनिक पुलिस बल का गठन किया गया।

अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुहम्मद तुगलक ने पहली बार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस चौकियों का गठन किया। मुहम्मद तुगलक द्वारा प्रारम्भ की गई व्यवस्था के अन्तर्गत अमीरवाद और कोतवाल के पद के अनुरूप आधुनिक गृहमंत्री और जिलाधिकारी के पदों का उल्लेख किया जा सकता है। कोतवाल नगर प्रमुख के रूप में कार्य करता था। नगर से प्राप्त होने वाली आय और सुरक्षा व्यवस्था पर कोतवाल का नियंत्रण होता था।

भारतीय पुलिस संगठन का वर्तमान स्वरूप मूलतः 1861 में सृजित किया गया, जिसे 1902 में पुनः संशोधित किया गया। यह संगठन 20वीं शताब्दी में हुए बहुआयामी प्रशासनिक एवं राजनीतिक रूपान्तरण से प्रभावित हुआ है। इस संगठन को अपने प्रारम्भिक चरण में उपनिवेशीय व्यवस्था को बनाये रखने और शासक वर्ग को समुदाय से दूर रखने की भूमिका का निर्वाह करना पड़ा था, जबकि स्वतंत्रता के बाद उपनिवेशीय पुलिस व्यवस्था को भंग करके नागरिक पुलिस का गठन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

वस्तुतः जनप्रशासन के सभी अभिकरण जनता के लिए हैं, लेकिन उनकी व्यावसायिक स्थिति भिन्न है। पुलिस के दिन–प्रतिदिन के क्रिया–कलाप या उसके सकारात्मक कार्यों का प्रभाव सभी नागरिकों के दैनिक जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से नागरिकों की सुरक्षा और अस्तित्व को खतरा हो सकता है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि पुलिस केवल अपराधियों को रोकती है, लेकिन पुलिस को अपराधियों एवं गैर अपराधियों के मध्य एक जटिल स्थिति का सामना करना पड़ता है और उसका मुख्य कार्य इनमें संतुलन बनाए रखना होता है। पुलिस का कार्य मूलतः अपराधों की रोकथाम और अपराधियों को सजा के लिए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की भूमिका के माध्यम से समाज की सेवा और उसके नियमों के स्थायित्व से है। ठीक इसी प्रकार पुलिस को नागरिकों से सहायता एवं सहयोग भी वांछित होता है।

संविधान के तहत आम कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सरकार के विषय हैं। इसलिए पुलिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है और राज्य सरकार ही उसकी देखभाल करती है। राज्य में पुलिस बल का प्रमुख पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक होता है। राज्य को सुविधानुसार कई खण्डों में विभाजित किया जाता है, उन्हें 'क्षेत्र' कहा जाता है और हर पुलिस क्षेत्र उपमहानिरीक्षक के प्रशासनिक

नियंत्रण में होता है। एक क्षेत्र में कई जिले होते हैं। जिला पुलिस का विभाजन पुलिस डिवीजनों, अंचलों और पुलिस थानों में किया गया है। राज्यों के पास नागरिक पुलिस के अलावा अपनी सशस्त्र, अलग खुफिया शाखा, अपराध शाखा आदि होती है। दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे आदि शहरों में पुलिस विभाग का नियंत्रण पुलिस आयुक्त के हाथों में है, जिनके पास मजिस्ट्रेट के अधिकार भी होते हैं। विभिन्न राज्यों में पुलिस के वरिष्ठ पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जिनका चयन अखिल भारतीय आधार पर होता है।

केन्द्र सरकार केन्द्रीय पुलिस बलों, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, गुप्तचर ब्यूरो, पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, अपराध विज्ञान संस्थान आदि की देखभाल करती है। इनका काम राज्यों को गोपनीय जानकारी एकत्र करने, कानून–व्यवस्था बहाल करने, विशेष आपराधिक मामलों की जांच करने और राज्य सरकारों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में मदद करना है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का गठन अप्रैल, 1963 में किया गया। इसके पहले यह विभाग 'विशेष पुलिस प्रतिष्ठान' के नाम से जाना जाता था, जो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून, 1946 के अंतर्गत काम करता था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के गठन के बाद 1963 में इस विभाग के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया और इसे जांच के अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गनाइजेशन (इंटरपोल) के अन्तर्गत राष्ट्रीय केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया।

सीबीआई केन्द्र सरकार की प्रमुख जांच एजेन्सी है। इसका काम केन्द्र सरकार और इसके सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत लोकसेवकों द्वारा की गई गड़बड़ियों की जांच करना है।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन के आक्रमण के बाद 24 अक्टूबर, 1962 को किया गया। इसका गठन खुफिया/सिग्नल/पायनियर/इंजीनियरिंग/छापामार और चिकित्सा की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और इसका नियंत्रण प्रारम्भ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था।

त्वरित कार्यबल

त्वरित कार्यबल (आरएएफ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक भाग है। इसकी 10 बटालियनें हैं। इसका गठन 1992 में विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित दंगाविरोधी पुलिस के रूप में किया गया। इसका काम साम्प्रदायिक दंगों आदि पर नियंत्रण करना है। यह कानून–व्यवस्था लागू करने के अलावा दंगों के बाद राहत और बचाव–कार्यों में भी भूमिका निभाता है। उसकी यह भूमिका उसे अन्य बलों से अलग करती है, जिनकी जवाबदेही सिर्फ कानून–व्यवस्था की बहाली तक है।

सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का गठन 1965 में हुआ। इसकी जिम्मेदारी देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना है। इस समय इसकी 157 बटालियनें और 20 तोपखाना बटालियनें हैं। यह सुरक्षा बल देश की कुल 6385.36 किलोमीटर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है जो पर्वतों, दुर्गम रेगिस्तान, नदी घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली हुई है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षाबोध विकसित करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ को दी गई है। इसके अलावा सीमा पार पर होने वाले अपराधों, जैसे–तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ को सौंपी गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का गठन 1984 में आतंकवाद–विरोधी और अपहरण–विरोधी अभियानों के संचालन के साथ–साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए किया गया। यह समुचित ढंग से प्रशिक्षित और प्रेरित बल है, जिसका काम देश में आतंकवादी गतिविधियों से निपटना है। यह राज्य पुलिस के कमांडों को प्रशिक्षण भी देता है, ताकि आतंकवादी खतरों से निपटने, बम की तलाशी करने, उसे निष्क्रिय करने आदि में उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। एनएसजी देश के एकमात्र राष्ट्रीय बम डाटा केन्द्र की देखभाल करता है। इस अत्याधुनिक बल ने देश के विभिन्न भागों में एक सौ से ज्यादा अभियान चलाए हैं। एनएसजी के कमांडों ने वर्ष 2002 में अहमदाबाद में अक्षरधाम मन्दिर में आतंकवाद–विरोधी अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और उन आतंकवादियों को खत्म करने में सफलता पाई थी, जिन्होंने मन्दिर में शरण ले रखी थी।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार का एक सशस्त्र बल है, इसका गठन 1939 में नीमच (म.प्र.) में 'क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस' नाम से किया गया। 1949 में इसका नाम 'केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल' कर दिया गया। अभी इसकी 176 बटालियनों में 2,26,699 कर्मी हैं। यह बल आन्तरिक सुरक्षा के साथ–साथ उग्रवाद एवं आतंकवाद–विरोधी अभियानों के प्रति प्रतिबद्ध है। यह एकमात्र ऐसा बल है, जिसमें महिला टुकड़ियां भी हैं। इस बल में महिलाओं की दो बटालियनें हैं।

असम राइफल्स

'असम–राइफल्स' का गठन 1835 में 'कछार लेवी' के नाम से किया गया। इस बल की 41 बटालियनें हैं। इसका गठन आदिवासी इलाकों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से 'पूर्वोत्तर का प्रहरी' और 'पर्वतीय लोगों का मित्र' कहा जाता है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएफ) की स्थापना सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1969 में की गई। इस बल में 94,561 सुरक्षाकर्मी हैं, जिनकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है। फिलहाल सीआईएसएफ सार्वजनिक क्षेत्र के 267 उपक्रमों में तैनात है। इसके अतिरिक्त 47 हवाई अड्डों और दिल्ली स्थित सरकारी इमारतों की सुरक्षा का दायित्व भी इसी सुरक्षा बल का है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश की प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्था है, जो भारतीय पुलिस सेवा (आई0पी0एस0) के अधिकारियों को प्रारंभिक और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती है। राजस्थान के माउंट आबू में 1948 में स्थापित इस अकादमी को 1975 में हैदराबाद ले जाया गया। पुलिस से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन और शोध करने की भी व्यवस्था इस अकादमी में है।

सशस्त्र सीमा बल

1962 के भारत–चीन युद्ध के मद्देनजर जनता में विश्वास जागृत करने और सीमापार से विघटनकारी गतिविधियों, घुसपैठ और अन्य खबरों से निपटने का जज्बा सीमावर्ती प्रदेशों के लोगों में विकसित करने के उद्देश्य से 1963 के शुरू में मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अन्तर्गत विशेष सेवा ब्यूरो (एसएसबी) का गठन किया गया। 15 जनवरी, 2001 से यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है। इसे भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमाओं की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। गृह मंत्रालय के 15 दिसम्बर, 2003 के आदेश के अनुसार 'विशेष सेवा ब्यूरो' का नाम बदलकर 'सशस्त्र सीमा बल' कर दिया गया। विशिष्ट सेवा और समर्पण के लिए मार्च, 2004 में इसे राष्ट्रपति ने प्रतीक चिन्ह प्रदान किया।

नागरिक सुरक्षा संगठन

नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य दुश्मन देश द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करने की स्थिति में लोगों की जान बचाना, सम्पत्ति की क्षति कम होने के उपाय करना तथा औद्योगिक उत्पादन जारी रखने में सहयोग प्रदान करना है। नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को केन्द्र की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता कुछ ही शहरों तक सीमित है। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन मुख्यतया स्वैच्छिक आधार पर हुआ है। इसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो वेतनभोगी हैं। इनकी संख्या आपातकाल में बढ़ जाती है। फिलहाल सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के 225 शहरों में नागरिक सुरक्षा संगठन है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की संख्या 1 लाख 19 हजार करने का लक्ष्य है। अभी तक पांच लाख 80 हजार स्वयंसेवक बना लिए गये हैं, जिनमें से चार लाख 70 हजार को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

गृह रक्षा वाहिनी

गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) एक स्वयंसेवी बल है, जिसका गठन दिसम्बर, 1946 में नागरिक अशांति और साम्प्रदायिक दंगों के नियंत्रण में पुलिस को सहयोग देने के उद्देश्य से किया गया। इसके बाद अनेक राज्यों ने नागरिकों के स्वयंसेवी संगठनों की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। 1962 में चीनी हमले के बाद केन्द्र ने राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के अलग–अलग स्वयंसेवी संगठनों के विलय की सलाह दी और इसे 'गृह रक्षा वाहिनी' (होमगार्ड) नाम दिया। गृह रक्षा वाहिनी का काम हवाई हमले, अग्निकाण्ड, चक्रवात, भूकम्प, महामारी, आदि आपात स्थिति में पुलिस की सहायता करना, आवश्यक सेवाएं बहाल कराना, साम्प्रदायिक सौहार्द्र बढ़ाना, कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा में प्रशासन का साथ देना, सामाजिक–आर्थिक और कल्याण के कार्यों में हिस्सा लेना तथा नागरिक सुरक्षा का ध्यान रखना है। गृह रक्षा वाहिनी दो तरह की है– ग्रामीण और शहरी। सीमावर्ती राज्यों में गृह रक्षा वाहिनी की सीमावर्ती इकाई गठित की गई है, जो सुरक्षा बलों को सहायता प्रदान करती है। देश में गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की कुल संख्या 5,73,793 है, फिलहाल इसमें से 4,89,821 जवान सेवारत हैं। केरल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में गृह रक्षा वाहिनी है।

अग्निशमन सेवा

अग्निशमन राज्यों का मामला है। इसकी सेवाएं राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा संचालित होती हैं। गृह मंत्रालय अग्नि से सुरक्षा करने, आग बुझाने और अग्निशमन सम्बन्धी कानून के बारे में तकनीकी सलाह राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों, केन्द्रीय मंत्रालयों को देता है। देश में 2,029 अग्निशमन केन्द्र हैं, जिनमें 66,152 कर्मचारी तैनात हैं। इन केन्द्रों पर 6,157 दमकल गाड़ियां आदि आवश्यक उपकरण हैं। गृह मंत्रालय राज्यों में अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए वित्त मंत्रालय के माध्यम से साधारण बीमा निगम (जीआईसी) के ऋण उपलब्ध कराता है। वर्ष 1980–81 से अब तक राज्य अग्निशमन विकास के लिए साधारण बीमा निगम से 404.97 करोड़ रूपये ऋण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दसवें वित्त आयोग ने 1995–2000 की अवधि में विभिन्न राज्यों को अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए 80 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने 2000–2005 की अवधि के लिए 201 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया है। अग्निशमन सेवा का प्रशिक्षण दमकलकर्मियों और अधिकारियों को दो स्तरों पर दिया जाता है। दमकलकर्मियों को प्रशिक्षण राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्रों पर दिया जाता है। फिलहाल अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है। 1956 में स्थापित होने के बाद से यहां अब तक 12,666 अग्निशमन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें 12 देशों के 71 विदेशी प्रशिक्षु भी शामिल हैं।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध तथा न्याय विज्ञान संस्थान

राष्ट्रीय अपराध तथा न्याय विज्ञान संस्थान (नई दिल्ली) की स्थापना 1972 में हुई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मशती– समारोहों के मद्देनजर इस संस्थान का नाम बदलकर अब 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध तथा न्याय विज्ञान संस्थान' कर दिया गया है। यहां मानवीय और शान्तिपूर्ण तरीके से अपराधों के रहस्य सुलझाने की दिशा में नियमित शोध किये जाते हैं। यहां पुलिस, न्यायपालिका और बंदीगृह प्रशासन के अधिकारियों और अपराध न्यायप्रणाली से जुड़े लोगों के लिए भी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त प्रवर्तन एजेंसियां आवश्यकतानुसार समय–समय पर देश के नागरिकों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण, साम्प्रदायिक सौहार्द्र आदि को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। ✡

(स्वतंत्र पत्रकार)

सूचना क्रान्ति को धार देती प्रौद्योगिकी

चन्द्रशेखर यादव

सूचना ही शक्ति है तथा संचार लोगों को सूचनाओं से सुसज्जित करने में अहम् भूमिका निभाता है। विकासात्मक संचार ऐसे विकास के लिए कार्य करता है जो सहभागिता और विकेन्द्रीकरण पर आधारित है। यह सहभागिता और विकेन्द्रीकरण नियोजन नीतियों के निर्माण में भी सहायक हो सकता है, इसे शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में भी अपनाया गया था किन्तु इस क्षेत्र में सहभागिता समाप्त सी हो गयी थी। सामाजिक विकास के निचले पायदान पर बैठे सामान्य लोगों में से अधिकांश को तो यही मालूम है कि संचार के माध्यमों का काम सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना है। यद्यपि अब चौपाल, कृषि दर्शन एवं स्थानीय समस्याओं पर निर्मित कार्यक्रमों के द्वारा इन्हें आभास होने लगा है कि इनसे केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जानकारी भी मिलती है और इसी कारण लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। संचार क्रांति पूरे विश्व के लिये वरदान साबित हो रही है। इसका अन्दाजा हम विश्व के "वैश्विक गांव" यानि गांवों में बदली दुनिया से बाखूबी लगा सकते हैं। इसी कारण मीडिया भी प्रत्येक सुबह नए कलेवर में परिलक्षित होता है तथा प्रगतिशील समाज के लिये अपनी आवश्यकता/ मांग महसूस कराने में कामयाब हो रहा है। संचार क्रांति को तेज व धारदार बनाने में प्रौद्योगिकी के योगदान को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है और यही विकासात्मक संचार में वैकल्पिक मीडिया के नए आयामों (इंटरनेट, सेल्युलर फोन, टेलीफोन, फैक्स, स्थानीय बेतार लूप (डब्ल्यू एल एल), ई–चौपाल, टेलीफोन डाकिया, ग्रामीण टेलीफोन सेवा, टेलीकम्यूनिकेशन आदि) के रूप में उभर रहे हैं। यहां तक कि वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी ने अपना ऐसा जाल बिछा दिया है कि कम्प्यूटर को प्रयुक्त किए बिना उत्कृष्ट संचार प्रक्रिया को अन्जाम नहीं दिया जा सकता।

इंटरनेट वैकल्पिक मीडिया के रूप में विकासात्मक संचार का ही प्रतिफल है इसे सूचना राजपथ (Information Highway) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा प्लेटफार्म या स्थल है जहां से लोग विभिन्न सूचनाएं निःशुल्क या क्रय कर सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट कम्प्यूटरों का ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से लोग विभिन्न सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी रूप से इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। प्रोटोकाल नियमों का संकलन व भाषा है जिसे नेटवर्क में परस्पर विचार विनिमय के लिये प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट बिखरती दुनिया को जोड़ने की एक अत्याधुनिक विकसित संचार प्रणाली है जिस सूचना महामार्ग की आज दुनिया में होड़ मची है वह इंटरनेट की असीमित संभावनाओं से ही उपजा हुआ है। एक अनुमान के अनुसार इस नेटवर्क से विश्व भर में लगभग 60 लाख कम्प्यूटर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार 164 देशों के लगभग चार करोड़ लोगों का सूचना के इस महातंत्र से जुड़ पाना संभव हो सका है। दुनियाभर में अपनी उपस्थिति का अहसास, कम कीमत पर बेहतर सुविधाएं, बेहतर कार्य क्षमता, नवीनतम आंकड़ों से सम्पन्न इंटरनेट आज की तारीख में किसी भी व्यावसायिक बाजार में पहुंच एवं दुनिया भर के शेयर बाजारों तक इंटरनेट की मौजूदगी है।

टेलीकम्यूनिकेशन, टेलीफोन आधारित संचार व्यवस्था है जिसके माध्यम से केवल आवाज ही नहीं बल्कि टेलिग्राफ, फैक्स तथा इंटरनेट के जरिये ग्राफिक्स, टेक्स्ट या पिक्चर के अलावा भी हर तरह के आंकड़ों को एक बार में एक स्थान से दूसरे या कई स्थानों पर भेजा जा सकता है। ये दो तरह का होता है, एक तार वाला दूसरा बेतार यानि की वायरलेस टेलीकम्यूनिकेशन। मोबाइल फोन वायरलेस टेलीकम्यूनिकेशन का अनोखा उदाहरण है।

बेसिक टेलीफोन एवं सेल्युलर फोन दूरभाषात्मक कोटि के वैकल्पिक मीडिया हैं जो ग्रामीण अंचलों में अन्य की अपेक्षा ज्यादा पहुंच रखते हैं। इसके अलावा अब स्थानीय बेतार लूप (डब्ल्यू एल एल) तकनीक वाले फोन भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं।

सूचना ही शक्ति है तथा संचार लोगों को सूचनाओं से सुसज्जित करने में अहम् भूमिका निभाता है। विकासात्मक संचार ऐसे विकास के लिए कार्य करता है जो सहभागिता और विकेन्द्रीकरण पर आधारित है। संचार क्रांति पूरे विश्व के लिये वरदान साबित हो रही है। इसका अन्दाजा हम विश्व के "वैश्विक गांव" यानि गांवों में बदली दुनिया से बाखूबी लगा सकते हैं।

आई टी सी का ई–चौपाल दूर–दराज के ग्रामीणों खासकर किसानों को भी संचार क्रांति से जोड़ चुका है। ई–चौपाल ने तकनीकी प्रयोग में आने वाले तकनीकी ज्ञान की समस्या को मिटाकर अपने सहज रूप से आम ग्रामीणों को भी खासा प्रभावित किया है। ई–चौपाल के आने के बाद ग्रामीण अपने गांव में ही बैठा कृषि कार्यों हेतु प्रयुक्त होने वाली सशक्त तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कृषि उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय बाजार भाव पता कर लेता है, ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए सरकारी व गैर–सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे मिल रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व कृषि के साथ–साथ ग्रामीण भारतीय रेल के टिकटों की जानकारी भी बिना किसी भागदौड़ के जान सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ई–चौपाल ग्रामीणों का सहज सूचना केन्द्र है। ई–चौपाल की ही देन है कि आज किसान ई–किसान के रूप में तब्दील होता जा रहा है।

विकासात्मक संचार में वैकल्पिक मीडिया ने दूर–दराज के गांवों और शहरों के बीच दशकों से बरकरार खाई को पाटने में अहम् भूमिका निभायी है। वर्तमान में स्थिति इतनी बदल चुकी है कि ग्रामीणों को देश–विदेश की घटनाओं के लिए भी नहीं भटकना पड़ता। संचार

क्रांति के प्रभावों के चलते समाज में व्याप्त समस्याओं के निस्तारण हेतु सरकारी व गैर–सरकारी स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों का आकलन अब आसानी से किया जा सकता है।

वर्तमान में सूचना क्रान्ति को गति प्रदान करने एवं प्रतिदिन नया रूप धारण करने में प्रौद्योगिकी विकास की भूमिका निर्विवाद रूप से सर्वोपरि है। प्रौद्योगिकी विकास के ही कारण वर्तमान समय में मानव मस्तिष्क के बाहर सूचना का विभिन्न रूपों में संसाधन (प्रोसेसिंग), सम्प्रेषण (कम्यूनिकेशन), अधिग्रहण एवं पुनर्प्राप्ति (रिट्रीवल) आदि कार्यों का द्रुतगति से त्रुटिरहित एवं कुशलतापूर्वक सम्पादन होता है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम संचार प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता की तुलना मानव फेफड़े एवं वृक्क से करें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। यदि ऐसा कहा जाय कि भौगोलिक सीमाएं, नस्लभेद, रंगभेद और भाषाई विभेद को खत्म करने के लिए संचार क्रान्ति प्रौद्योगिकी विकास का जरिया है तो भी गलत नहीं होगा।

इलेक्ट्रानिक मेल संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकास का अनूठा तोहफा है। इस संचार सेवा के जरिए हम अपनी बात या चिट्ठी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा सकते हैं, खरीददारी कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, और व्यापार में तरक्की का रास्ता निकाल सकते हैं। यहां तक कि इसका प्रयोग शिक्षा के प्रचार–प्रसार में भी कर सकते हैं। 'ज्यूरिक्स' नामक ई–मेल सेवा से तो कोई भी वकील छोटी अदालतों से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक की अदालतों के फैसलों को देख सकता है और इसके द्वारा डॉक्टरों को नयी–नयी दवाओं और ऑपरेशन से संबंधित नयी–नयी जानकारियां भी दी जा सकती हैं। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत इसका सस्ता होना है।

ऑप्टिकल फाइबर संचार क्रान्ति के लिए मिसाल के रूप में सामने आ चुका है। जो प्रौद्योगिकी विकास का ही परिणाम है, इसमें तकनीक की मदद से संचालित ध्वनि, आंकड़े, चित्र, टेक्स्ट, कोएक्सिल केबल या लाइन ऑफ साइट पाथ को बदलना संभव हो सकता है। वर्तमान संचार प्रणालियों में करीब 70 प्रतिशत ऑप्टिकल फाइबर्स पर ही आधारित है। दरअसल ऑप्टिकल फाइबर (प्रकाशतन्तु) एक ऐसी प्रविधि है जिसकी मदद से संचरण (Transmission) बाल की तरह पतले तथा मुड़ने वाले तन्तुओं से होता है। यह तन्तु पारदर्शी कांच अथवा प्लास्टिक के बने होते हैं इनके द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान प्रकाश के पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के सिद्धान्त पर होता है।

आजकल टेलीफोन केबल्स में तांबे के तार की जगह प्रकाशतन्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके निम्न लाभ हैं–

- केबल बिछाने में कम पैसे तथा कम जगह की जरूरत।
- सेवा की गुणवत्ता में जबरदस्त वृद्धि।
- ऊर्जा क्षय का परिमाण बहुत कम।

प्रकाश तन्तुओं का प्रयोग उच्च घनत्व वाली टेलीफोन लाइनों तथा क्रॉस चैनल के केबल्स के लिए संभव है।

साइबर स्पेस प्रौद्योगिकी विकास का अति सशक्त हथियार है जिसकी धार की तीव्रता को संचार क्रान्ति में आयी गुणोत्तर वृद्धि से आंका जा सकता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 'विलियम गिब्सन' ने अपनी कल्प कथा 'बर्निंग क्रोम' में किया था। वास्तव में यह प्रौद्योगिकी विकास का वह तोहफा है जो मस्तिष्क के अर्द्ध लोकोत्तर स्तर के बहुत करीब है।

प्रौद्योगिकी विकास की एक अन्य देन मल्टीमीडिया संचार क्रान्ति के लिए लम्बी छलांग साबित हो रहा है। इस प्रौद्योगिकी की विशेषता है कि इसके प्रयोग से टेक्स्ट, डाटा ग्राफिक्स, एनीमेशन, आडियो एवं वीडियो डिजिटल के रूप में डिलीवर किया जा सकता है। एक मल्टीमीडिया सिस्टम, कम्प्यूटर की तरह ही सभी प्रकार की सूचनाओं की रिकार्डिंग, प्रोसेसिंग, एकत्रीकरण एवं डिलीवरी बाइनरी कोड में करता है। यह पारम्परिक एनालॉग तकनीक से काफी भिन्न है। मुख्यतः मल्टीमीडिया सिस्टम में एक शक्तिशाली पीसी जिसके साथ एक हाई एण्ड ग्राफिक प्रोसेसर हो, एक साउण्ड कार्ड (ध्वनि को रिकार्ड और प्ले करने के लिए), सीडी ड्राइव और मल्टीमीडिया एक्सटेन्सन्स तथा डिजिटल ऑडियो–वीडियो प्लेयर होता है।

प्रौद्योगिकी विकास के कारण संचार जगत में जो युगान्तरकारी बदलाव आये, उनका सीधा संबंध अंतरिक्ष में उपग्रहों के प्रक्षेपण से भी है। उपग्रहों के कारण वायु तरंग पर बैठकर न सिर्फ ध्वनि बल्कि चित्र भी पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते पहुंच जाते हैं। इस प्रगति ने संचार को आकाशीय बना दिया, आंज हम सूचना युग में जी रहे हैं। चूंकि सूचना ही शक्ति है इसलिए जिसके पास त्वरित सूचना प्राप्त करने के साधन हैं वह सूचना युग में सबसे अधिक शक्तिशाली है। यह त्वरित सूचना अंतरिक्ष उपग्रहों के माध्यम से सम्भव हो सकी है।

समाचार–पत्र, रेडियो, टेलीविजन से शुरू हुआ प्रौद्योगिकी विकास का सिलसिला बेतार के तार, सेल्युलर फोन, इंटरनेट से गुजरते हुए सैटेलाइट युग में प्रवेश कर चुका है। प्रौद्योगिकी विकास जो संचार क्रान्ति की धार को तीव्र कर रहा है के अन्तिम मिशन का अन्दाजा भी लगा पाना नामुमकिन है। फिर भी यदि प्रौद्योगिकी का उपयोग साधक के रूप में होता रहा तो सूचना क्रान्ति सम्पूर्ण विश्व की एकता के लिए मील का पत्थर साबित होगी यानि 'वसुधैव कुटुम्बकम' का सपना साकार हो जायेगा। ✡

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

सूचना प्रौद्योगिकी की दस्तक गांवों के द्वार

आरती श्रीवास्तव

सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय विशेषज्ञों की कुशलता का लाभ दुनिया के विकसित देश भी उठा रहे हैं। आज विश्व में भारत को जो नयी पहचान मिली है वह सूचना प्रौद्योगिकी में उसकी प्रगति से ही है। हमारे देश की आबादी का दो तिहाई से अधिक हिस्सा गांवों में रहता है। हमारी ग्रामीण जनता सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों से वंचित रहे इससे बड़ी विडंबना कोई हो ही नहीं सकती। यह संतोष का विषय है कि सरकार का ध्यान अब इस तरफ गया है, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां भी इस दिशा में जागरूक हुई हैं।

भारत और भारत से बाहर खासकर विकासशील देशों में इस बात को गंभीरता से महसूस किया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का लाभ सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पूरी दुनिया में ई–कामर्स, दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन एवं ई–गवर्नेंस आदि की मदद से करोड़ों लोगों का जीवन सुविधापूर्ण बनता जा रहा है। ये सारी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन हैं। भारत में भी शहरों एवं गांवों के बीच सुविधाओं के अंतर को मिटाने में सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। दरअसल हाल के वर्षों में हमारी सरकार के मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल देश के गांवों के विकास के लिए किया जाए। ग्रामीण बाजारों का आकार बढ़ाकर, प्रशासन एवं ग्रामीण जनता के बीच संपर्क को आसान बना कर, शिक्षा की पहुंच को व्यापक बना कर एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर यह प्रौद्योगिकी गांवों में ऐसे बदलाव ला सकती है जो काफी समय से आवश्यक रहे हैं। इन बदलावों से ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल विकास के नए अवसर उत्पन्न होंगे बल्कि गांवों का सशक्तिकरण भी होगा।

आज विश्व में भारत को जो नयी पहचान मिली है वह सूचना प्रौद्योगिकी में उसकी प्रगति से ही है। सूचना प्रौद्योगिकी की प्रचलित परिभाषा के अनुसार इसमें विभिन्न रूपों में इलेक्ट्रानिक डाटा का निर्माण, संग्रहण एवं प्रेषण शामिल है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रानिक डाटा के रूप में तैयार किए गए संदेशों को अधिक सरल, सहज एवं रूचिकर बनाना आवश्यक है ताकि लक्ष्य समूह तक इनकी पहुंच आसान हो।

ग्रामीण जनता अपने लिए शहरों जैसी सुख–सुविधाओं की कल्पना भले न करे इसकी अपनी कुछ वाजिब आकांक्षाएं जरूर हैं जैसे उपजों हेतु बाजार एवं कीमतों की जानकारी, भूमि संबंधी एवं अन्य रिकार्डों का आसानी से उपलब्ध होना, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सामाजिक न्याय आदि सूचना प्रौद्योगिकी इन सभी के मामले में मददगार साबित हो सकती है और हो रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी की प्रचलित परिभाषा के अनुसार इसमें विभिन्न रूपों में इलेक्ट्रानिक डाटा का निर्माण, संग्रहण एवं प्रेषण शामिल है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रानिक डाटा के रूप में तैयार किए गए संदेशों को अधिक सरल, सहज एवं रूचिकर बनाना आवश्यक है ताकि लक्ष्य समूह तक इनकी पहुंच आसान हो। स्वाभाविक है कि शुरू में सूचना प्रौद्योगिकी के इस बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए भारी धनराशि की जरूरत होगी लेकिन अगर भावी फायदों एवं भविष्य में होने वाली बचत को देखा जाय तो यह निवेश बिल्कुल औचित्यपूर्ण लगता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को गांवों तक पहुंचाने में सरकार के साथ निजी क्षेत्र एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी कम महत्वपूर्ण नहीं है पर अंतिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रौद्योगिकी आधारित ये प्रणालियां स्वपोषित बनें एवं बाहरी मदद पर इनकी निर्भरता कम से कम हो।

गति और पहुंच की व्यापकता ने सूचना प्रौद्योगिकी को और भी उपयोगी बना दिया है। एक कम्प्यूटर दिनभर में सैंकड़ों लोगों के काम आ सकता है। बहुमूल्य जानकारियां पलक झपकते लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। कुछ ही समय पहले सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से काफी लोगों को चेतावनी भेजकर उन्हें सुनामी के कहर से बचाया जा सका।

गांवों में मुख्य कार्य कृषि का है। किसान चाहते हैं कि उन्हें उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिले। इसीलिए बाजार संबंधी जानकारियों की गांवों में सबसे अधिक मांग है। ई–गवर्नेंस को भी कई राज्यों के गांवों में मजबूत आधार मिल रहा है। ई–गवर्नेंस को अपनाने से अनावश्यक कागजी कार्यवाही तो कम हुई ही है, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई है एवं लाल फीताशाही से छुटकारा मिला है। चिकित्सा सलाह देने, स्वास्थ्य शिक्षा के संदेश देने, रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने, प्राकृतिक या अन्य आपदाओं के प्रति लोगों को आगाह करने जैसे उद्देश्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना संभव है।

शुरू में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का कारोबार अंतरराष्ट्रीय ग्राहक वर्ग के लिए था। साफ्टवेयर प्रोग्राम एवं अन्य सेवाएं बेशक भारत में विकसित की गई हों, इनका उपयोग और देशों में किया जाता था। इस उद्योग को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में थोड़ा वक्त लगा। इसमें बहुत सी अड़चनें आईं जिनमें से कई अब भी मौजूद हैं। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति न होना, साक्षरता की कमी, पूंजी लगाने के प्रति उदासीनता, संचार सुविधाओं का अभाव सूचना प्रौद्योगिकी को गांवों तक पहुंचाने में मुख्य बाधाएं हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी का फायदा गांवों और ग्रामवासियों को मिले इसके लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, इस क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश पर कुछ लोगों ने अपना विरोध भी जताया है। इन लोगों का कहना है कि सीमित साधनों वाले हमारे इस देश में प्रौद्योगिकी पर इतना अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इस विरोध से असहमति जताने वालों के पास भी

मजबूत तर्क हैं जिनके अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी पर किया गया कोई भी व्यय तब तक बेकार नहीं है जब तक इसे सही और संगत तकनीक पर एवं प्राथमिकता वाले इलाकों में किया जाता है। मीडिया लैब एशिया एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसे संगठन इस तर्क से सहमत नजर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारने में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया है इस संगठन का मानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया में फैली गरीबी का मुकाबला करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना अनिवार्य बन चुका है।

गांवों में कम्प्यूटरों एवं इंटरनेट के उपयोग में भाषा को लेकर सबसे अधिक दिक्कतें आती रही हैं क्योंकि कम्प्यूटर के अधिकांश प्रोग्राम एवं इंटरनेट पर मौजूद जानकारियां अंग्रेजी में हुआ करते थे, जिसे जानने वाले गांवों मे बहुत कम हैं। केन्द्र सरकार ने कम्प्यूटर निर्माता कंपनियों से ऐसे कम्प्यूटर बनाने को कहा है जिस पर भारतीय भाषाओं में कार्य करना संभव हो। माइक्रोसाफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इस दिशा में पहल की है। आज हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के अनेक साफ्टवेयर मौजूद हैं। वास्तव में अब कई राज्य सरकारें संबंधित क्षेत्रीय भाषा में दस्तावेज आदि जारी करने में सक्षम हैं जो इन साफ्टवेयरों की मदद से ही संभव हो सका है। ई–मेल संदेश अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं में भी हो सकते हैं।

गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित जो परियोजनाएं सफल या लोकप्रिय रही हैं उनमें से कुछ की चर्चा करना यहां उपयुक्त होगा। कर्नाटक में 30,000 गांवों में 67 लाख भू–मालिकों की जमीनों का रिकार्ड कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है राज्य सरकार द्वारा स्थापित। 200 कम्प्यूटर कियास्कों में यह रिकार्ड कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है और निर्धारित शुल्क देकर भू–स्वामी अपनी भूमि का रिकार्ड तुरंत हासिल कर सकते हैं। पहले इसके लिए उन्हें तालुका कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे।

भारत की जानी–मानी कंपनी आईटीसी को ई–चौपाल के लिए प्रतिष्ठित डेवलपमेंट गेटवे अवार्ड से नवाजा गया है। आज 31000 गांवों के 35 लाख से अधिक किसानों तक ई–चौपाल की पहुंच है। ई–चौपाल में जाकर किसान विभिन्न फसलों के बारे में विस्तृत जानकारी स्थानीय भाषा में कम्प्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। यहां उन्हें खेती के उन्नत तरीकों और संभावित मौसम की जानकारी भी मिलती है पर सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें विभिन्न मंडियों में कृषि उपजों के भाव एवं मांग का पता एक जगह पर बैठे–बैठे चल जाता है और वे अपनी उपज को सबसे बेहतर दरों पर बेचने में समर्थ होते हैं।

हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट (मैनेज) ने 'साइबर एक्सटेंशन' नाम से एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। जिला स्तरीय वेब साइटें तैयार कर इंटरनेट पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, ब्लाक, मंडल और गांवों के स्तर पर इन्फार्मेशन कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं, सहकारी समितियों के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखने के लिए इस संस्था ने एक सरल अकाउंटिंग पैकेज भी तैयार किया है।

बैंकों की एटीएम सुविधाएं अभी मुख्यतः शहरों एवं कस्बों तक ही सीमित हैं। एटीएम लगाने पर काफी खर्च आता है और इसके लिए विद्युत आपूर्ति की जरूरत होती है। गांवों में बिजली की कटौती होना आम बात है इसलिए अब रुपये 50,000 की कम लागत में बैटरी चालित एटीएम मशीन बनाने पर काम चल रहा है जो फोटो स्टूडियो एवं इन्फार्मेशन कियोस्क का भी काम करेगी। विशेष रूप से गांवों के लिए कम मूल्य का बैटरी चालित कम्प्यूटर, जिसे 'सिम्प्यूटर' का नाम दिया गया है, भी विकसित किया गया है। गांवों के लिए लागू सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अन्य परियोजनाओं में सेवा, ज्ञानदूत, स्वान (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क), सीआईसी (कम्युनिटी इन्फार्मेशन सेंटर), टेलीसेंटर, आई स्टेशन, हनी की नेटवर्क, स्वयं कृष संगम वगैरह के नाम गिनाए जा सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी को गांवों तक पहुंचाना, ग्रामीण जनता को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें हमारी सफलता देश के संतुलित विकास एवं जन सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। ✡

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर ***निदेशक, प्रकाशन विभाग*** *को नई दिल्ली में देय हो।*

सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संचालित सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना प्रौद्योगिकी संचालित सेवाओं (आईटीईएस–बीपीओ) के क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान भी उल्लेखनीय वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। वर्ष 2004–05 में 78,230 करोड़ रुपए (17.2 अरब अमरीकी डॉलर) मूल्य के भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात का अनुमान है। जबकि वर्ष 2003–04 में 58,240 करोड़ रुपए (12.8 अमरीकी डॉलर) मूल्य की भारतीय सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात किया गया था। इस क्षेत्र में भविष्य में भी वृद्धि का यह क्रम बने रहने की आशा है। सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात के क्षेत्र में 2005–06 के दौरान डॉलर मूल्य में 30 से 32 फीसदी तक की वृद्धि होने की संभावना है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में 2004–05 के दौरान 148,360 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान है। जबकि 2003–04 के दौरान 118,290 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में 25.4 फीसदी की वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान आईटीईएस–बीपीओ उद्योग निरन्तर वृद्धि की ओर अग्रसर रहा। 2002–03 में आईटीईएस–बीपीओ से निर्यात के जरिए 2.5 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य की आय हुई थी, जो वर्ष 2003–04 में बढ़कर 3.6 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य और 2004–05 में 5.1 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य तक पहुंच गयी।

सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बुनियादी प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए आम आदमी से संबंधित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर ई–प्रशासन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है। तद्नुसार एक राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना (एनईजीपी) की रूपरेखा तैयार की गई है। यह योजना केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय प्रशासन स्तर पर लागू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य "आम आदमी को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सभी सरकारी सेवाएं समन्वित सेवा के रूप में आजीवन सुलभ कराना है तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि ये सेवाएं सक्षम, पारदर्शी और विश्वसनीय हों और आम आदमी की बुनियादी जरूरतें पूरी करती हों।"

आईटीईएस–बीपीओ क्षेत्र देश में युवा कॉलेज स्नातकों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन गया है। इस क्षेत्र में हर वर्ष नौकरी के अवसर दुगने होते जा रहे हैं। देश में मार्च 2005 तक आईटीईएस क्षेत्र में अनुमानतः 10,45,000 पेशेवर लोगों को रोजगार मिला हुआ था। देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र निवेश का मुख्य आकर्षण बनता जा रहा है और इससे भारतीय मूल के प्रतिभाशाली लोगों का विदेशों को पलायन रुक गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र की विशाल अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियों (माइक्रोसॉफ्ट, इन्टेल, एएमडी, सेमिंडिया, सिस्को, फ्लेक्सिट्रोनिक्स, नोकिया, अल्काटेल, एरिक्सन आदि) ने देश में अगले 3 से 5 वर्षों के दौरान 8 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा निवेश की घोषणा की है। यह निवेश आईटी सेवाओं के सभी क्षेत्रों (सॉफ्टवेयर, माइक्रोप्रोसेसर्स और नेटवर्किंग उपकरण) तथा दूरसंचार उपकरणों के क्षेत्र में किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना**

सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बुनियादी प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए आम आदमी से संबंधित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर ई–प्रशासन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है। तद्नुसार एक राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना (एनईजीपी) की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें मिशन मोड़ की 26 परियोजनाओं और आठ सहायक परियोजनाओं को शामिल किया गया है। यह योजना केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय प्रशासन स्तर पर लागू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य "आम आदमी को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सभी सरकारी सेवाएं समन्वित सेवा के रूप में आजीवन सुलभ कराना है तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि ये सेवाएं सक्षम, पारदर्शी और विश्वसनीय हों और आम आदमी की बुनियादी जरूरतें पूरी करती हों।"

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे देश में डाटा कनेक्टिविटी और सेवा डिलीवरी एक्सेस प्वाइन्ट्स स्थापित करने होंगे। सरकार ने अगले पांच वर्षों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) के स्थापना की योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के लिए 3,334 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। ये नेटवर्क राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक स्तर पर स्थापित केन्द्रों से ग्राम स्तर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रावधान होगा। इसके लिए समसामयिक बेतार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 17 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और इन राज्यों को अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

सरकार एक लाख आम सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव बना रही है, इससे सरकारी तथा निजी इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की पहुंच का ग्राम स्तर तक विस्तार किया जा सकेगा। विभिन्न सरकारी विभागों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मिशन मोड परियोजनाएं तैयार करें और इन परियोजनाओं में नागरिकों और कारोबारियों के साथ सम्पर्क के लिए सेवाओं और इनके स्तर पर विशेष जोर दिया जाए।

विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र के माध्यम से इंडिया पोर्टल परियोजना लागू की है। इस परियोजना के जरिए एक ही स्थान से

राष्ट्रीय स्तर की सरकारी सूचनाएं और सेवाएं इन्टरनेट के जरिए प्राप्त हो सकेंगीं। इंडिया पोर्टल का पहला संस्करण नेट पर उपलब्ध हो चुका है और इसे www.india.gov.in पर देखा जा सकता है।

सरकार ने राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना के लिए मानक तैयार करने और इन्हें लागू करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली शुरू की है।

विभाग द्वारा स्थापित कार्यक्रम प्रबंध इकाई इस शीर्ष समिति तथा अन्य मंत्रालयों को विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं और घटकों के प्रस्ताव तैयार करने में अनुसचिवीय सहायता प्रदान करेगी।

राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में ई–प्रशासन पहलों की योजना में प्रबंध तथा प्रौद्योगिकी संबंधी प्रमुख चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए कार्यक्रम स्तर तथा परियोजना स्तर पर राज्यों में क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी। योजना आयोग ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में सभी राज्यों को अतिरिक्त धनराशि आबंटित की है, ताकि ई–प्रशासन की दिशा में पहले कदम के रूप में राज्य क्षमता निर्माण का कार्य शुरू कर सकें।

विभिन्न राज्य सरकारों के फायदे और एकरूपता बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने संबंधित राज्यों द्वारा क्षमता निर्माण के लिए बनाए जाने वाले विस्तृत प्रस्ताव के वास्ते दिशा–निर्देश तैयार किए हैं। संस्थागत ढांचे और ई–प्रशासन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को व्यापक रूप से शुरू करने के वास्ते राज्य के नीति निर्माता और निर्णय लेने वाले लोगों की सहायता के लिए गठित विभाग से संबद्ध राज्य ई–प्रशासन मिशन टीम (एसईएमटी) के गठन के बारे में दिए गए सुझावों को भी शामिल भी किया गया है। विभाग ने एनआईएसजी के साथ मिलकर कई कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य क्षमता निर्माण जरूरतों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। राज्यों को अगले तीन वर्षों में क्षमता निर्माण की रूपरेखा तथा इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई है।

• राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर निर्माण नीति

विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संगठनों के परामर्श से नीतिगत ढांचे का अवधारणा प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें शुल्क नीति, आयात–निर्यात (एक्सिम) नीति, हार्डवेयर निर्माण पार्क, शोध तथा अनुसंधान सहायता, मेड इन इंडिया ब्राण्ड का बाजार तैयार करना, भारत में संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा कम्पनियों को आमंत्रित करना, अर्द्धचालक उद्योगों का विकास, श्रम कानून, पेटेंटिंग आदि मुद्दों को लिया गया है। अवधारण पत्र का प्रस्ताव राष्ट्रीय विनिमार्ण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) को भेज दिया गया है।

• पर्सनल कम्प्यूटर की पहुंच आसान बनाना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आम आदमी की पहुंच में पर्सनल कम्प्यूटर लाना और इन्टरनेट का इस्तेमाल बढ़ाना/देश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का विस्तार और घरेलू सॉफ्टवेयर बाजार का विकास इन तीन क्षेत्रों पर अगले दो–तीन वर्षों के दौरान विशेष ध्यान देने की योजना बनाई है। विभाग ने पर्सनल कम्प्यूटर आम आदमी तक सुलभ कराने, इन्टरनेट पहुंच और घरेलू सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास के बारे में सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसमें सरकार और उद्योग जगत के सदस्य शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञ समिति 26 अप्रैल, 2005 को अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। विभाग ने सस्ते कम्प्यूटरों के निर्माण, शिक्षा, ई–प्रशासन, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, बहुभाषी सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल और विषयवस्तु, इन्टरनेट पहुंच और टेलिमेडिसिन के क्षेत्र में कार्य योजना तैयार करने के वास्ते छह समितियां गठित की हैं। विभाग इन उद्दश्यों को प्राप्त करने के लिए अगले तीन–चार महीनों में एक पॉलिसी पैकेज तैयार करेगा।

पर्सनल कम्प्यूटर आम आदमी को सुलभ कराने के विषय पर गठित विशेषज्ञ समिति का उद्देश्य सस्ती कीमतों पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराना था। इस सिलसिले में विभाग ने कम्प्यूटर बनाने वाली कई कम्पनियों से विचार–विमर्श किया, ताकि सभी सुविधाओं से युक्त कम्प्यूटर 10,000 रुपए से भी कम कीमत में बाजार में उपलब्ध हो सके। ऐसे कम्प्यूटर उपलब्ध हो जाने से देश में कम्प्यूटरों का इस्तेमाल काफी बढ़ जाएगा। इन प्रयासों के फलस्वरूप मैसर्स एचसीएल और मैसर्स ज़ेनिटिस ने अगस्त 2005 के दौरान 10,000 रुपए से कम कीमत वाले कम्प्यूटर बाजार में उतारे हैं।

• भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी का फायदा तभी आम आदमी तक पहुंच सकता है, जब डिजिटलीकृत सूचना सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो। भारतीय भाषाओं में आईसीटी का व्यापक इस्तेमाल तभी संभव होगा, जब इससे संबंधित उपकरण, उत्पाद और संसाधन आम आदमी को आसानी से उपलब्ध हों। विभाग ने इस दिशा में कई प्रमुख कदम उठाए हैं। विभाग ने इस दिशा में कई प्रमुख कदम उठाए हैं। विभाग ने अप्रैल 2005 में तमिल भाषा के कई फॉन्ट, ई–मेल क्लाइन्ट, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नीशन (ओसीआर) सॉफ्टवेयर, वर्तनी जांचने की सुविधा और शब्दकोश सार्वजनिक डोमेन में जारी किए। इसी प्रकार जून 2005 और अक्तूबर, 2005 में क्रमशः हिन्दी और तेलुगू सॉफ्टवेयर उपकरण और फॉन्ट्स जारी किए गए। पंजाबी और उर्दू भाषा में सॉफ्टवेयर और फॉन्ट्स तैयार हैं और इन्हें जल्दी ही जारी किया जाएगा। अगले एक वर्ष के दौरान सभी भारतीय भाषाओं को कवर कर लिया जाएगा।

• इन्टरनेट को प्रोत्साहन

• इन डोमेन नाम के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से सरकार ने अक्तूबर, 2004 में इन इन्टरनेट डोमेन नाम नीति का ढांचा तैयार कर इसे लागू किया। इस नीति का उद्देश्य वर्तमान प्रक्रिया में मौजूद बाधाओं को दूर करना था, ताकि • इन डोमेन नाम से ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण हों। मंत्रालय और नेशनल इन्टरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (निक्सी) ने अत्यधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों की स्थापना तथा • इन रजिस्ट्री की शुरूआत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। • इन रजिस्ट्री की शुरूआत होने से डोमेन नामों की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है और व्यापकता आई है। 7 दिसम्बर, 2005 तक 1,50,000 नाम • इन डोमेन में पंजीकृत हो चुके हैं।

देश में उदभूत होने वाले और साथ ही जिनका गन्तव्य देश में ही हो, ऐसे इन्टरनेट ट्रैफिक को देश में ही बनाए रखने के लिए निक्सी की स्थापना की गई है। इससे इन्टरनेट ट्रैफिक को गुप्त बनाए रखने, बैंडविड्थ लागत में कमी और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। नोएडा (दिल्ली), मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता से चार इन्टरनेट एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। 40 इन्टरनेट सेवा प्रदाता इन केन्द्रों से जोड़े जा चुके हैं।

रूट सर्वरों की स्थापना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और निक्सी ने दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में तीन मिरर रूट सर्वर स्थापित किए हैं। रूट सर्वर अन्तरराष्ट्रीय

इंटरनेट के बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण अंग हैं। दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में क्रमशः के, आई और एफ रूट सर्वर स्थापित किए गए हैं। इन रूट सर्वरों की स्थापना से खर्चीले अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ लोड में कमी आएगी,, विदेशी रूट सर्वरों पर निर्भरता कम होने से इन्टरनेट सेवा मजबूत होगी तथा होस्ट नेम रिजोल्यूशन में सुधार होगा और यह 10 मिलीसैकन्ड से नीचे आ जाएगा।

इन्टरनेट प्रोटोकोल वर्सन–6 (आईपीवी–6) अगली पीढ़ी का इन्टरनेट प्रोटोकोल है। वर्तमान में देश में आईपीवी–4 का इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलकर इसकी जगह आईपीवी–6 का इस्तेमाल होने लगेगा। आईपीवी–6 डाटा नेटवर्किंग प्रोटोकोल का उन्नत संस्करण है। आईपीवी–6 की ओर अन्तरराष्ट्रीय रुझान को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईपीवी–6 के इस्तेमाल और इस संस्करण को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान, अनुसंधान तथा विकास, आईपीवी–6 को अपनाने के बारे में प्रायोगिक परियोजनाएं और नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा इसके इस्तेमाल के बारे में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ईआरएनईएटी और सिफी नेटवर्क ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

- **सूचना सुरक्षा**

देश के वाणिज्यिक, सामरिक और अन्य क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल के साथ ही सूचना सुरक्षा का महत्व दिनप्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विभाग के मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय ने सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली प्रमाणन फ्रेमवर्क स्थापित किया है। इसके तहत सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों और संगठनों को बीएस–7799 मानक के अनुसार प्रमाणित किया गया है। भारत–अमरीका साइबर सुरक्षा फोरम के एक अंग के रूप में एसटीक्यूसी और अमरीका का राष्ट्रीय मानक प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी) मिलकर सूचना सुरक्षा प्रबंध और नियंत्रण के बारे में मानक तथा दिशानिर्देश तैयार करेंगे। देश में सूचना की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडिया कम्प्यूटर इंजीनियरिंग रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी–इन) की स्थापना की गई है। सीईआरटी–इन उद्योगों और शिक्षण संस्थानों से अनुबंध करने जा रही है। कम्प्यूटर सुरक्षा से संबंधित सूचना के आदान–प्रदान और तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के बारे में माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऐसा पहला सुरक्षा सहयोग समझौता किया जा चुका है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की समीक्षा**

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इससे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को लागू करने के बाद हुए राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रासंगिक संशोधनों का सुझाव देने का जिम्मा सौंपा गया था। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में डाटा प्रॉड्क्शन, बीपीओ संचालन में गोपनीयता, नेटवर्क सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारियां, कम्प्यूटर से जुड़े अपराध, साइबर कैफे के लिए कानून, बच्चों के लिए निषिद्ध अश्लील विषयवस्तु आदि जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट सार्वजनिक की जा चुकी है तथा लोगों की राय जानने के लिए इसे विभाग की वेबसाइट पर रखा गया है। ✡

वैज्ञानिक ग्रामीण भारत में विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान दें

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने वैज्ञानिक समुदाय से आग्रह किया कि वह उत्तम गुणवत्ता वाले विज्ञान, विश्व स्तरीय अनुसंधान, ग्रामीण भारत में विकास और रोजगार सृजन की आवश्यकताएं पूरी करने पर ध्यान दें ताकि विकास की उपलब्धियां देश के कोने–कोने तक पहुंच सकें। डा. मनमोहन सिंह ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और गैर–सरकारी संगठनों व स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करें। हैदराबाद में 93वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यद्यपि विज्ञान में विकास हुआ है, लेकिन शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई, ग्रामीण आय को बढ़ाने का मुद्दा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का मुद्दा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का मुद्दा तथा भारत और इंडिया के बीच का कथित भेदभाव आज भी मौजूद है। डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए गैर–खाद्यान्न फसलों, बागवानी और पौधों की नई प्रजातियां विकसित करने के लिए दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए गए "कृषि नवीकरण" कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह दूसरी हरित क्रांति हो सकती है, और इसके लिए उन्होंने सात–सूत्री पैकेज की रूपरेखा प्रस्तुत की।

उन्होंने कहा कि बहरहाल, दूसरी हरित क्रांति तब तक संभव नहीं है जब तक कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को पुनर्जीवित नहीं किया जाता।

डा. मनमोहन सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामने खड़ी तीन चुनौतियों का वर्णन किया जिनका तुरंत मुकाबला किया जाना चाहिए– पहली, कृषि उत्पादकता, भूमि उत्पादकता, श्रम और उत्पादन के अन्य अवयवों को बढ़ाना, दूसरी, ऊर्जा और जल के लिए सस्ती और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करना, तथा तीसरी, खेती और गैर–खेती क्षेत्रों के लिए श्रम आधारित और कुशल व प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना। ✡

(साभारः प्रेस सूचना कार्यालय)

राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन

स्वरूप और संभावनाएं

ओ.पी. शर्मा

आज सम्पूर्ण विश्व में सबसे बड़े उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुके 'पर्यटन उद्योग' का विगत दो दशकों में इतनी तीव्र गति से विकास हुआ है कि पर्यटन के प्रति न केवल लोगों का दृष्टिकोण बदला है बल्कि सभी राष्ट्रों में एक 'नवीन पर्यटन अवधारणा' विकसित हो रही है। पहले विश्वभर में व्यापारिक, ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन को प्राथमिकता दी जाती थी, किन्तु वर्तमान परिवर्तित परिवेश में पर्यटकों की पसन्द, अभिरुचि, मनोरंजन–अभिवृत्तियों व सुख–सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण पर्यटन, सामुद्रिक पर्यटन, इको टूरिज्म, स्वास्थ्य पर्यटन, पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटन, केमल व हॉर्स सफारी आदि गतिविधियों के माध्यम से अधिकाधिक 'टूरिस्ट ट्रेफिक' आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन के ये सभी नवीन घटक देशी–विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में काफी हद तक सफल भी रहे हैं।

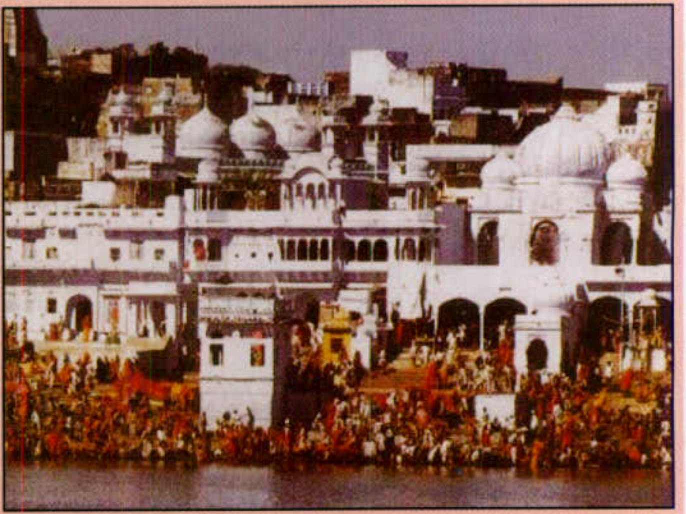

तालिका
राजस्थान में पर्यटकों का आगमन

वर्ष	स्वदेशी	विदेशी	कुल
1999	66,75,528	5,62,685	72,38,213
2000	73,74,391	6,23,100	79,97,491
2001	77,57,217	6,08,283	83,65,500
2002	83,00,190	4,28,437	87,28,627
2003	1,25,45,135	6,28,560	1,31,73,695
2004	1,60,33,896	9,71,772	1,70,05,668

भारत सहित अनेक राष्ट्रों में नवीन पर्यटन अवधारणा के अन्तर्गत 'ग्रामीण पर्यटन' के विकास पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन जहां एक ओर पारम्परिक लोक–कलाओं तथा लोकगीतों का स्वर–माधुर्य और हस्तकलाओं के साथ ही ग्राम्य जीवन का सहज दर्शन सुलभ कराता है वहीं दूसरी ओर ग्रामीण संस्कृति और परम्पराओं को नजदीक से देखने का अवसर भी प्रदान करता है। ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत ग्रामीण विरासत के अनछुए पहलुओं को उजागर कर उनके प्रभावी विपणन की दिशा में गंभीर प्रयास किये जाते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में धनोपार्जन और रोजगार के अवसर सृजित हो सकें और क्षेत्रीय विकास दर में अभिवृद्धि भी रेखांकित की जा सके। इस दृष्टि से भारत जैसे ग्राम बहुल विकासोन्मुखी राष्ट्र के संतुलित विकास हेतु ग्रामीण पर्यटन का विकास व विस्तार एक रामबाण औषधि सिद्ध हो सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन प्रसार हेतु और अधिक प्रभावोत्पादक प्रयास किये जाने चाहिए। ग्रामीण पर्यटन के विकास से राजस्थान को न केवल बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिलेगी, बल्कि प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए अनेकानेक रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। साथ–ही–साथ जहां एक ओर गांवों में होटल, परिवहन, हस्तकला व हथकरघा उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षा व संरक्षण भी प्राप्त होगा। निःसंदेह गैर–कृषि क्षेत्र के रूप में ग्रामीण पर्यटन का विकास ही एक ऐसा सशक्त उपाय है जो राजस्थान की पिछड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और समृद्ध बना सकता है।

सरकारी प्रयास

राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन के व्यापक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा स्वदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु समय–समय पर यथोचित प्रयास किये जाते रहे हैं। वर्ष 1955 में 'पर्यटन निदेशालय' की स्थापना, वर्ष 1978 में 'राजस्थान पर्यटन विकास निगम' का संचालन करने के साथ–साथ वर्ष 1982 से एक शाही रेलगाड़ी, (Palace on Wheels) का शुभारम्भ भी किया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन व्यवसाय को विशिष्ट दर्जा देते हुए वर्ष 1992 में इसे 'उद्योग' घोषित किया जा चुका है। वर्तमान समय में राज्य में प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर और ग्राम स्तर तक पर्यटन विकास के लिए चार इकाईयां–राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार बोर्ड, पर्यटन समन्वय समिति, जिला पर्यटन उन्नयन समिति और राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन भी कार्यरत हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले 'राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन' का मूल उद्देश्य राज्य में पर्यटन व्यवसाय को ग्राम स्तर तक विकसित करके 'जन–उद्योग' में परिणत करना है। इस मिशन द्वारा प्रादेशिक पर्यटन के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार 'पर्यटन

व्यवसाय विधेयक' बना रही है जिसमें पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस को भी कानूनी अधिकार दिये जाने का प्रावधान है।

एम.टी.वी. योजना

हाल ही में राज्य में ग्रामीण स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 'आदर्श पर्यटन गांव योजना' क्रियान्वित की गई है। इस योजनान्तर्गत राज्य में प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक आदर्श पर्यटन गांव (Model Tourist Village-M.T.V.) का चयन करके उसे पर्यटन की दृष्टि से पूर्णतः सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। राज्य में ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकसित करने का मुख्य उद्देश्य जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे सुस्थापित पर्यटन शहरों पर पर्यटकों के बढ़ते दबाव को कम करने के साथ-साथ राज्य के ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर बल देना और साथ ही पर्यटन विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का सृजन करना भी है। केन्द्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित इस योजना में पर्यटकों की मदद के लिए 'पर्यटन वाहिनी' का गठन किया गया है। वाहिनी से जुड़े लोग पर्यटकों के लिए गाइड एवं सहायक का कार्य करते हैं। योजना के प्रथम चरण के लिए चयनित गांवों में सामोद (जयपुर), चावण्ड (उदयपुर), छीजल (जोधपुर), खुड़ी (जैसलमेर), ताल थापर (चूरू), चौथ का बरवाड़ा (सवाईमाधोपुर), कालीबंगा (हनुमानगढ़) आदि मुख्य हैं।

उल्लेखनीय है कि अभी तक हिमाचल ही ऐसा राज्य है जिसे देश के प्रथम हेरिटेज विलेज के रूप में दर्जा दिया गया है किन्तु आगामी कुछ वर्षों में राजस्थान भी हेरिटेज विलेज का राज्य नजर आयेगा। केन्द्रीय योजना आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार 'हर ग्रामीण हाथ को काम' देने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को पूरी तरह गांव आधारित रखने के लिए प्रयत्नशील है। निःसंदेह प्रदेश के हेरिटेज विलेज के रूप में विकसित होने पर न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक संरचना का सुदृढ़ स्वरूप उपलब्ध हो जायेगा, बल्कि रोजगारोन्मुखी ग्रामीण पर्यटन से ग्रामवासियों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक-आर्थिक जीवन स्तर को भी गति मिलेगी।

आज सम्पूर्ण विश्व में सबसे बड़े उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुके 'पर्यटन उद्योग' का विगत दो दशकों में इतनी तीव्र गति से विकास हुआ है कि पर्यटन के प्रति न केवल लोगों का दृष्टिकोण बदला है बल्कि सभी राष्ट्रों में एक 'नवीन पर्यटन अवधारणा' विकसित हो रही है। भारत सहित अनेक राष्ट्रों में नवीन पर्यटन अवधारणा के अन्तर्गत 'ग्रामीण पर्यटन' के विकास पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन जहां एक ओर पारम्परिक लोक-कलाओं तथा लोकगीतों का स्वर-माधुर्य और हस्तकलाओं के साथ ही ग्राम्य जीवन का सहज दर्शन सुलभ कराता है वहीं दूसरी ओर ग्रामीण संस्कृति और परम्पराओं को नजदीक से देखने का अवसर भी प्रदान करता है।

विलेज ऑन व्हील्स

वर्ष 2004 में राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय रेलवे के सहयोग से उत्तर-पश्चिमी रेलवे जोन में विलेज ऑन व्हील्स (Village on Wheels) नामक गाड़ी शुरू करने की घोषणा की गई है। इस ट्रेन को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य गांवों व छोटे शहरों में रहने वाले आम आदमी को 'पॉकेट-बजट' के हिसाब से पर्यटन सुविधा प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि देश में उच्च आय वर्ग के पर्यटकों के लिए पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएन्ट जैसी उच्च स्तरीय गाड़ियों का संचालन तो दशकों से किया जा रहा है किन्तु मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के ग्रामीण लोगों के लिए कम बजट में फिलहाल कोई विशिष्ट गाड़ी संचालित नहीं की जा रही थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए 'पहियों पर गांव' नामक गाड़ी प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को बखूबी अंजाम देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा खानपान सुविधाओं तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा देश की टूर ऑपरेटर कम्पनियों और एजेन्सियों से ट्रेन के टूर प्लॉन प्रबन्धन हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं। टूर प्लॉन के अन्तर्गत साइट सीन, सड़क यातायात की सुविधा एवं खान-पान संबंधी गतिविधियों को रेखांकित किया गया है।

पर्यटन विशेषज्ञों के मतानुसार पर्यटन व्यवसाय को सर्वाधिक मुनाफा देने वाले मध्यम और निम्न आय-वर्ग के लिए संचालित की जाने वाली इस विशिष्ट गाड़ी से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रेस्टोरेन्ट्स, हस्तशिल्प, परिवहन संसाधनों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं विस्तार को अवश्य गति मिलेगी तथा रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगें।

इको-टूरिज्म

प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन विकास में अहम भूमिका अदा करने वाले 'पारिस्थितिकीय पर्यटन' (Eco-Tourism) को भी राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अप्रैल 2005 में प्रदेश के 100 संभाव्य स्थलों को चिन्हित किया गया है। यह कार्य राजस्थान के वन विभाग और पर्यटन विभाग दोनों के संयुक्त प्रयासों से सम्पन्न किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के वनों में अवस्थित पुरामहत्व के स्मारकों, किलों, महलों, झीलों, बावड़ियों आदि को विकसित किया जायेगा ताकि देशी-विदेशी पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभार्जन के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहरों और ग्रामीण संस्कृति को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल सके। इको-टूरिज्म की दृष्टि से चिन्हित किए गए मुख्य ग्रामीण स्थल हैं- खींचन, गुढ़ाविश्नोइयां, माचिया, सफारीपार्क (जोधपुर); सम और 'राष्ट्रीय डेजर्ट पार्क' (जैसलमेर); भंवाल माता (नागौर); छीपाबेरी और माउण्ट आबू (सिरोही); नाणाबेड़ा और जवाई बांध (पाली); सुंधा माता (जालोर); किराडू (बाड़मेर) आदि।

अपना-धाम, अपना-काम, अपना-नाम योजना

राज्य के ग्रामीण अंचलों में फैली प्राचीन आध्यात्मिक धरोहरों यथा – देवालयों, स्मारकों, खाली भूमि, मंदिरों आदि के प्रबन्ध व अनुरक्षण में जन-सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मई 2005 से 'अपना धाम, अपना काम, अपना नाम' योजना शुरू की गई है। राज्य के देव स्थान द्वारा संचालित इस योजनान्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाली व अनुपयोगी पड़ी भूमि व धार्मिक सम्पदाओं पर

नवनिर्माण या पुनर्निर्माण कराकर उन्हें धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपयोग के लायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ऐसी धार्मिक सम्पदाओं के पुनर्निर्माण में केवल पंजीकृत निजी एजेंसियों को ही सहभागी बनाया जा रहा है। इस कार्य के लिए उनके साथ किये जाने वाला अनुबंध अधिकतम 30 वर्ष तक के लिए होगा। ऐसी भूमि या सम्पदा के पास व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भी निर्माण कराया जा सकेगा लेकिन ऐसी सम्पत्ति के लीज की अवधि अधिकतम पांच वर्ष ही होगी। आशा है धार्मिक धरोहर को संरक्षण प्रदान करने वाली इस विशिष्ट योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सम्पत्तियों, आवासगृहों, संचार संसाधनों का विस्तार होगा और ग्रामीण पर्यटन के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

शिल्पग्राम मेले

प्रदेश में पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादों का विकास करने हेतु उदयपुर, पुष्कर, झुंझुनू और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 'शिल्पग्राम मेले' भी संचालित किये जा रहे हैं। इन मेलों में राजस्थान के ग्रामीण शिल्पकार अपने–अपने उत्पादों की स्टॉल लगाते हैं तथा लोक–कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके पर्यटकों को रिझाने का प्रयास करते हैं। इन मेलों में ग्रामीण कलाओं को देखकर अभिभूत होने वाले विदेशी पर्यटक शिल्पग्राम मॉडल्स को ही 'वास्तविक पर्यटन' की संज्ञा देते हैं।

हेरिटेज कन्जरवेशन योजना

राज्य के स्वायत्त शासन विभाग ने 'हेरिटेज कन्जरवेशन योजना' के अन्तर्गत जुलाई 2005 से ग्रामीण ऐतिहासिक स्मारकों की दशा सुधारने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए दस करोड़ रूपये की स्वीकृत राशि का उपयोग विरासत महत्व की इमारतों के विकास में किया जायेगा। पर्यटन विकास की इस योजना को संचालित करने के लिए फिलहाल प्रदेश के 28 नगरपालिका क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। निःसंदेह यह योजना ग्रामीण पुरा–सम्पदा के संरक्षण में अपूर्व योगदान रेखांकित करेगी।

विलेज सफारी

हाल ही में राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा जोधपुर के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में 'विलेज सफारी' नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजनान्तर्गत विश्नोई बहुल क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिनमें जीवन्त सांस्कृतिक परम्पराओं और हिरण चिन्कारा जैसे वन्यजीवों को नजदीक से निहारने के सहज अवसर उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के परिवहन मालिकों द्वारा जीप सफारी का आयोजन किया जाता रहा हैं किन्तु अब यह कार्य पर्यटन विभाग द्वारा संचालित और नियन्त्रित किया जायेगा। आशा है पर्यटन प्रसार की यह योजना जोधपुर के साथ–साथ सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब सिद्ध होगी।

फार्म हाऊस टूरिज्म

राजस्थान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण जन–जीवन से रूबरू कराते हुए उनका परम्परागत और ग्रामीण खेलकूद गतिविधियों यथा–गिल्ली–डंडा, लूण क्यार, सत्तोलिया, मारदड़ी, राउण्ड–बल्ला आदि से भरपूर मनोरजंन करने के लिए आजकल प्रदेश में 'फार्म हाउस टूरिज्म का प्रचलन भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। पर्यटन के इस नवीन स्वरूप को बढ़ावा देने में शेखावाटी क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठन मोरारका फाउण्डेशन सराहनीय भूमिका अदा कर रहा है।

चुनौतियां

यद्यपि राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन विकास की अकूत संभावनाएं मौजूद हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बद्ध अनेक संगठनात्मक और संरचनात्मक बाधाओं तथा चुनौतियों की विद्यमानता के कारण यह राज्य के विशाल ग्रामीण क्षेत्रफल को देखते हुए पर्यटको की यात्रा के लिए जहां एक ओर रेल और सड़क परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर प्रशिक्षित और अनुभवी गाइड्स का नितान्त अभाव बना हुआ है। ग्रामीण अंचलों में पर्यटन स्थलों से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए पर्यटन सूचना केन्द्रों का विकास नहीं के बराबर हुआ है। उचित देखभाल और संरक्षण के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित अनेक प्राचीन स्मारक जर्जर तथा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। राज्य के प्राचीन गांवों में स्थापित उच्च शिल्पकला से परिपूर्ण मंदिर, छतरियां, सेनोटोप, बावड़ियां आदि पर्याप्त सुरक्षा न होने के करण दयनीय स्थिति में पड़े हैं।

राज्य के ग्रामीण पर्यटन उद्योग की प्रमुख बाधा विद्युत आपूर्ति में कमी तथा अनियमितता भी बनी हुई है। आए दिन विद्युत कटौती के कारण विदेशी पर्यटकों के लिए आधुनिक एवं उच्च स्तरीय सुविधाओं का समुचित प्रबन्ध नहीं हो पाता है साथ ही सुविधाओं के बरकरार रखना भी कठिन हो जाता हैं। विश्वभर में 'फेस्कोलेण्ड' को रूप में विख्यात प्रदेश के 'शेखावटी अंचल' के गांवों में स्थित हजारों हवेलियों, किलों, महलों के चिताकर्षक भित्तिचित्र भी उचित देखरेख के अभाव में अपनी मौलिकता खोते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन इमारतों के पुराने दरवाजे, खिड़कियां, झाड़–फानूस तथा हस्तकला की अन्य प्राचीन वस्तुओं का तस्करी कारोबार भी तीव्र गति से फैलता जा रहा है।

निरन्तर अकाल व सूखों का सामना करने वाली राज्य सरकार के वित्तीय संकट के कारण ग्रामीण पर्यटन के विकास की अनेक योजनाएं फाइलों में बन्द पड़ी हैं। आर्थिक संस्थानों की अपर्याप्तता ग्रामीण पर्यटन के विकास में एक प्रमुख चुनौती बनती जा रही है।

उपर्युक्त चुनौतियों के अलावा गांवों के लिए आकर्षक पैकेज टूर्स की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में अचिन्हित तथा अनछुए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की खोज और उनका विकास व विस्तार का भार, बढती हुई टूरिस्ट ट्रेफिक के कारण एड्स जैसी भंयकर बीमारियों के फैलने का

भय, पर्यटन गतिविधियों की बढ़ती हुई संचालन लागतें, विदेशी पर्यटकों के साथ धोखा–धड़ी करने वाले समूह का बढ़ता जाल, पर्यटन विकास में निजी उद्यमियों का अपर्याप्त सहयोग आदि समस्याएं भी प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन विकास में बाधक बनी हुई है।

प्रभावोत्पादक सुझाव

- प्रदेश में पर्यटकों की बढती हुई संख्या को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हवेलियों, किलों, महलों को हैरिटेज होटलों में परिवर्तित करने के लिए विशेष बजट प्रयास अति आवश्यक है।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फैले विभिन्न पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सड़कें व रेल परिवहन की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।
- देशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक, दो, तीन स्टार होटलों की स्थापना पर बल देना चाहिए।
- विदेशी पर्यटकों और उनकी पश्चिमी संस्कृति के दुष्प्रभावों को नियन्त्रित करने हेतु स्थानीय परम्पराओं, सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों के अनुरूप 'क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए' की आचरणगत नीति को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- उदयपुर के 'शिल्पग्राम' की भांति राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हस्तकला पर आधारित मेलों का आयोजन करके विदेशी पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि की जा सकती है।
- प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के प्रति बढ़ते रूझान को रखते हुए विभिन्न धर्मावलम्बियों की परस्पर सांस्कृतिक समझ और धार्मिक विचारों का आदान–प्रदान करने हेतु धार्मिक पर्यटन को अत्यधिक बढ़ावा देना चाहिए।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीर्ण–शीर्ण होने वाली प्राचीन हवेलियों, ऐतिहासिक स्मारकों, किलों, महलों के संरक्षण हेतु अग्रांकित सुझावों पर चिन्तन करना अति आवश्यक है :
  - पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी ऐतिहासिक स्थलों का राजस्थान सरकार के अधीन पंजीयन अनिवार्य कर देना चाहिए।
  - ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और देखभाल करने हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं, इतिहासविदों, पर्यटन अधिकारियों और निजी उद्यमियों के संयुक्त प्रयासों से एक पर्यटन समिति का गठन किया जाना चाहिए।
  - पर्यटन उद्योग से होने वाली आय का एक निश्चित प्रतिशत ऐतिहासिक स्मारकों एवं सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  - पुरा–सम्पदा की देखभाल में राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., स्काउट्स आदि के कैडेट्स की सेवा ली जानी चाहिए।
  - ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत, अनुरक्षण एवं संरक्षण की जिम्मेदारी निजी व्यावसायिक घरानों को सौंपी जा सकती है। इनको सरकार द्वारा निर्धारित राशि की टिकिट वसूली के लिए अधिकृत कर दिया जाना चाहिए।
  - मीडिया के माध्यम से प्राचीन स्मारकों के संरक्षण की महत्ता को स्पष्ट करते हुए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक स्मारकों को गोद लेने के लिए क्षेत्रीय उद्योगपतियों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए और उन्हें पुरातत्व विभाग की ओर से तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे व्यवस्थित तरीके से पुरा–सम्पदा की सुरक्षा व देखभाल कर सकें। ✡

(लेखक एस.पी.यू. महाविद्यालय, फालना (राज.) से सम्बद्ध हैं)

फार्म – 4

(कृपया नियम देखें)

1. प्रकाशन का स्थान	नई दिल्ली
2. अवधि	मासिक
3. मुद्रक का नाम	श्री मदन लाल गोयल
(क्या भारत का नागरिक है?)	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	–
पता	**मै. अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा.लि.** डब्ल्यू–30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–II, नई दिल्ली–110020
4. प्रकाशक का नाम	श्री उमाकांत मिश्र
(क्या भारत का नागरिक है?)	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	–
पता	प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
5. संपादक का नाम	**सुश्री स्नेह राय**
(क्या भारत का नागरिक है?)	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	–
पता	'कुरुक्षेत्र', कमरां न. 655 / 661, 'ए' विंग, गेट न. 5, निर्माण भवन ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी हों और या जो समस्त कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व में हिस्सेदार हों।	सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूर्ण साझेदार है

मैं **उमाकांत मिश्र** एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

उमाकांत मिश्र
(प्रकाशक)

पर्यटकों की संख्या और विदेशी मुद्रा भंडार में रिकार्ड वृद्धि

वर्ष 2005 में भारतीय पर्यटन ने नई ऊंचाईयों को छुआ। इस दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब साढ़े तेरह प्रतिशत और विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के पहले 11 महीनों में साढ़े तीस लाख विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की। जबकि इससे पिछले वर्ष पर्यटकों की संख्या केवल 25 लाख थी। इसी तरह पर्यटकों के आने से विदेशी मुद्रा भंडार में जनवरी 2005 से नवम्बर तक की अवधि में 22,958 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि इससे पिछले पर्यटन में 17,039 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। अतिथि देवो भव, प्रियदर्शिनी और ग्रामीण पर्यटन जैसी विभिन्न योजनाओं के चलते भारत ने पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाई।

विश्व की कई अंतरराष्ट्रीय इकाईयों और संगठनों ने भारत को पर्यटन के क्षेत्र में विशिष्ट दर्जा दिया। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार विश्व पर्यटन में भारत ने न केवल पांचवा स्थान हासिल किया बल्कि इस साल यहां बड़ी तेजी से –8.8 प्रतिशत की दर से पर्यटन का विकास भी हुआ। विश्व पर्यटन परिषद ने भी भारत को पर्यटन बाजार में विशिष्ट स्थान दिया है। परिषद के अनुसार 2015 तक यहां पर्यटकों के आगमन से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 24 खरब रुपए तक हो जाएगा।

वर्ष 2005 में भारतीय पर्यटन ने नई ऊंचाईयों को छुआ। इस दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब साढ़े तेरह प्रतिशत और विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पर्यटकों के आने से विदेशी मुद्रा भंडार में 22,958 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। अतिथि देवो भव, प्रियदर्शिनी और ग्रामीण पर्यटन जैसी विभिन्न योजनाओं के चलते भारत ने पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाई। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार विश्व पर्यटन में भारत ने न केवल पांचवा स्थान हासिल किया बल्कि इस साल यहां बड़ी तेजी से –8.8 प्रतिशत की दर से पर्यटन का विकास भी हुआ। विश्व पर्यटन परिषद ने भी भारत को पर्यटन बाजार में विशिष्ट स्थान दिया है।

अतिथि देवो भव

वर्ष के आरंभ में ही 19 जनवरी को अतिथि देवो भव योजना शुरू की गई। इसके जरिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान टैक्सी ड्राईवरों, गाईडों, अधिकारियों, पर्यटकों से सीधे संपर्क में आने वाले कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे पर्यटकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रख सकें। प्रथम चरण में दिल्ली, मुम्बई, गोवा, हैदराबाद, आगरा और औरंगाबाद को शामिल किया गया। इस दौरान 26 हजार सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। पहले चरण की सफलता को देखते हुए नवम्बर 2005 में 75 हजार सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। यह चरण अगले वर्ष पूरा हो जाएगा।

बिम्स्टेंक्ट मीट

फरवरी 2005 में भारत की अध्यक्षता में अंतर्क्षेत्रीय पर्यटन अवसरों की खोज के लिए कलकत्ता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बंगलादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान ने हिस्सा लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र के देशों को आपसी संवाद के जरिए पर्यटन के विकास के लिए नीतियां बनानी चाहिए और संयुक्त बाजार लगाने चाहिए। बंगलादेश और श्रीलंका के टूर आपरेटरों ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अन्तर्क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन के दौरान टूर भी आयोजित किए। जनवरी 2005 में थाईलैंड में आयोजित किए गए विश्व पर्यटन परिषद की कार्यकारी परिषद में भारत को अध्यक्षता का आमंत्रण मिला। यह बैठक सुनामी प्रभावित देशों में पुर्नवास योजना के लिए आयोजित की गई थी। पर्यटन के इतिहास में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

विश्व पर्यटन परिषद बैठक

8 से 10 अप्रैल, 2005 के दौरान नई दिल्ली में विश्व पर्यटन परिषद की बैठक हुई। इसमें 500 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें सरकारी प्रतिनिधि, प्रमुख होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े विशिष्ट प्रतिनिधथ शामिल थे। विश्व में पर्यटन से जुड़े विशेषज्ञों के समक्ष भारत के लिए अपनी पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने का यह एक बेहतरीन मौका था।

क्रूज पर्यटन

देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए। बंदरगाहों की पहचान की गई। मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया। अप्रैल में एक उच्च स्तरीय ग्रुप का गठन किया गया। इसके तहत भारत में जहाज रानी सेवाओं में सुधार लाया गया। विदेशी जहाज रानी सेवाओं को भारत में उपलब्ध सेवाओं की जानकारी मुहैया करायी गई। अक्तूबर में विश्व की एक प्रमुख जहाज रानी सेवा ने भारत में मुम्बई–गोवा–लक्षद्वीप मार्ग पर क्रूज चलाया।

चिकित्सा पर्यटन

इस वर्ष देश में चिकित्सा पर्यटन की शुरूआत की गई। अपनी तरह की विशिष्ट सेवा से प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा हासिल की जा सकती है। भारत में पहली बार इस सेवा को पर्यटन मंत्रालय ने परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आरंभ किया। इसके तहत अस्पतालों की पहचान, स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर और सेवाओं के लिए उप समितियां गठित की गई।

ग्रामीण पर्यटन

इस वर्ष ग्रामीण पर्यटन योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी कला, दस्तकारी और सांस्कृतिक विरासत के अवलोकन के साथ–साथ पर्यटन का लाभ देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक

पहुंचाना भी है। राज्य सरकारों के सहयोग से 63 ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान की गई। प्रति क्षेत्र विकास के लिए इस साल 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इसके तहत गांव के आस–पास के क्षेत्रों में सुधार, सड़क निर्माण, पंचायत सीमा क्षेत्र में सड़कों में सुधार, तालाबों और पानी के अन्य स्त्रोतों की सफाई, संग्राहलयों का रख–रखाव शामिल था। इन परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए धन सीधे उन एजेंसियों को मुहैया कराया गया जो इन क्षेत्रों का रख–रखाव करती हैं। इस योजना की विशेषता यह रही कि इसमें गैर–सरकारी संगठनों और क्षेत्रीय युवाओं ने हिस्सा लिया।

पांच स्थानों पर गुरुकुल स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली, उड़ीसा में रघुराज पुर, गुजरात में हुड़का, मध्य प्रदेश में प्राण पुर और केरल में अरानमुल्ला शामिल है। पर्यटकों के लिए यहां आकर गुरुकुल के वातावरण को देखना एक सुखद अनुभव होगा। इन गांवों में अल्प समय के लिए पर्यटक रह सकेंगे और इस दौरान वे स्थानीय कलाकारों से कला, संगीत और भारतीय संस्कृति के अन्य रूपों का अध्ययन भ्री कर सकेंगे। इस साल अक्तूबर में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित एक वैबसाइट www.exploreruralindia.org की शुरूआत की गई।

प्रियदर्शिनी परियोजना

प्रियदर्शिनी परियोजना का उद्देश्य पर्यटन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना 9 दिसम्बर को शुरू हुई। इस दौरान महिलाओं को टैक्सी चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें आत्म रक्षा यातायात की मरम्मत और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां भारत का प्रतिरूप है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्यटकों विशेषकर महिला पर्यटकों के लिए यात्रा और सुखद बनाना है।

इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने महिलाओं को अपना उद्यम लगाने की सुविधा भी मुहैया कराई है। अब महिलाएं पर्यटन स्थलों पर कला और स्मारक दीर्घा छोटे कॉफी शॉप खोल सकती है। मंत्रालय ने इसी साल 11 से 16 अक्तूबर की अवधि में सियोल, टोकियो और औसाका में पर्यटन सड़क उत्सव आयोजित किए। इसी तरह के उत्सव मिलन, पैरिस और सर्बिया के साथ यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित किए गए। यूरोप के प्रमुख बाजारों में इस तरह के उत्सव आयोजित करने का उद्देश्य यही था कि वहां के लोग भारत के पर्यटन से परिचित हों और यहां आए। इन उत्सवों में बड़ी संख्या में टूर आपरेटरों और पर्यटन से जुड़े लेखकों ने हिस्सा लिया। अविस्मरणीय भारत का दूसरा चरण मार्च 2005 तक जारी रहा। और इस दौरान जापान में टेलीविजन के माध्यम से "लैट अस गो टू इंडिया" थाइलैंड और चीन में "वॉक विद बुद्धा" आयोजित किए गए। लंदन में अविस्मरणीय भारत की विभिन्न योजनाओं से सज्जित टैक्सी और बर्लिन में ट्राम बहुत प्रसिद्ध हुई। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित बाजार ने भी विदेशी पर्यटकों के बीच भारत की बेहतरीन छवि बनाई।

रात्रि बाजार

इस साल पर्यटन मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के साथ–साथ खरीदारी को सुखद अनुभव बनाने के लिए रात्रि बाजार आरंभ किए। ये बाजार उन पर्यटकों के लिए काफी अनुकूल साबित हुए जो दिन में अपनी व्यापारिक अनुबंधों के कारण व्यस्त रहते थे। पर्यटकों ने रात के समय यहां की लोक कलाओं के अवलोकन के साथ–साथ जम कर खरीददारी की। ये बाजार भारतीय थिएटर, कविताओं और हस्त शिल्प के साथ–साथ पारम्परिक कला और संस्कृति का मूर्त रूप थे। अप्रैल से मई के दौरान ऐसा पहला बाजार राजधानी के अशोक होटल, चाणक्य पुरी में लगाया गया।

जम्मू कश्मीर में पर्यटन की पुनः स्थापना

वर्ष 2005 जम्मू–कश्मीर में पर्यटन को फिर से जागृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। साल के पहले 6 महीनों में घरेलू पर्यटकों ने बड़ी संख्या में कश्मीर घाटी की यात्रा की। लगभग 83 प्रतिशत देशी पर्यटक यहां आए। इसी तरह से विदेशी पर्यटकों के आगमन में भी वृद्धि दर्ज की गई। पर्यटन मंत्रालय ने 6 गांवों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। घाटी के दरूंग, सुरिनसार गगनगिर, सोनमर्ग, पहलगांव और झेरी क्षेत्रों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। पर्यटन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष में तीन पर्यटन विकास प्राधिकरणों को 2–2 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। जम्मू–राजोरी पूंज के लिए 6 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बर्लिन, अमेरिका और इटली के प्रमुख टूर आपरेटरों ने कश्मीर घाटी के लिए टूर भी आयोजित किए।

पर्यटन परियोजनाएं

इस साल पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन परियोजनाओं के समन्वित से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। इस साल विभिन्न राज्यों के लिए 20,696.51 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इनमें केरल में समुद्री तट पर्यटन, निचले आसम में नदियों के आस–पास के क्षेत्र का विकास सिक्किम में ट्रेकिंग, बस्तर में कोंडा गांव का विकास, जम्मू–कश्मीर में अखनूर में चेनाब नदी के आस–पास के क्षेत्र का विकास, कर्नाटक के पास झरने, नागालैंड में पर्यटकों के आगमन के लिए विभिन्न क्षेत्रों का विकास, और उत्तरी सिक्किम में बसंत के समय पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराना शामिल है। इस साल 35 पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए और सुविधाएं मुहैया कराई गई। यहां यात्री निवास, लॉज बनाए गए और स्मारकों को नया रूप दिया गया।

पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

पर्यटन के मूलभूत विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत होती है जो केवल बजट के प्रावधानों से पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए निजी क्षेत्र के साथ–साथ तकनीकी प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने इस साल दिसम्बर में एक योजना शुरू की है जिसके तहत प्रमोटर के इक्विटी अंशदान को 50 प्रतिशत तक राशि सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता अनुदान राशि परियोजना लागत के 25 फीसदी या 50 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम है, तक ही सीमित रहेगी। पर्यटक रेलें, क्रूज शिफ्ट, क्रूज टर्मिनल, कन्वेंशन सेंटर, गोल्फ के मैदान जैसी परियोजनाओं सहायता अनुदान प्राप्त कर सकती है। ✡

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

प्रकृति का अनुपम उपहार : फूलों की घाटी

एस. एस. सैनी

उत्तरांचल के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से आगे स्थित फूलों की घाटी मनुष्य को प्रकृति की एक ऐसी अनुपम भेंट है जो दुनिया में अन्यत्र नहीं है। जैव विविधता का यह अद्भुत खजाना है। इसी खजाने के संरक्षण के लिये 1982 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और करीब एक दशक से सरकार इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिये प्रयासरत थी। इन प्रयासों में हाल ही में सफलता मिली है। इससे पर्यावरण प्रेमी, राज्य व केन्द्र के वन एवं पर्यावरण विभाग काफी उत्साहित हैं। फूलों की घाटी के विश्व धरोहर बनने के पहले ही नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व को यूनेस्को संरक्षण सूची में शामिल कर चुका है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दो–दो क्षेत्रों को मान्यता एवं पहचान मिलने से यहां की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई है।

गढ़वाल के उच्च हिमालय में फूलों की घाटी नेशनल पार्क 87.5 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है। यह पार्क भ्यूंडार गंगा के ऊपरी ओर स्थित है।

जून–सितम्बर के महीनों में ही यहां प्रकृति के अनमोल खजाने का आनंद लिया जा सकता है। यहां का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने से गर्मियों में भी काफी ठंड रहती है और सर्दियों में तो तापमान गिरकर पांच–छह डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क के दिव्यता के कारण ही उत्तरांचल को परियों व किन्नरों का देश भी कहा जाता है। महाभारत व रामायण काल में भी इस क्षेत्र का उल्लेख है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि राम–रावण युद्ध में मूर्छित लक्ष्मण के लिये संजीवनी बूटी हिमालय के इसी क्षेत्र से ले जाई गई थी। यहां की दुर्गम पहुंच के कारण सदियों तक यह क्षेत्र पर्यटकों ही नहीं, बल्कि वन विभाग की भी पहुंच से दूर रहा। कुछ साहसिक प्रवृत्ति के स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी होने की बात जरूर कही जाती है।

फूलों की घाटी नेशनल पार्क को टूरिस्ट मैप पर लाने का काम तो हालांकि बहुत देर बाद ही शुरू हो सका था, परन्तु इसे खोजने का श्रेय एक अंग्रेज पर्वतारोही फ्रेंक स्मिथ को 1931 में मिला था। फ्रेंक कामेट चोटी पर चढ़ाई के बाद लौटते समय रास्ता भटक कर यहाँ पहुँचा था। यहां के नयनाभिराम एवं अविस्मरणीय दृश्य को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। फ्रेंक स्मिथ ने ही इसे 'वैली ऑफ फ्लावर्स' कहकर पुकारा था।

फूलों की घाटी नेशनल पार्क की शुरूआत घाँघरिया से हो जाती है, परन्तु असली घाटी की शुरूआत होती है नर पर्वत से। यह घाँघरिया से 3 किमी. आगे है। घाटी के ठीक सामने बर्फ से ढकी स्तवन पर्वत चोटी है जबकि पीछे की ओर कुनखाल। पूर्व में नर पर्वत है जो बद्रीनाथ घाटी को फूलों की घाटी से अलग करता है। दांयी तरफ घने पेड़ों से ढकी पर्वत चोटी है, जहाँ दुर्लभ वनस्पतियों का खजाना कुदरत ने बिखेर रखा है। इससे घाटी का सौन्दर्य कई गुना और बढ़ जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में कई छोटे–बड़े झरने भी हैं। फूलों की घाटी का यही अप्रतिम सौंदर्य सारी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है।

बर्फ के पिघलने की शुरूआत के साथ ही पुष्पों का खिलना शुरू हो जाता है लेकिन मध्य जून से अगस्त तक ही पुष्प सौंदर्य चरम सीमा पर होता है। इसके बाद यह धीरे–धीरे घटना शुरू हो जाता है। 565 से अधिक प्राकृतिक वन्य फूल यहां खुद–ब–खुद उगते हैं और खिलते हैं। इनमें से अधिकांश वनौषधियों की श्रेणी के हैं।

फूलों की घाटी प्रकृति निर्मित दुनिया का सर्वाधिक सुन्दर उद्यान है। समुद्रतल से 3352 से 7500 मीटर की ऊँचाई पर सुरम्य घाटी में ब्रह्मकमल, हिमालयन ब्लू पोपी, शीलिया, ग्राउंड सेल, फ्लीस फ्लावर, सालमपजा, ब्रजदंती, मोरिना, पोर्टेटिना, पिंक मामकेरिया, स्नेक लिली, बेल फ्लावर, क्लडर कैम्पियन, रायल स्नप बीड, एकोनिटस, एरिज्मा, कोरिडिलिस, इनुला, एनेमोना, पेडाक्यूलिरिस, एकोनाईट्रस परिवार की पोड फाइम, नेक्सानड्रम, बर्जीनिया, एजेलिका, ग्लूका, पैटारिस, रिमईमोडी, ओबेलाटा, ग्रलिडपचोरा, टेक्सस, वाक्वियाना व नारडोस्टियस जैसी दुर्लभ पुष्प प्रजातियां विद्यमान हैं।

मजेदार बात यह है कि इस घाटी से बाकी दुनिया को परिचित कराने वाले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रेंक स्मिथ ने ही 262 प्रजातियों को 1937 में चिन्हित करने का काम अल्प समय में पूरा कर लिया था, और इसके बाद अब तक बामुश्किल 250 और फूल एवं वनौषधियाँ चिन्हित की जा सकीं हैं। स्मिथ ने ब्रिटेन लौटकर इस पर एक पुस्तक भी लिखी। इसके प्रकाशित होते ही घाटी पूरी दुनिया के वनस्पति विज्ञानियों व पुष्प विशेषज्ञों के लिये आकर्षण का केन्द्र बन गई और तभी से विदेशी पर्यटक व विशेषज्ञों ने यहां आना शुरू कर दिया। हर साल लाखों भारतीय एवं विदेशी पर्यटक यहां खीचें चले आते हैं।

'नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व' तथा 'फूलों की घाटी नेशनल पार्क' का प्रबंधन एवं संरक्षण कार्य 'जोशीमठ स्थित मुख्यालय में ही हो रहा है। जैव विविधिता और प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य के मद्देनजर 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था और मनमानी आवाजाही पर रोक लगाकर संरक्षण के प्रयास शुरू किये गये।

पार्क के निदेशक फूलों की घाटी के विश्व धरोहर बनने से खासे उत्साहित हैं। उनका मानना है कि इससे घाटी को संरक्षित करने के लिये समुचित धन मिलेगा और ग्रामीणों का भरपूर सहयोग लिया जा सकेगा। वन्य जीव एवं वनसंपदा संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से ग्रामीणों को जोड़ने की योजनाएं शुरू की गई हैं, इनके दोहरे लाभ हैं,

पहला–रोजगार के अवसर ग्रामीणों के लिये पैदा हो रहे हैं और वे वन्य जीवों के शिकार, वनौषधियों की तस्करी तथा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, दूसरे–संरक्षण प्रयासों को गति मिलेगी।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये ताजा सर्वेक्षण में फूलों की घाटी में 500 से ज्यादा वनस्पति भी पुष्पों सहित चिन्हित की जा चुकी हैं, जबकि भारतीय वन्य जीव संस्थान के अध्ययन के मुताबिक फूलों की घाटी के कोर जोन में ही लगभग सवा पांच सौ पुष्प व वनस्पतियां मौजूद हैं।

फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा देने के प्रयास तो कई वर्षों से चल रहे थे, लेकिन 2004 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर के दो विशेषज्ञों डॉ. आइकल गिन तथा जरजीना पई ने व्यापक अध्ययन एवं सर्वेक्षण के बाद इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की संस्तुति की थी। इसके बाद जुलाई, 2005 में यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय धरोहरों में शामिल हो गया है।

कुछ विरोधाभास भी इस घोषणा के बाद उत्पन्न हुए हैं। पर्यावरणविद् इसे भविष्य तथा स्थानीयता के लिहाज से ठीक नहीं मान रहे हैं। सरकारी पक्ष का तर्क है कि फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद भी इसके कानूनी स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विभाग कहता है कि स्थानीय लोगों को पार्क क्षेत्र में जाने व जीविकोपार्जन सम्बंधी पराम्परागत अधिकार समाप्त नहीं होंगे क्योंकि कानूनी स्तर पर फूलों की घाटी की देखभाल पूर्ववत् ही रहेगी। सिर्फ बेहतर पार्क प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यों के लिये यूनेस्को से समुचित धन मिलेगा। उधर पर्यावरणविद् कह रहे हैं कि आस–पास के गांवों के निवासियों पर पहले से ही बिना परमिट लिए पार्क के कोर जोन में जाने की पाबंदी चल रही थी, अब ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि 1982 में पार्क का दर्जा मिलते ही स्थानीय लोगों के भेड़–बकरियां आदि चराने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसका परिणाम यह निकला कि फूलों की घाटी में कुछ उन झाड़ीदार वनस्पतियों का वर्चस्व भी बढ़ा है, जो फूल–पौधों के उगने–बढ़ने और फलने–फूलने में बाधक रहती हैं, पहले भेड़–बकरियां इन्हें ही बतौर घास खाती थीं।

स्थानीय लोग कुछ भी सोचते हों, ज्यादातर वन–सम्पदा विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व धरोहर घोषित होने के बाद इसका संरक्षण

कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से होगा साथ ही वन प्रबंधन की नई पद्धति से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के नये अवसर मिलना तय है। उत्तरांचल के 'नेचर फ्रेंड' नाम की गैर–सरकारी संस्था का मानना है कि पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या से फूलों की घाटी पर मानवीय दबाव बढ़ रहा है उनकी संस्था ने सितम्बर में पार्क क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर वहाँ फैले प्लास्टिक व अन्य कचरे को हटाया। घाटी में कार्यरत मौजूदा संस्थाएं सफाई में सक्षम नहीं हैं और इसके लिए व्यापक अभियान चलाने है। पार्क के विश्व धरोहर बनने से चूंकि यूनेस्को से बजट मिलेगा, इसका सदुपयोग इस धरोहर के संरक्षण व इससे स्थानीय लोगों को रोजगार देकर जोड़ने में किया जा सकेगा। घाटी का विश्व धरोहर बनना वन्य जीव एवं संपदा संरक्षण के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)

भारतीय संस्कृति की विश्व को अमूल्य देन

अभिनय कुमार शर्मा

समस्त भारतवासी इस बात से अच्छी तरह परिचित ही होंगे कि भारत एक महान व अद्‌भुत देश है। ऐसा इस कारण से क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत देश ने संसार के अन्य देशों की तुलना में अधिक बाह्य समस्याओं का सामना किया है। मगर इस उहापोह में भारतीय संस्कृति का आधार रूप या कहें कि मूल रूप यथावत ही बना रहा। हालांकि एक भारतीय विशेष पर कुछ न कुछ विदेशी प्रभाव समय के तकाजे को दृष्टिगत रखते हुए अपरिहार्य रूप से पड़ा लेकिन आज भी एक सामान्य भारतीय किसी न किसी कोण से अपनी मूल संस्कृति से ही जुड़ा है। इसी तरह यह भी सत्य है कि भारतीय परिवेश में ही अन्य बाह्य संस्कृतियां भी समांगीकृत हो गईं और भारत विभिन्नता में ठोस एकता रखने वाला अखण्ड देश बन गया जबकि अन्य देश अपनी संस्कृति का सर्वाधिक, शत–प्रतिशत कहें तो सही होगा, तत्व रखने के बावजूद स्थायित्व के तत्व से काफी पीछे हैं।

सम्पूर्ण दक्षिणपूर्व एशिया को अपनी अधिकांश संस्कृति भारत से प्राप्त हुई। ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी भारत के उपनिवेशी लंका में बस गये, जिन्होंने अन्त में अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस समय तक कुछ भारतीय व्यापारी संभवतः मलाया, सुमात्रा तथा दक्षिणपूर्व एशिया के अन्य भागों में आने–जाने लगे थे। व्यापारी वर्ग के पश्चात वहां ब्राह्मण तथा बौद्ध भिक्षु पहुंचे और भारतीय प्रभाव ने धीरे–धीरे वहां की स्वदेशी संस्कृति को जागृत किया। यहां तक कि चौथी शताब्दी में संस्कृत उस क्षेत्र की राज्य भाषा हो गई और वहां ऐसी महान सभ्यताएं विकसित हुईं जो विशाल समुद्रतटीय साम्राज्यों का संगठन करने तथा जावा में बोरबदूर का बौद्ध स्तूप या कम्बोडिया में अंकोरवाट नामक प्रसिद्ध मन्दिर जैसे आश्चर्यजनक स्मारक निर्मित करने में समर्थ हुईं। दक्षिणपूर्व एशिया में अन्य सांस्कृतिक प्रभाव चीन एवं इस्लामी संसार द्वारा अनुभव किये गये। परंतु प्रारंभिक प्रेरणा भारत से ही प्राप्त हुई।

भारत द्वारा प्रभावित इन क्षेत्रों को कभी–कभी कुछ इतिहासकार उपनिवेशों की संज्ञा दे डालते हैं। हांलाकि आज उपनिवेश शब्द युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता फिर भी यह कहा जाता है कि पौराणिक आर्य विजेताओं ने तलवार के बल पर लंका द्वीप पर विजय प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त भारत की सीमा के बाहर किसी स्थाई भारतीय विजय का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता। भारतीय उपनिवेश शान्तिप्रिय थे, समृद्ध थे और उन क्षेत्रों के भारतीय नृपति स्वदेशी सेनापति थे, जिन्होंने भारत से ही सारी शिक्षा ग्रहण की थी।

उत्तर की ओर भारतीय संस्कृति का प्रभाव मध्य एशिया से होकर चीन में फैला। दक्षिणपूर्व एशिया की भांति चीन ने भारतीय संस्कृति और उसके विचारों को उसके प्रत्येक रूप में आत्मसात नहीं किया, परंतु सम्पूर्ण सुदूर पूर्व की विशिष्ट सभ्यताओं के निर्माण में सहायता प्रदान की है।

एशिया को भारत ने अनेक व्यवहारात्मक वरदान दिये। विशेष रूप से चावल, कपास, गन्ना, मसाले, पालतू मुर्गा–मुर्गी, शतरंज का खेल और सबसे अधिक महत्वपूर्ण संख्या संबंधी अंक विद्या की दशमलव प्रणाली, जिसका आविष्कार इसवी सन के आरंभ में किया गया। बहुत से बुद्धजीवियों को इस बात का संदेह है कि भारतीय व विचारधारा का प्राचीन पश्चिम की विचारधारा पर कोई प्रभाव था, परंतु पिछली डेढ़ शताब्दी में यूरोप तथा अमरीका की विचारधारा पर उसके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता। यद्यपि इसे पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। यह प्रभाव कोई नवगठित हिन्दू मिशनों से नहीं आया है। पिछले नब्बे वर्षों में थियोसो फिकल सोसाइटी, विभिन्न बौद्ध सोसाइटियों तथा यूरोप एवं अमरीका में उन्नीसवीं शताब्दी के बंगाली अध्यात्मवादी पुण्यात्मा परमंहस रामकृष्ण तथा उनकी ही तरह के महान तेजस्वी पुण्यात्मा स्वामी विवेकानन्द से प्रेरणा प्राप्त करने वाली सोसाइटियों की स्थापना हुई है। कुछ अन्य भारतीय आध्यात्मवादियों एवं उनके शिष्यों द्वारा जिनमें से कई तेजस्वी, गंभीर व आध्यात्मिक चरित्र के हैं, पश्चिम में छोटे–छोटे संगठनों एवं संघों की स्थापना की गई है। यत्र–तत्र स्वयं पाश्चात्य व्यक्तियों ने भी, जिन्हें संस्कृत का काम चलाऊ ज्ञान एवं प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है, कभी–कभी पश्चिम के योग या वेदान्त ग्रहण कराने का प्रयास किया है। पश्चिम में भारत के महान संत महात्मा गांधी का प्रभाव अधिक सूक्ष्म परंतु अधिक शक्तिशाली रहा है जो उनकी ज्वलन्त निष्कपट एवं तेजस्विता तथा भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में अहिंसा की नीति की पूर्ण सफलता का परिचायक है। इन समस्त प्रभावों से अधिक बड़ा प्रभाव दर्शन शास्त्र द्वारा प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य का रहा है।

बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोंस थे, वे भारतीय संस्कृति की स्वच्छन्दता एवं निर्मल प्रांजलता से प्रभावित थे। लेखक गेटे और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के बहुत से लेखकों ने अनुवाद के रूप में प्राचीन भारतीय साहित्य में विशेष रूचि ली और उसे आत्मसात किया। हम जानते हैं कि गेटे ने 'फॉस्ट' की प्रस्तावना के लिए भारतीय नाट्यशास्त्र की एक युक्ति का उपयोग किया और शायद ही कोई कह सकता है कि उस कृति के द्वितीय भाग का सफल अन्तिम समूह गान अततः भारतीय विचारधारा के गेटे द्वारा समझे गये ब्रहमवाद से अनुप्राणित नहीं था। गेटे के पश्चात अधिकांश महान जर्मन दार्शनिक भारतीय दर्शन के बारे में कुछ न कुछ जानते रहे। शॉपेनहॉव, जिनका प्रभाव साहित्य एवं मनोविज्ञान पर अत्याधिक रहा है, वस्तुतः उनका दृष्टिकोण भी बौद्धधर्म संबंधी था। पियो और हीगल के ब्रह्मवाद का कदापि यह स्वरूप न रहा होता यदि ऐंक्विटिल इयूपरन के उपनिषदों के अनुवाद तथा अन्य प्रमुख भारतीय ज्ञानवेत्ताओं की रचनायें न हुई होतीं। अंग्रेजी भाषा–भाषी संसार में सबसे अधिक प्रभावशाली भारतीय प्रभाव का अनुभव अमेरिका मे हुआ वहां इमरसन, थोरे तथा अन्य न्यू इंग्लैण्ड के लेखकों ने उत्सुकता से बहुत अधिक भारतीय धार्मिक साहित्य का अध्ययन अनुवाद के रूप में किया और अपने समसामयिकों एवं

उत्तराधिकारियों में विशेष रूप से वाल्टव्हिटमेन पर अधिक प्रभाव डाला।

यद्यपि यूरोप और अमरीका की समसामयिक दार्शनिक विचारधारा में अन्तिम शताब्दी के ब्रह्मवाद एवं आदर्शवाद का महत्व बहुत कम रहा है, फिर भी उनका प्रभाव अत्याधिक रहा है और वे सब किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत के ऋणी हैं। वे ऋषि जिन्होंने ईसा से 600 या और भी काफी पहले गंगा की घाटियों में तपस्या की थी, अब भी विश्व में शक्ति संपन्न हैं।

आज यूरोपीय सभ्यता अथवा भारतीय सभ्यता की बात करना भ्रम सा प्रतीत होता है। कुछ समय पूर्व तक संस्कृति भलीभांति विभाजित थीं परंतु अब जर्मनी और भारत के बीच की दूरी मात्र 30 घण्टे में पूरी की जा सकती है। ऐसे में सांस्कृतिक विभाजन अदृश्य होने लगे हैं। वर्तमान परिवेश में यदि उदार प्रजातन्त्र और समाजवाद में एक बेहतर संतुलन या तारतम्य स्थापित हो जाता है, साथ ही सभ्य समाज की अवधारणा अपने स्थायित्व में रहती है तो फिर अलग–अलग संस्कृतियों की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी अर्थात तब केवल एक संस्कृति होगी जिसमें वसुधैव कुटुम्बकम् की विचारधारा निहित होगी। विश्व सांस्कृतिक कोष के लिए भारत का योगदान निःसन्देह पर्याप्त रहा है, रहेगा और बढ़ता जायेगा ज्यों–ज्यों उसकी नवीन स्वतंत्रता में उसकी प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में वृद्धि होगी। इस कारण से यदि और किसी से नहीं तो हमें उसकी सफलताओं एवं उसकी विफलताओं मे उसकी प्राचीन उपलब्धियों और परंपराओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अब ये परंपरायें केवल भारत से ही नहीं अपितु सारी मानव जाति से अपना अटूट संबंध रखती हैं। ✡

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)

निर्धनों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारत का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता

सरकार ने गरीबों और अशक्त जनता को न्याय दिलाने के लिए बढ़त नामक एक परियोजना का शुभारंभ किया है। इस बारे में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत अदालतों के रिकार्डों की जांच के साथ–साथ संगठनों के साथ कार्यशालाओं और स्वयंसेवी गोष्ठियों का आयोजन करना है। इसके अतिरिक्त सुधार–संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह परियोजना चलाई जा रही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश की देखरेख में परियोजना का संचालन किया जा रहा है। न्याय विभाग कार्य निष्पादन एजेंसी है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी परियोजना का क्रियान्वयन करती है। सात राज्य स्तरीय परियोजना नियंत्रण समितियों के अध्यक्षों को इसके लिए मनोनीत किया गया है। ✡

पवन ऊर्जा उत्पादक कंपनियां

देश में अब तक 4228 मेगावाट की कुल पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है। सरकार द्वारा पवन विद्युत जनरेटर के कुछ घटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से अर्जित आय पर दस वर्षों का करावकाश, त्वरित अवमूल्यन और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण का लाभ उपलब्ध कराकर पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। संभाव्यता वाले राज्यों में पवन विद्युत को अधिमान्य शुल्क–दर दी जा रही है। पवन संसाधन मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से पवन विद्युत संभाव्यता वाले नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ✡

सौर ऊर्जा

इस समय सौर ऊर्जा प्रणालियों का प्रयोग मुख्यतया रोशनी, पंपन, दूरसंचार जैसे विकेन्द्रित सामान्य अनुप्रयोगों, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत की छोटी आवश्यकताओं और जल पंपन आदि के लिए किया जा रहा है। देश में अब तक 82 मेगावाट समग्र क्षमता की लगभग 12. 8 लाख सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सौर जल तापन अनुप्रयोगों के लिए लगभग 11 लाख वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र की स्थापना की गई है जो लगभग 770 मेगावाट क्षमता के समतुल्य है।

सरकार द्वारा देश में सौ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे सब्सिडी, उदार ऋण, 80 प्रतिशत त्वरित अवमूल्यन, कच्ची सामग्रियों और कुछ उत्पादों के आयात पर रियायती शुल्क, कुछ युक्तियों/प्रणालियों पर उत्पाद शुल्क से छूट। ✡

संवेगात्मक बुद्धि : एक परिचय

विनोद कुमार शनवाल

मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य और उसका व्यवहार अनुसंधान का दिलचस्प क्षेत्र रहे हैं। पिछली शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, समाज वैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने मानव मस्तिष्क के अध्ययन के अनेक प्रयास किये हैं। इन प्रयासों की अधिकता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक को *"मस्तिष्क का दशक"* कहा जाता है। टेक्नोलाजी के विकास और अनुसंधान में बढ़ोतरी से जो ज़बरदस्त प्रगति हुई है उसे देखते हुए अमेरिकन साइकोलाजिस्ट्स एसोसिएशन ने 21वीं शताब्दी के पहले दशक को *"व्यवहार का दशक"* घोषित किया है। पिछले दशक में इमोशनल इंटेलीजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि की धारणा व्यक्ति के व्यवहार तथा अपने परिवेश से उसके अनुकूलन की गुत्थी को समझने के लिए वैज्ञानिक अवधारणा बन चुकी है। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि संवेगात्मक बुद्धि स्कूल, समुदाय, व्यापार और संगठन में रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने के तौर–तरीकों को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत स्तर पर इससे सम्प्रेषण कौशल, नैतिकता, नेतृत्व, समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और सौन्दर्यबोध का आकलन किया जा सकता है।

मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य और उसका व्यवहार अनुसंधान का दिलचस्प क्षेत्र रहे हैं। पिछली शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, समाज वैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने मानव मस्तिष्क के अध्ययन के अनेक प्रयास किये हैं। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि संवेगात्मक बुद्धि स्कूल, समुदाय, व्यापार और संगठन में रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने के तौर–तरीकों को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत स्तर पर इससे सम्प्रेषण कौशल, नैतिकता, नेतृत्व, समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और सौन्दर्यबोध का आकलन किया जा सकता है।

संवेगात्मक बुद्धि : मानव व्यवहार की एक अवधारणा

इस वैज्ञानिक अवधारणा की शुरुआत इस तथ्य में निहित है कि हमारे संवेगों का उदासी जैसी भावनाओं के साथ संबंध है जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति अपने आप से कितना संतुष्ट या असंतुष्ट है। संवेगों के इस संबंध आधारित अस्तित्व की पहचान से बुद्धि के बारे में इस समसामयिक दृष्टिकोण के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है कि संवेग और संबुद्धि साथ–साथ कार्य कर सकते हैं।

संवेगात्मक बुद्धि के बारे में विभिन्न अनुसंधानों के नतीजों से ऐसा लगता है कि जो लोग अपनी भावनाओं का ठीक से प्रबंधन कर पाते हैं और दूसरों के साथ कारगर तरीके से निपट पाते हैं उनके अपने जीवन में अधिक संतुष्ट होने की संभावना रहती है। और इसलिए वे सूचनाओं को अधिक सहेज कर रखते हैं और अपेक्षाकृत अधिक कारगर तरीके से सीख पाते हैं। यह भी स्पष्ट है कि बुद्धि की पारम्परिक धारणा, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र तक सीमित थी, उसमें हाल के वर्षों में जबरदस्त परिवर्तन आये है। इन दिनों बुद्धि को संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विशिष्टताओं के अंतरसंबंध के रूप में देखा जाने लगा है जो सही भी है। ऐसा लगता है कि उच्चतर संवेगात्मक बुद्धि का संबंध जीवन में सफलता के अनेक पहलुओं से है, खास तौर पर जब बच्चे को संवेगात्मक 'दृष्टि से बुद्धिमत्तापूर्ण' माहौल में पाला गया हो। इस बात के निश्चित प्रमाण हैं कि अधिगम यानी सीखने और जीवन के अनुभवों से संवेगात्मक बुद्धि के स्तर में परिवर्तन होता है।

अरस्तू ने संवेगात्मक बुद्धि के अवधारणा वाले पक्ष की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह "सही व्यक्ति से, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होने की" विलक्षण क्षमता का नाम है। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि की धारणा का विकास 1990 के दशक से हो रहा है। सबसे पहले एक जर्मन मनोवैज्ञानिक *"ल्यूनर"* ने 1966 में इस शब्द का उपयोग किया था। कुछ दशकों के बाद सैलोवी और मेयर ने 1990 में अपना सारगर्भित लेख प्रकाशित कराया। इसके बाद 1995 में जब डेनियल गोलमैन ने *"इमोशनल इंटेलिजेंस : ह्वाई इट कैन मैटर मोर दैन आई.क्यू.?"* नाम की पुस्तक लिखी तो यह शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया। उनकी पुस्तक 50 देशों में गयी और इसकी 40 लाख से अधिक प्रतियां बिकीं।

मेयर और सैलोवी ने 1933 में संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा दी और 1997 में इसे पुनर्परिभाषित किया जिसके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि संवेगों के बारे में तर्क करने और इनके माध्यम से सोच को बढ़ाने की क्षमता है ताकि विचार प्रक्रिया, संवेगों को समझने और संवेगात्मक ज्ञान में मदद मिले। साथ ही संवेगों को इस तरह से नियंत्रित विनियमित किया जा सके ताकि संवेगात्मक तथा बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिले।

संवेगात्मक बुद्धि के मापन के उपाय

संवेगात्मक बुद्धि के मापन ने व्यापक रुचि उत्पन्न की है। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि की प्रक्रिया की व्याख्या करने वाले बेहतर मॉडल के अभाव में इसका मापन करना संभव नहीं हो पाया है। मापन के उपकरणों ने एलेक्सीथीमिया और सहानुभूति जैसी बुनियादी अवधारणाओं

से स्वरूप ग्रहण किया है। आजकल इस तरह के उपकरणों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये संवेगात्मक बुद्धि की दो प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित हैं। ये हैं योग्यता मॉडल जो संवेगों और परम्परागत रूप से परिभाषित बुद्धि की परस्पर क्रिया–प्रतिक्रिया पर आधारित है; और दूसरा मिश्रित मॉडल जो मानसिक क्षमता तथा व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं पर आधारित संयुक्त धारणा पर आधारित है। (बार–ऑन, 1997; गोलमैन, 1995)। योग्यता के बुनियादी मॉडल तथा मिश्रित मॉडल पर आधारित कई अनुकूलित मॉडल भी उपलब्ध हैं।

शिक्षण और अधिगम में संवेगात्मक बुद्धि

5वीं वार्षिक नेक्सस ई. क्यू. इमोशनल इंटेलिजेंस कांफ्रेंस का आयोजन हॉलैंड में 12–14 जून 2005 को किया गया। इसमें विश्व भर से 32 देशों के 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र में उपयोगी विचारों और बेहतरीन तौर–तरीकों के बारे में उपयोगी सुझाव एक मंच से दिये गये। अनेक जाने–माने वैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा के बारे में अपने विचारों और निष्कर्षों के साथ–साथ दिन–प्रतिदिन के जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने में इनके उपयोग के बारे में अपने विचार सामने रखे। प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि स्कूली पाठ्यचर्या में संवेगात्मक बुद्धि को शामिल करने जबरदस्त आवश्यकता है क्योंकि अनुसंधानों से पता चला है कि संवेगात्मक बुद्धि एड्स की जानकारी देने, व्यवसाय शिक्षा, मादक पदार्थों के बारे में शिक्षा, आत्महत्या की रोकथाम और हिंसा को रोकने आदि में बड़ी सहायक सिद्ध होती है।

प्लेटो ने कहा है कि हम जो भी सीखते हैं उसका कोई–न–कोई संवेगात्मक आधार होता है। किसी बच्चे की संवेगात्मक स्थिति का असर उसकी सीखने की क्षमता पर पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चों के संवेग उनके स्कूली जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। कक्षा में गुस्से का प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ता है। यहां तक कि इससे बुरा प्रभाव और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है वहां इस बात की संभावना है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों में अधिक सकारात्मक संवेग विद्यमान रहे होंगे। इस समय अमेरिका में स्कूल आधारित कई उपाय किये गये हैं ताकि सामाजिक और संवेगात्मक अधिक कार्यक्रम जैसे तरीकों से संवेगात्मक बुद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।

यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि अमेरिका के इलिनोआ राज्य में सामाजिक और संवेगात्मक अधिगम के मानदंड कायम किये गये हैं। ये इलिनोआ अधिगम मानदंडों के तहत बनाये गये हैं। 31 दिसम्बर 2004 को इलिनोआ स्टेट बोर्ड आफ एजुकेशन इन मानदंडों को मूल पाठ्यचर्या के रूप में स्वीकार किया।

लेखक ने स्वयं ही संवेगात्मक बुद्धि के कुछ उपायों को प्राथमिक स्कूल के बच्चों पर आजमाया। पी–एच.डी. के लिए अपने शोध कार्य के दौरान उसने दिल्ली नगर निगम के आठ स्कूलों के 200 बच्चों पर इसका परीक्षण किया। इससे पता चला कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों का संवेगात्मक बुद्धि का स्तर बेहतर होता है। इसी तरह शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीण जनता का संवेगात्मक बुद्धि का स्तर श्रेष्ठतर होता है। लेखक ने न्यून संवेगात्मक बुद्धि वाले कुछ छात्रों को सुधारने के लिए भी परीक्षण के तौर पर पास किये और उत्साहजनक परिणाम प्राप्त किये।

सीबिया, मिश्रा और श्रीवास्तव ने संवेगात्मक बुद्धि का एक स्वदेशी मॉडल प्रस्तुत किया है। अब तक हुए अनुसंधान के आधार पर ऐसा लगता है कि उच्चतर संवेगात्मक बुद्धि का जीवन के कई पक्षों में सफलता से संबंध है। खास तौर पर तब, जब बच्चे का लालन–पालन सीखने और जीवन अनुभव पर आधारित 'संवेगात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट' माहौल में हो रहा हो। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि सीखने यानी अधिगम और जीवन अनुभव के माध्यम से संवेगात्मक बुद्धि के स्तर में बदलाव लाया जा सकता है।

कार्यस्थल पर संवेगात्मक लब्धि के मानदंड का उपयोग

ऐसा समझा जाता है कि कामकाजी जिन्दगी में बहुत से लोग अपनी संवेगात्मक बुद्धि के बल पर शीर्षस्थ पदों तक पहुंच जाते हैं। अपनी विकसित तथा उच्च संवेगात्मक बुद्धि से वे उच्चतर बुद्धि लब्धि (आई.क्यू.) वालों को पछाड़ने में कामयाब हो जाते हैं। आज बाजार शक्तियां किसी पद पर काम करने वाले की सफलता के लिए संवेगात्मक बुद्धि को अभूतपूर्व महत्व देने लगी हैं। ऊंचे आई.क्यू. से आपको नौकरी तो मिल जाती है लेकिन पेशेवर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए संवेगात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसी से आप पदोन्नति करते हुए शीर्ष पदों तक पहुंच पाते हैं। संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाले डेनियल गोलमैन का विचार है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता में बुद्धि लब्धि (आई.क्यू.) का हिस्सा केवल 20 प्रतिशत होता है जबकि शेष 80 प्रतिशत (ई.क्यू.) संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करता है। अनुभवों से व्यक्ति के ई.क्यू. के स्तर में जीवन भर लगातार सुधार लाया जा सकता है जबकि एक खास उम्र के बाद व्यक्ति का आई.क्यू. उसी स्तर पर बना रहता है।

भारत में दिलीप सिंह (2001) ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रबंधकों और उनके संवेगात्मक तौर–तरीकों पर आधारित व्यक्तित्व की विशेषताओं पर अनुसंधान किया। उन्होंने पाया कि इन प्रबंधकों की सफलता के पीछे उनकी संवेगात्मक बुद्धि का बड़ा हाथ होता है। उनके निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने कार्पोरेट जगत के कर्मियों में सुधार तथा दिन–प्रतिदिन के व्यवहार में संवेगात्मक बुद्धि का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत विकास के सुझाव प्रस्तुत किये।

निष्कर्ष

संवेगात्मक बुद्धि की खोज मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विन्यास को समझने के हाल के प्रयासों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। कामकाजी जिन्दगी, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में हम जिन अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यह उनके समाधान का रास्ता दिखाती प्रतीत होती है। इसकारण सफल मानव विकास के लिए एक ऐसा माहौल बनाने में जिसमें बच्चे कारगर तरीके से सीख सकें, कुछ सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर देना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में संवेगात्मक बुद्धि को पढ़ाई–लिखाई से इतर गतिविधि के रूप मे देखा जाना चाहिए। ✡

(लेखक मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली में रिसर्च एसोसिएट हैं)

कैल्शियम की भूमिका अहम्

मनीषा एवं नीलम मकोल

हमारे शरीर की बनावट या संरचना मुख्यतः हड्डियों के आधार पर है, इनका सही रूप से और समय–समय पर विकास होना अति आवश्यक है। हड्डियों का विकास हमारे शरीर को कितनी और सही मात्रा में प्राप्त होता रहे, यह मुख्यतः कैल्शियम पर ही निर्भर करता है। हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए पोषण तत्वों के साथ–साथ खनिज लवणों (सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फासफोरस, क्लोराइड, सल्फर, मैगनिशियम) की ज्यादा मात्रा तथा अन्य खनिज लवणों (आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सिलेनियम, मैगनीज, कोबाल्ट आदि) की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा अन्य लवणों के मुकाबले सबसे अधिक है। यह शरीर का लगभग 2 प्रतिशत भाग बनाता है। शरीर के लिए कैल्शियम अति आवश्यक है। जिस प्रकार दीवार बनाते समय उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए मसाला भरने के लिए सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारा शरीर रूपी पूरा ढांचा जो कि हड्डियों से बना है, में हड्डियों को बनाने के लिए कोशिकाएं होती है। कैल्शियम सबसे अधिक हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही हमारे दांतों की मजबूती भी कैल्शियम पर ही निर्भर करती है। कैल्शियम की न केवल हड्डियों और दांतो को बल्कि शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को भी सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यकता होती है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जमा होकर इनको कठोरता प्रदाना करता है। यह स्नायुओं के सामान्य कार्य, मांसपोशियों, हृदय के संकुचन, रक्त थक्का बनने, कोशिकाओं की व झिल्ली के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक है। यह कोशिकाओं की झिल्ली के संदेश कोशिकाओं तक पहुंचाकर इनके कार्यों को नियंत्रित करता है। यह आंतो से विटामिन बी–12 के अवशोषण में भी सहायक होता है। यदि हाथ कट जाता है या कोई घाव होता है तो उसमें खून निकलता है, उस खून को बन्द करने के लिए या जमने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। इसकी शरीर में कमी होने पर हड्डियां तथा दांत कमजोर हो जाते हैं तथा तंत्रिकाओं की चेतना की कमी से मासंपेशियों में अकड़ाव आ जाता है।

शरीर में कुल कैल्शियम का करीब 99 प्रतिशत हड्डियों और दांतों में और शेष एक प्रतिशत अन्य ऊतकों और रक्त में होता है।

सामान्यतः रक्त में कैल्शियम की मात्रा 8.5 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखन के लिए रक्त कैल्शियम का सामान्य बना रहना अति आवश्यक है। हमारे शरीर में रक्त कैल्शियम और कुल कैल्शियम को विटामिन डी "पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन" हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्त कैल्शियम का बढ़ना या घटना दोनों ही घातक होते हैं।

कैल्शियम की कुल शारीरिक आवश्यकता

मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के माध्यम से नियमित कैल्शियम की आपूर्ति अनिवार्य है। हमारे शरीर को कितनी आयु/उम्र में कितने कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता है, यह तालिका–1 में दिखाया गया है।

तालिका – 1

आयु(वर्ष)	कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता (मि.ग्रा.)
0–1	500 से 600
1–9	400 से 500
10–15	600 से 700
16–19	500 से 600
व्यस्क	500
गर्भावस्था एवं धात्री महिला	1000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रतिदिन कैल्शियम की मात्रा लगभग 500 मिलीग्राम है, परन्तु 10 से 15 वर्ष की आयु में एवं गर्भावस्था के समय तथा नवजात शिशु को दूध पिलाने वाली महिला की आवश्यकता सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि किशोरों की हड्डियों की बढ़ोतरी अति तीव्र गति से होती है। यदि इस समय इन्हें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है तो इससे उनकी हड्डियां मजबूत बनेंगी और उनमें सुदृढता आयेगी।

इसी प्रकार गर्भावस्था के समय भ्रूण अपने लिए कैल्शियम मां की हड्डियों से लेता है इसलिए मां को न केवल अपने लिए परन्तु शिशु की मजबूत हड्डियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार स्तनपान कराने वाली महिला (धात्री माता) को भी कैल्शियम की अधिक आवश्यकता है क्योंकि उसके अपने दूध में से ही कैल्शियम नवजात शिशु को भी मिलता है अतः उसे इतना कैल्शियम लेना होता है कि ना उसे और न ही उसके नवजात शिशु को कोई कमी हो। प्रसव के पश्चात मान्यता है कि मां को गरम रखो, उसे हवा न लगने दो क्योंकि उसकी हड्डियों में दर्द बैठ जायेगा। इसलिए इस दर्द से बचने का सही इलाज है कि मां को कैल्शियम से भरपूर अर्थात दूध, दही, छाछ, पनीर, तिल, मूंगफली, चना

तालिका – 2

वस्तु	कैल्शियम की मात्रा (मिलीग्राम)
1 कप दूध	300
2 कटोरी दाल	60
1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जी	300
6 से 7 रोटी	300
कुल	960

आदि इतना अधिक खिलाओ जिससे उसकी हड्डियों अन्दर से ही मजबूत हों ताकि हवा लगने पर भी उसकी हड्डियों में दर्द न हो।

कैल्शियम के स्रोत

कैल्शियम प्राप्ति के लिए मुख्य स्रोत हैं दूध तथा दूध से बने पदार्थ, अण्डा, हरी सब्जियां, दालें आदि। दूध तथा दूध से बनाए गये पदार्थों में यह प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम का अवशोषण भी आंतों से बेहतर ढंग से होता है। तालिका–2 दर्शाती है कि उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में कितनी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है।

यदि हम इसमें अन्य सब्जियों आदि को भी शामिल करें तो आसानी से लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक कप दूध (200 मिलीलीटर) में करीब 300 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि दूध के कैल्शियम का तो पूरा उपयोग हो जाता है परन्तु अनाज, दालों और सब्जियों में कुछ ऐसे बाधक पदार्थ पाए जाते हैं कि शरीर उनके कैल्शियम पूरा उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि इनमें मौजूद "आक्जैलिक एसिड" के कारण इस कैल्शियम का अवशोषण आंतों द्वारा सुचारू रूप से नहीं हो पाता। इसलिए जितना अधिक कैल्शियम लेंगें, उतनी आवश्यक मात्रा शरीर में जा पाएगी। इसी प्रकार गेहूं में मौजूद कैल्शियम का अवशोषण भी फाइटेट की उपस्थिति के कारण बाधित होता है। चावल में पाए गये कैल्शियम की मात्रा गेहूं की तुलना में कम होती है। खाए जाने वाले पान में यदि चूना पर्याप्त मात्रा में हो तब भी कैल्शियम की आपूर्ति होती है। यही नहीं बल्कि पेयजल के द्वारा भी 200 मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है। यदि हम खाने के साथ चाय या कृत्रिम पेय पदार्थ जैसे कोला आदि पीते हैं या दूध में चाय–पत्ती काढ़कर पीते हैं तो भी कैल्शियम शरीर को प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खाने के साथ चाय का उपयोग न किया जाए। कैल्शियम के साथ–साथ सूर्य की किरणें भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो त्वचा में एक विटामिन जिसे विटामिन डी कहते हैं पैदा होता है और यह कैल्शियम का शरीर में अवशोषण करता है।

शरीर के लिए कैल्शियम अति आवश्यक है। जिस प्रकार दीवार बनाते समय उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए मसाला भरने के लिए सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी पूरा ढांचा जो कि हड्डियों से बना है, में हड्डियों को बनाने के लिए कोशिकाएं होती है। कैल्शियम सबसे अधिक हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। शरीर में कुल कैल्शियम का करीब 99 प्रतिशत हड्डियों और दांतों में और शेष एक प्रतिशत अन्य ऊतकों और रक्त में होता है।

कैल्शियम की कमी का स्वास्थ्य पर प्रभाव

- बाल्यकाल में इसकी कमी होने पर "रिकेट्स" रोग हो सकता है। इससे बच्चों का विकास मंद गति से होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इस समय जहां एक ओर बच्चे का पूरा शरीरिक ढांचा बन रहा होता है उसमें सुदृढ़ता की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती हैं जिससे जोर लगने पर वक्रता आ सकती है। ऐसे समय में यदि सही तरीके से उपचार न किया जाए तो हड्डियां स्थायी रूप से विकृत हो सकती हैं।
- युवावस्था में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से टिटेनी और आस्टियोमलेशिया रोग हो सकते हैं। टिटनी रोग पैराथॉराइड हार्मोन, विटामिन डी की कमी, शरीर की क्षारीयता में वृद्धि होने तथा लगातार उल्टी होने से हो सकता है। इसमें रक्त कैल्शियम स्तर सामान्य स्तर से कम हो जाता है जिसमें अंग सुन्न पड़ने लगते हैं, बैचेनी से हाथ–पैरों में अकड़न आ जाती है। इसमें स्वयं या हल्की सी भी उत्तेजना से तीव्र गति से मांसपोशियों में संकुचन होने लगता है जिसके परिणामस्वरूप मरीज की श्वास रुकने से मौत तक हो जाती है।
- युवावस्था में कैल्शियम की कमी से हड्डियों में कमजोरी के कारण प्रौढ़ावस्था में आयु में वृद्धि होने के साथ–साथ हड्डियां बहुत ही कमजोर तथा हल्की होने पर दर्द करने लगती हैं जिससे जरा सी भी चोट लगने पर यह स्वयं ही टूट सकती हैं। इस रोग को "अस्थिविरलता" (आस्टियोपोरोसिस) के नाम से जाना जाता है जिससे प्रौढ़ावस्था में भी पर्याप्त मात्रा (1 से 1.5 ग्राम प्रतिदिन) कैल्शियम के सेवन से बचा जा सकता है।
- दांतों में भी पर्याप्त कैल्शियम की कमी से दांत कमजोर हो सकते हैं। तथा उनके जल्दी टूटने कर डर बना रहता है।
- गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पर्याप्त कैल्शियम न लेने पर कमजोरी आ जाती है और कमजोर महिलाओं को आगे चल कर रजोनिवृति के पश्चात वृद्धावस्था में अनेक कष्टों तथा यहां तक की शारीरिक अपंगता का भी कारण बन जाती है।

अधिक मात्रा के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव

एक सामान्य व्यक्ति के लिए रक्त में कैल्शियम की मात्रा 8.5 से 10.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। स्वस्थ रहने के लिए रक्त कैल्शियम का सामान्य बना रहना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा 11 मिलीलीटर से ज्यादा हो जाती है तो भी हमारे सामने कई गंभीर समस्याएं आ सकती हैं जैसे यदि कोई व्यक्ति 2 ग्राम कैल्शियम और 25 माइक्रोग्राम विटामिन डी का प्रतिदिन लम्बे समय तक सेवन करता है तो उसका रक्त कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है जिससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता कम हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, कब्ज तथा आमाशय में घाव, भूख न लगना तथा हृदयगति रुकने के आसार बन सकते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें कैल्शियम अधिक मात्रा में मूत्र द्वारा बाहर विसर्जित किया जाता है जैसा कि पैराथइरोयड ग्रंथियों के अधिक कार्य करने से तथा शरीर में "विटामिन डी" की मात्रा अधिक होने जाने से। कैल्शियम के ज्यादा सेवन से गुर्दों में पथरी होने की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार शिशुओं और बच्चों में भी दूध का पर्याप्त मात्रा से अधिक सेवन करने से हड्डियों, गुर्दे तथा आंतों की क्षति हो सकती है।

अतः मानव शरीर की स्वस्थता बनाए रखने के लिए कैल्शियम की उचित मात्रा में आपूर्ति नियमित रूप से अति अनिवार्य है। ✡

(लेखिका द्वय जनसंख्या अनुवंशिकी एवं मानव विकास विभाग, मुनीरका, नई दिल्ली से सम्बद्ध हैं)

आयोडाइज्ड नमक की जरूरत

राधेश्याम

अभी कुछ दिनों पहले कभी जेम्स बांड बने ब्रिटिश अभिनेता सर रोजर मूर ने राजस्थान का दौरा किया तो वे यूनेस्को के प्रतिनिधि के रूप में उसकी ओर से प्रदेश को आयोडाइज्ड नमक की उपयोगिता के बारे में जानकारी दे रहे थे। वे वैज्ञानिकों के इस संदेश को प्रचारित कर रहे थे कि यदि बच्चों को सही मात्रा में आयोडाइज्ड नमक नहीं दिया गया जो घेंघा की बीमारी के अलावा उन्हें मानसिक रूप से विकलांग होना पड़ सकता है। हालांकि सरकार 2 अक्तूबर से ही साधारण नमक की बिक्री पर रोक लगाने की व्यवस्था कर चुकी थी लेकिन कई संस्थाओं के भारी विरोध के कारण सरकार ने उस समय इस निर्णय को लागू करने की योजना स्थगित कर दी थी। स्वास्थ्य विभाग ने 2010 तक आयोडीन की कमी से होनेवाली बीमारियों में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 'एम्स' की "इंडियन कोलिशन फॉर कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिसिएंसी" द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि "आयोडाइज्ड नमक एक इंजेक्शन की तरह है जिसका मूल्य प्रतिवर्ष के हिसाब से मात्र 10 पैसे होता है जो भारतीय बच्चों के मस्तिष्क को नुकसान होने से बचाता है।" इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल 36 प्रतिशत लोगों को ही शुद्ध आयोडाइज्ड नमक खाने को मिलता है जबकि शेष 64 प्रतिशत इससे वंचित रह जाते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है।

वैसे भी यदि देश में नमक के उत्पादन की स्थिति पर उपलब्ध आंकड़ों पर गौर करें तो इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी वर्ष 2004 में मानी गई थी। नमक के निर्यातकों के अनुसार विदेशों में भारतीय नमक की मांग पिछले वर्ष अचानक 22 लाख टन हो गई थी किन्तु इस वर्ष उसकी मांग घट कर बमुश्किल 19 लाख टन रह गई है और इसकी कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय परंपरागत नमक की मांग सभी पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव में है। गैरपरंपरागत नमक का सबसे बड़ा खरीददार चीन है लेकिन इस वर्ष चीन से भी आपूर्ति के आदेश ज्यादा नहीं मिले हैं। क्योंकि उसने गुणवत्ता के इतने सख्त मानक तय किए हैं कि उसके हिसाब से आपूर्ति करने में कठिनाई हो रही है। आंकड़ों के अनुसार देश का 80 प्रतिशत नमक गुजरात में तैयार किया जाता है लेकिन वहां भी उत्पादन में पिछले छह महीनों में 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस वर्ष अभी तक नमक का कुल उत्पादन केवल 1.30 लाख टन के आसपास माना गया है जिसमें भोजन में इस्तेमाल किया जानेवाला नमक केवल 60 लाख टन है और 70 लाख टन उद्योगों में काम में लाया जानेवाला नमक है।

विश्व बाजार में नमक की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए निर्यातकों ने इस वर्ष 30 लाख टन नमक के उत्पादन का लक्ष्य रखा था लेकिन उत्पादन 19 लाख टन से बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात माने या उन संस्थाओं की जो भावनात्मक कारणों से आयोडाइज्ड नमक का विरोध करते हैं। बिना आयोडाइज्ड नमक बेचने को अपराध घोषित करने का प्रस्ताव है जिसके तहत छह महीने सजा का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि 1859 से ही अंग्रेज भारत के नमक उद्योग को अपने कब्जे में लेने की कोशिश में लगे थे उनकी कोशिश 1929 में सफल हो गई जब अंग्रेजों ने नमक उद्योग को अपने कब्जे में ले लिया था क्योंकि वे नमक का महत्व समझते थे। आज आर्थिक उदारता के कारण जहां प्रतियोगिता बढ़ गई है बाजार में टिके रहने के लिए नमक की गुणवत्ता पर ध्यान देना ही होगा वैज्ञानिकता का विरोध किया जाना उचित नहीं होगा। ✡

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)

ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी ट्रस्ट का गठन

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तथा कृषि के लिए पादप अनुवांशिकी संसाधन (आईटीपीजीआरएफए) के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 18 के तहत वैश्विक फसल विविधता ट्रस्ट (ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी ट्रस्ट) के गठन से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ट्रस्ट में शामिल होने वाले देश को एकबारगी 50 हजार अमरीकी डॉलर का अंशदान देना होगा और वह खाद्य तथा कृषि के लिए पादप अनुवांशिकी संसाधनों का स्थायी इस्तेमाल कर सकेगा। यह ट्रस्ट जैव विविधता के अनुरूप गठित किया जा रहा है। अपने लोगों की खाद्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पादप अनुवांशिकी संसाधनों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह संधि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। खाद्य तथा कृषि संगठन ने 2001 में **आईटीपीजीआरएफए** को स्वीकार किया था और यह जून 2004 से लागू हो गया था।

आईटीपीजीआरएफए की वित्तपोषण कार्यनीति के एक केन्द्रीय घटक के रूप में वैश्विक फसल विविधता ट्रस्ट का गठन किया जा रहा है। ट्रस्ट विकासशील देशों के लिए आनुवांशिक बैंक संरक्षण और क्षमता निर्माण में सहायाता प्रदान करेगा। ✡

The RAU'S IAS experience...

...incisive, intensive & innovative.

It translates learning into winning performance.

THE VISION

Rau's IAS Study Circle was established as a top ranking institute nearly 50 years ago, solely with the aim of helping serious students achieve success in Civil Services Exam by providing the highest quality coaching. The method, content & teaching standards established by the Study Circle have become synonymous with success in the minds of civil service students.

Be Sure, we have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

THE PERFORMANCE

Our 2004 Exam Results: Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS, PCS & Judicial Services Coaching.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs.50/- favouring Rau's IAS Study Circle.

THE PROGRAMMES

Civil Services/PCS Exam, 2006/07 &
Judicial Services Exam, 2006/07

- Personal Guidance (English Medium) is available for - **General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.**
- **पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -** सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for - **General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.**
- **पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -** केवल सामान्य अध्ययन एवं भारतीय इतिहास में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

New batches for 2006/07 Exam, start from 2nd June, 2006

Admission Open, Apply Now

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Phone : 23318135-36, 23738906-07, 55391202, 39448880-81, Fax: 23317153,
Visit : www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH-2/6/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

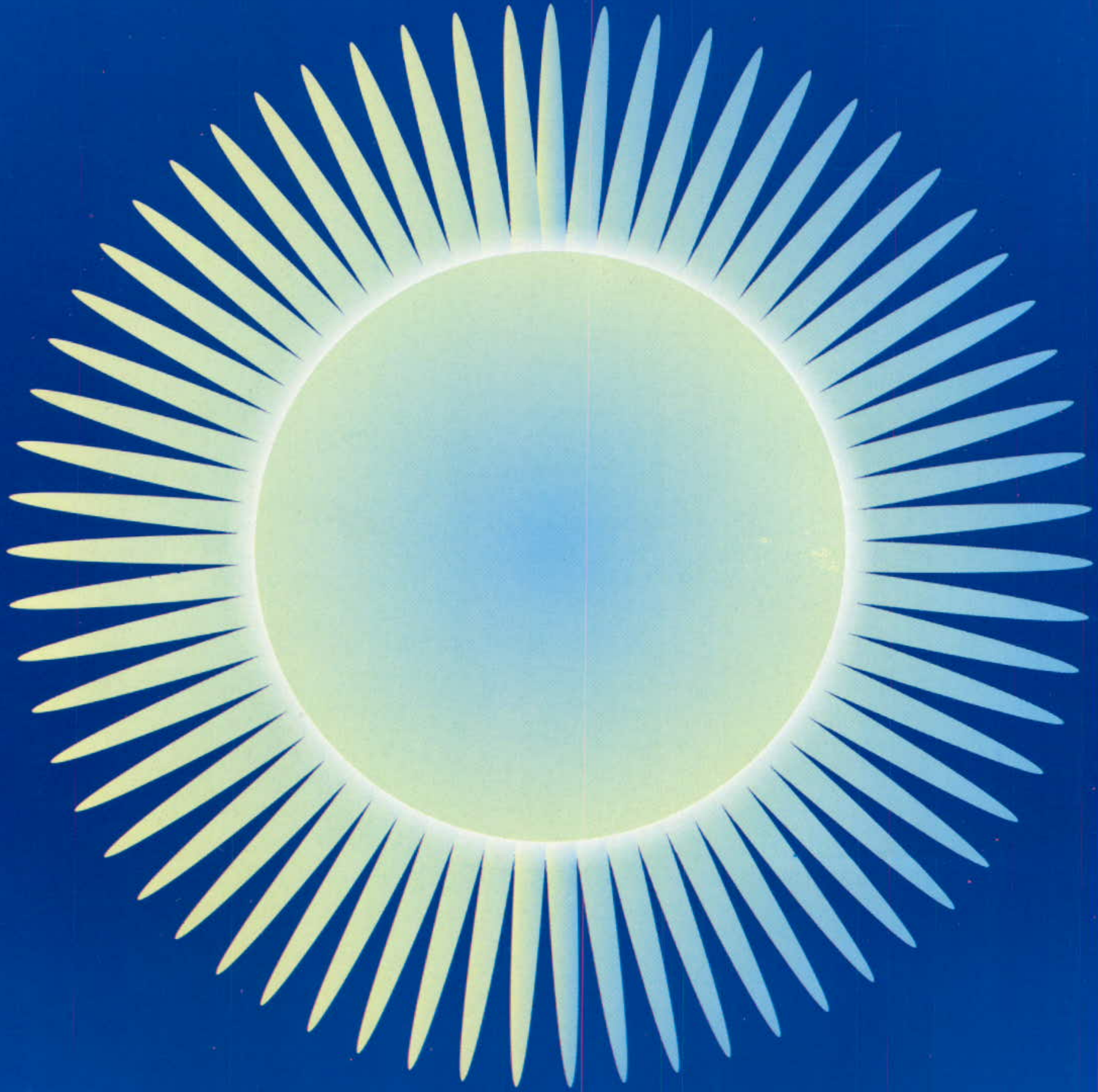

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रकः अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय